



# आय-कर विधान एवं हिसाब लेखे (Income-Tax Law & Accounts)

[ Second Revised upto date Edition  
with 1953 Finance Act ]

लेखक

चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, बी० कॉम०  
श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, देहली विश्वविद्यालय

रामप्रसाद एण्ड सन्स

प्रकाशक :: आगरा

प्रकाशक  
रामप्रसाद एण्ड सन्स  
हॉस्पिटल रोड, आगरा

प्रथम संस्करण, सितम्बर १९५२  
द्वितीय संशोधित संस्करण, अगस्त १९५३

Price Rupees Five only

मुद्रक  
श्यामसुन्दर श्रीवास्तव  
नेशनल हेराल्ड प्रेस, लखनऊ

## दो शब्द

आय-कर विधान एक कठिन विषय है। यह इतनी पेचीदगियों से भरा है कि कभी-कभी तो इस बात का निर्णय करना कठिन हो जाता है कि अमुक प्राप्ति कर-देय आय है अथवा नहीं, और किसी-किसी स्थिति में तो न्यायाधीशों के मत भी एक-दूसरे के विपरीत हो जाते हैं।

यह सब कुछ होते हुए भी इस विषय पर कुछ सुन्दर ग्रन्थ लिखे जा चुके हैं, परन्तु उनमें विषय का इतने विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है तथा उनमें न्यायालयों द्वारा दिये गए निर्णयों की इतनी भरमार है कि बी० कॉम० कक्षा के विद्यार्थियों को विषय के समझने में बड़ी कठिनाई होती है।

प्रस्तुत पुस्तक में आय-कर विधान की मुख्य-मुख्य धाराओं को सरल भाषा में उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से समझाने का प्रयत्न किया है। विद्यार्थियों को इस विषय का अध्ययन करने में जिन-जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। पुस्तक के अन्त में उत्तर-सहित प्रश्न दिये हैं जो विषय को समझाने में विशेष सहायक होंगे।

इस पुस्तक की तैयारी में श्री मालीराम, एम० कॉम०, प्रोफेसर सेठ जी० बी० पोटार कॉलिज, नवलगढ़ ने मुझे जो सहायता दी है उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ।

मैं श्री जयनारायण वैश्य, एम० ए० (कॉम०), जी० डी० ए०, एफ० सी० ए०, प्रिन्सिपल, श्रीराम कॉलिज ऑफ कॉमर्स, देहली के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस पुस्तक के लिखने के लिए प्रोत्साहित किया।

दिल्ली,  
१ जून, १९५२

चन्द्रभान गुप्त



## दूसरे संस्करण के विषय में

इस पुस्तक के पहले संस्करण को छपे अभी पूरा एक वर्ष भी नहीं हुआ है। इस थोड़ेसे समय में आयकर के शिक्षको ने जिस प्रकार इसको अपनाया है वह इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने इसे विद्यार्थियों के लिए हितकर समझा है। कुछ पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित इसकी प्रशंसायुक्त तथा उत्साहवर्धक समालोचनाएँ भी मुझे ऐसा सोचने के लिए प्रेरित करती हैं कि मेरा प्रयास निष्फल नहीं गया है।

कई एक शिक्षको ने मुझे इस पुस्तक के सुधारने के लिए सुझाव भेजने की कृपा की। इन सज्जनों में प्रोफेसर वी० डी० भार्गव, अव्यक्त कामर्स-विभाग, महाराजा कालिज, जयपुर का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। जहाँ तक भी हो सका है मैंने लगभग सभी सुझावों से प्रस्तुत संस्करण को तैयार करने में लाभ उठाया है।

इस संस्करण को तैयार करने में आयकर सशोधन ऐक्ट १९५३ और फाइनेन्स ऐक्ट १९५३ की ओर पूर्ण ध्यान दिया गया है और इनकी लगभग सभी महत्त्वपूर्ण बातें उपयुक्त स्थानों पर समझाई गई हैं।

पुस्तक के अन्त में दिये गये उत्तर सहित प्रश्नों की सख्या पहले से दुगुनी कर दी गई है और यह आशा की जाती है कि उससे विद्यार्थियों को विषय के समझने में बहुत सहायता मिलेगी।

चन्द्रभानु गुप्त



## विषय-सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
१.	भारतीय आय-कर का विकास	१
२.	आय-कर की प्रमुख परिभाषाएँ	९
३.	कमाई हुई आय	१७
४	आय-कर-दायित्व (Income-tax Liability)	२३
५	आय कर से छूटे (Exemptions)	३९
६.	आय और पूँजी (Income and Capital)	५१
७	आय शीर्षक (१) वेतन (Salary)	५६
८.	" " (२) सिन्डिकेयोरिटियो का ब्याज (Interest from Securities)	६७
९.	" " (३) जायदाद की आय (Income from Property)	७४
१०.	" " (४) व्यापार, पेशा व व्यवसाय की आय (Income from Business, Profession and Vocation)	८२
११.	" " (५) अन्य साधनो से आय (Income from Other Sources)	९३
१२	घिसाई (Depreciation)	९८
१३.	हिसाब-पद्धतिया तथा घाटे की पूर्ति (Accounting Systems & Set-off of Losses)	१०५
१४.	विभिन्न कर-दाता और उनका कर-दायित्व	११०



( ख )

अध्याय	विषय	पृष्ठ
१५.	कुल आय और कुल विश्व आय (Total Income & Total World Income)	११६
१६	उद्गमस्थान पर कर कटौती और उसकी वापसी (Deduction of Tax at Source and Refund of Tax)	१२७
१७.	कर निर्धारण और अपील (Assessment & Appeals)	१३३

परिशिष्ट

१.	प्रश्न उत्तर-सहित (Solved Questions)	१४५
२.	वार्षिक फाइनेंस ऐक्ट (Annual Finance Act) 1952	२२१
३.	” ” ” ” ” ” 1953	२२६

# अध्याय १

## भारतीय आय-कर का विकास

आधुनिक काल में आय-कर का महत्त्व बहुत अधिक हो गया है । प्रगतिशील राष्ट्रों में यह समाज के विभिन्न वर्गों में स्थित आर्थिक विषमता को दूर करने तथा सरकार को विशाल आय प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन समझा जाता है ।

भारतवर्ष में सर्वप्रथम सन् १८६० में आय-कर (Income-Tax) का सूत्रपात हुआ । सर जेम्स विल्सन (Sir James Wilson) ने १८५७ के गदर के व्यय को चुकाने के लिए २००) से ५००) तक की आय पर २ प्रतिशत तथा ५००) से अधिक आय पर ४ प्रतिशत के हिसाब से आय-कर लगाया । परन्तु यह योजना अधिक सफल न होने के कारण अगस्त १८६३ में इसमें कुछ परिवर्तन किये गये और आय-कर केवल ५००) से अधिक की आय पर ही कर दिया गया और वह भी ३ प्रतिशत के हिसाब से । परन्तु सरकार की आर्थिक कठिनाइयों के कारण सन् १८६७ में आय-कर की दर ६ पाई प्रति रुपये के हिसाब से कर दी गई । सन् १८७१ में सरकार की आर्थिक स्थिति कुछ सुधर जाने के कारण आय-कर की दर २ पाई प्रति रुपया कर दी गई और ७५०) रुपये से अधिक आय पर ही आय-कर लगाया गया । १८७३ में न्यूनतम आय-कर सीमा ( Minimum Taxation Limit) १०००) कर दी गई । परन्तु इसी वर्ष यह, आय-कर बिल (Income-Tax Bill) की अवधि समाप्त होने के कारण, वापिस ले लिया गया ।

सन् १८७८ में आय-कर के स्थान पर लाइसेंस-कर (Licence-Tax)

लागू किया गया जो १८८६ तक चलता रहा। सन् १८८६ ई० में एक नया विल असेम्बली में रक्खा गया जिसके द्वारा वेतन, पेन्शन, कम्पनियों के लाभ, सिक्यूरिटियों से प्राप्त होनेवाले व्याज तथा अन्य साधनों से होने वाली आय पर, जो ५००) से अधिक थी, आय-कर लगाया गया। सन् १९०३ में आय-कर लगनेवाली सीमा को ५००) से बढ़ाकर १०००) कर दिया गया। यह आय-कर ऐक्ट सन् १९१७ तक चलता रहा, परन्तु इसमें नमय-समय पर कुछ परिवर्तन होते रहे। सन् १९१८ में एक नया आय-कर ऐक्ट बनाया गया जिसके द्वारा न्यूनतम आय-कर सीमा बढ़ाकर २०००) कर दी गई, परन्तु सन् १९१९ के भारत-सरकार के विधान (Government of India Act of 1919) के अनुसार आय-कर को केन्द्रीय आय का साधन घोषित कर दिया गया। इसलिए सन् १९२२ में एक नया आय-कर ऐक्ट (Income-Tax Act of 1922) पास किया गया जो अंग्रेजी आय-कर पद्धति पर आधारित था। इसी ऐक्ट द्वारा एक बोर्ड की स्थापना की गई तथा यह निश्चय किया गया कि आय-कर की दरें (Rates of Income-Tax) प्रति वर्ष वार्षिक राजस्व ऐक्ट (Annual Finance Act) द्वारा निर्धारित की जायेगी।

सन् १९२२ का आय-कर ऐक्ट (Income-Tax Act of 1922) ही आय-कर की आधार-गिला है, परन्तु इसमें समय-समय पर अनेक परिवर्तन होते रहे हैं और विशेषकर सन् १९३९ ई० में। सन् १९२४ में सेंट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू (Central Board of Revenue) की स्थापना हुई। यह टोडहण्टर कमेटी (Todhunter Committee), जो इसी वर्ष सरकार द्वारा आय-कर की जाच करने के लिए नियुक्त की गई थी, की सिफारिशों का ही प्रतिफल था कि इसी वर्ष तथा १९२६ में आय-कर ऐक्ट में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन व मसौदा हुए। सन् १९३५ में भारत-सरकार ने एक नई कमेटी (The Ayer Committee) भारतीय आय-कर की जाच करने तथा इसके भार और उसकी व्यवस्था

की कुशलता पर रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त की। इस कमेटी ने ईमानदार आयकर-दाताओं को अधिक से अधिक सुविधाएँ देने के लिए तथा वेईमानी से आय-कर बचाने के साधनों को कम से कम करने के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण सिफारिशें पेश की। इसी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सन् १९३८ में एक नये बिल द्वारा भारतीय ससद में १९२२ के आय-कर ऐक्ट को सुधारने के लिए कुछ सशोधन (Amendments) पेश किये। सन् १९३९ में यह बिल भारतीय आय-कर ऐक्ट, १९३९ (The Indian Income-Tax Amendment Act of 1939) के रूप में पास हो गया। इस ऐक्ट ने भारतीय आय-कर विधान के बहुत से दोषों को दूर कर दिया और भारतीय आय-कर ऐक्ट को एक वैज्ञानिक रूप दे दिया।

सन् १९३९ के आय-कर ऐक्ट के अनुसार अब आय-कर केवल आय पर ही नहीं लगता है परन्तु यह कुछ ऐसी पूजीगत प्राप्तियों (Capital Receipts) पर भी लगाया जाता है जो आय की परिभाषा में सम्मिलित कर ली गई हैं। अब आय-कर (Income-Tax) तथा अतिरिक्त आय-कर (Super-Tax) दोनों ही आय के विभिन्न टुकड़ों (Slabs) पर विभिन्न दरों के अनुसार लगने लगा है। इस पद्धति को Slab System कहते हैं। सन् १९३९ के पहले आय-कर इस पद्धति के अनुसार न लगाया जाकर Step System के अनुसार लगाया जाता था। इस Step System के अनुसार समस्त आय पर एक ही दर के अनुसार आय-कर लगाया जाता था। उदाहरणार्थ पुराने ऐक्ट के अनुसार २०००) तक की आय पर कोई आय-कर नहीं लगता था परन्तु २०००) से ५०००) तक की आय पर ६ पाई प्रति रुपये के हिसाब से कर लगता था और ५०००) से १००००) तक की आय पर ९ पाई प्रति रुपये के हिसाब से समस्त आय पर कर लगता था। इसी पद्धति को Step System कहते थे क्योंकि आय-कर की प्रतिशत प्रत्येक Step पर बहुत अधिक बढ़ जाती थी जैसे ० से ३ ९ प्रतिशत और ३ ९ प्रतिशत से ४ ७ प्रतिशत और इसी प्रकार

आय की वृद्धि के साथ यह प्रतिशत भी बढ़ती रहती थी। परन्तु Slab System में ऐसा नहीं होता है। Slab System के अनुसार १५००) तक की आय के Slab पर तो कोई आय-कर नहीं लगता है। आय के दूसरे ३५००) रुपये के Slab पर ६ पाई के हिसाब से आय-कर लगता है, चाहे आय कितनी भी अधिक क्यों न हो। इसी प्रकार आय के प्रत्येक Slab पर एक ही दर से आय-कर लगाया जाता है। ज्यो-ज्यो आय बढ़ती जाती है उसी के अनुसार आगे वाली Slab की आय-कर दरें भी बढ़ती जाती हैं। प्रत्येक Slab की आय-कर दरें (Income-Tax rates) प्रति वर्ष Annual Finance Act द्वारा निश्चित की जाती हैं। यह नई पद्धति पुरानी पद्धति से अधिक प्रगतिशील और न्यायपूर्ण है।

द्वितीय महायुद्ध काल में आय-कर ऐक्ट में समय-समय पर अनेक महत्त्वपूर्ण संशोधन व परिवर्तन हुए। यह ऐक्ट १९४०, १९४१, १९४२, १९४४, १९४५ तथा १९४६ में परिवर्तित किया गया। सन् १९४४ में एक नई योजना जिसे "कमाते जाओ, कर देते जाओ" योजना (Pay as you earn scheme) कहते हैं देश में मुद्रा-प्रसार को रोकने के लिए चालू की गई। सन् १९४५ में कमाई हुई आय पर छूट (Earned Income Allowance) मिलने का सूत्रपात भी सर्वप्रथम भारत में किया गया।

सन् १९४६ में भारत की स्वतन्त्रता का बीजारोपण हुआ और भारतीय अन्तरिम सरकार की स्थापना की गई। इस सरकार ने नमक-कर का उन्मूलन किया परन्तु इससे होनेवाले घाटे की पूर्ति के लिए सन् १९४७ में पूँजी-लाभकर (Capital Gains Tax) तथा व्यापार-लाभकर (Business Profits Tax) को चालू किया गया। इसी वर्ष न्यूनतम आय-कर सीमा को २०००) से बढ़ाकर २५००) कर दिया गया। इसी वर्ष एक आय-कर जाच कमीशन (Income-Tax Investigation Commission) की नियुक्ति की गई, परन्तु इन नये करों के कारण भारतीय आर्थिक विकास को गहरा धक्का लगा।

उद्योगपति नये कल-कारखानो मे पूजी लगाने से हिचकिचाने लगे, परन्तु भूतपूर्व अर्थ-मन्त्री डॉक्टर जान मथाई ने सन् १९४९ मे पूजी लाभ-कर तथा १९५० मे व्यापारिक लाभ-कर को हटाकर देश मे पूजी-सचय को बहुत प्रोत्साहन दिया ।

सन् १९४७ के जाच-कमीशन (Income-Tax Investigation Commission) की सिफारिशो के आधार पर १९५१ मे एक बिल आय-कर विधान मे सशोधन करने के लिए पेश किया गया, परन्तु यह बिल किन्ही कारणो से पास न हो सका । १९५३ के बजट अधिवेशन मे एक नया बिल भारतीय आय-कर ऐक्ट को सुधारने के लिए लाया गया और वह भारतीय आय-कर सशोधन ऐक्ट, १९५३ (The Indian Income-Tax Amendment Act of 1953) के रूप मे पास हो गया ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो १९५३ मे हुई वह थी 'कर-जाच-कमीशन' (Taxation Inquiry Commission) की नियुक्ति । पिछले कई वर्षो से इस बात की आवश्यकता समझी जा रही थी कि देश मे प्रचलित करो का एक वैज्ञानिक तौर पर निरीक्षण होना चाहिये, परन्तु देश मे वैधानिक परिवर्तनो के कारण ऐसे जाच-कमीशन की नियुक्ति अब तक न हो सकी थी । इस कमीशन के अध्यक्ष डॉ० जान मथाई है और उनके अतिरिक्त पाच और सदस्य है । कमीशन ने अपनी कार्यवाही आरम्भ कर दी है और आशा है कि दो वर्ष से पूर्व ही यह अपनी रिपोर्ट सरकार को दे सकेगे ।

एक और बात जो सन् १९५३ में हुई, वह यह है कि सन् १९५३ के फाइनेन्स ऐक्ट के अनुसार न्यूनतम आयकर-सीमा ३६००)से ४२००) कर दी गई है ।

भारतीय आय-कर ऐक्ट का विस्तार/—१५ अगस्त सन् १९४७ के पूर्व भारतीय आय-कर ऐक्ट, १९२२ केवल वरारसहित ब्रिटिश-भारत पर ही लागू था, परन्तु १ अप्रैल सन् १९५० से यह ऐक्ट सपूर्ण भारत

में, निवाय रियासत जम्मू व काश्मीर और पटियाला व ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन के, लागू कर दिया गया और १३ अप्रैल मन् १९५० से पटियाला व ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन में भी यह लागू कर दिया गया। अब यह आय-कर ऐक्ट केवल जम्मू व काश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया गया है और उस रियासत में भी भारत-सरकार व अन्य राज्यों के कर्मचारियों पर यह ऐक्ट लागू होता है परन्तु जम्मू व काश्मीर राज्य के कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होता है।

भारतीय आय-कर पदाधिकारी ( Indian Income-Tax Authorities) — भारतीय आय-कर विभाग को मुचाक रूप में चलाने तथा आय-कर ऐक्ट को कार्यरूप में लाने के लिए निम्नलिखित पदाधिकारी नियुक्त किये हैं —

(१) सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (Central Board of Revenue) — इस बोर्ड में दो सदस्य होते हैं और यह बोर्ड भारत-सरकार द्वारा आय-कर, अतिरिक्त-कर, चुगी, कस्टम आदि ममस्त सरकारी राजस्व का नियन्त्रण करने के लिए नियुक्त किया जाता है। इस बोर्ड का एक सदस्य नपूर्ण भारत क आय-कर विभाग का नियन्त्रण करता है और भारत सरकार उनी की सिफारिशों व अनुमार कमिश्नर, अमिस्टेंट कमिश्नर और इनकमटैक्स अफसरों को नियुक्त करती है। इस बोर्ड को आय-कर विभाग क ममस्त अफसरों को आदेश व सूचनाएँ भेजने का अन्तिम अधिकार है, परन्तु इसे अग्रीलेट अमिस्टेंट कमिश्नरों के अग्रील क कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

(२) डायरेक्टर ऑफ इन्स्पेक्शन — डायरेक्टरों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करेगी और यह सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की देख-रेख में ऐसे नव काम करेगी जो केन्द्रीय सरकार इनके मुपुर्दे करेगी। यह आयकर अफसरों को, जो इनके क्षेत्र में काम करने हैं, समय-समय पर ऐसे आदेश दे सकते हैं जो किन्ही असेममेंट में सवव रखते हो। Inspecting

Assistant Commissioner डायरेक्टर के नियन्त्रण में काम करेंगे ।

(३) कमिश्नर ऑफ इनकमटैक्स ( Commissioner of Income-Tax) —कमिश्नर ऑफ इनकमटैक्स किसी स्टेट या क्षेत्र के आय-कर विभाग का अध्यक्ष होता है । वह भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है । उसे अपने क्षेत्र के आय-कर विभाग का प्रबन्ध करने का पूर्ण अधिकार होता है । उसे धारा ३३ ए और बी के अन्तर्गत इनकमटैक्स अफसरों की आज्ञाओं की निगरानी (Review) करने का अधिकार होता है ।

(४) इन्स्पेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर (Inspecting Assistant Commissioner) —इन्स्पेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर डायरेक्टर ऑफ इन्स्पेक्शन और कमिश्नर के नियन्त्रण में रहता है और उसका कार्य अपने क्षेत्र के समस्त इनकमटैक्स अफसरों के कार्य का निरीक्षण करना है । इसकी अनुमति के बिना इनकमटैक्स अफसर न तो कोई दंड (Penalty) लगा सकता है और न अभियोग (Prosecution) ही लगा सकता है ।

(५) इनकमटैक्स अफसर ( Income-Tax Officer ) :— आय-कर लगाकर उसे वसूल करनेवाला इनकमटैक्स अफसर ही होता है । वही सूचनाएँ प्रकाशित करता है, साक्षी लेता है, कर निश्चित करता है और उसे वसूल करता है । उसकी सहायता के लिए इन्स्पेक्टर, हिसाब-निरीक्षक व पब्लिक रिलेशन्स अफसर भी होते हैं ।

(६) इन्स्पेक्टर ऑफ इनकमटैक्स.—इनकी नियुक्ति कमिश्नर करेगा और यह ऐसे सब काम करेंगे जो इनको इनकमटैक्स अफसर या कोई अन्य उच्च अधिकारी करने के लिए कहेगा ।

(७) अपीलेंट असिस्टेंट कमिश्नर (Appellate Assistant Commissioner) —अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर सैण्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीधे नियन्त्रण में होता है और उसका प्रमुख कार्य इनकमटैक्स अफसरों की आज्ञाओं (Orders) के विरुद्ध अपील सुनना है ।



(८) अपीलेंट ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunal).—यह भारत सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है और इसके सदस्यों की संख्या भारत-सरकार की इच्छा पर निर्भर रहती है। इसमें जुडिशल और एका-उपटेण्ट दोनों ही सदस्य होते हैं परन्तु सभापति साधारणतया जुडिशल सदस्य ही होता है। यह अपील सुनने की सर्वोच्च अदालत है और यह अपीलेंट असिस्टेंट कमिश्नर के निर्णयों के विरुद्ध तथ्य (Facts) और कानून (Law) सम्बन्धी दोनों ही प्रकार के प्रश्नों के विषय की अपील सुनती है। तथ्य (Facts) प्रश्नों के संबंध में इसका निर्णय अंतिम (Final) होता है। यदि कर-दाता (Assessee) या कमिश्नर ट्रिब्यूनल के कानूनी प्रश्नों के निर्णय से सतुष्ट न हो तो वे ट्रिब्यूनल से उन कानूनी प्रश्नों को उच्च न्यायालय (High Court) के सम्मुख रखने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं।

यदि कर-दाता या कमिश्नर उच्च न्यायालय के निर्णय से भी सतुष्ट न हो तो उनमें से कोई भी धारा ६६ ए के अनुसार उच्च न्यायालय से अपील करने का प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर, उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) में कर सकता है।

## अध्याय २

### आय-कर की प्रमुख परिभाषाएं

आय-कर कानून की धारा २ में कुछ शब्दों की परिभाषाएँ दी गई हैं जिनमें से मुख्य-मुख्य निम्नलिखित हैं —

(१) कृषि आय (Agricultural Income) — आयकर ऐक्ट के अनुसार कृषि आय उस जमीन की आय को माना जाता है जो (१) कृषि के कामों में लाई जाती है, (२) जिस पर टैक्स लगनेवाले क्षेत्रों (Taxable Territories) में सरकार को लगान या स्थानीय सत्ता को कर दिया जाता है और जिसे सरकारी अफसर वसूल करते हैं। अन्य कोई भी आय, जो जमीन से भले ही प्राप्त क्यों न हो, कृषि आय तब तक नहीं कही जा सकती जब तक वह जमीन इन दोनों शर्तों को पूरा न करती हो। यह कृषि आय पांच प्रकार की हो सकती है— (क) उस जमीन का किराया या लगान जो जागीरदार या भूमिपति वसूल करे। (ख) वह आय जो जमीन की पैदावार से कृषक या माल के रूप में लगान लेनेवाले को प्राप्त हो। (ग) वह आय जो कृषक या माल के रूप में लगान लेनेवाले को उस जमीन की पैदावार को बिक्री योग्य बनाने पर हो। (घ) उस जमीन की ऐसी पैदावार को बेचने से होनेवाली आय। (ङ) वह आय जो इस प्रकार के मकानात से हो जो कृषि के काम आती हो।

भारतीय आय-कर कानून के अनुसार टैक्स लगनेवाले क्षेत्रों में उत्पन्न होनेवाली कृषि आय इनकमटैक्स से मुक्त है। परन्तु जो कृषि की आय अन्य देशों व राज्यों से भारत में लाई जाती है उस पर इनकमटैक्स लगता

है । निम्नलिखित आय, यद्यपि जमीन से सवध रखती है, परन्तु कृषि आय नहीं मानी गई है—

- (१) वह आय जो जमीन को लकड़ी इकट्ठा करने के लिए किराये पर देने से होती है ।
- (२) बाकी रहे हुए लगान पर मिलनेवाले व्याज की रकम यदि खने लिखवा लिया गया है तो कृषि आय नहीं रहेगी ।
- (३) वह आय जो किसी जागीरदार को जगली वृक्षों को कटवाने का ठेका किसी अन्य व्यक्ति को देने से होती है, कृषि आय नहीं मानी जाती है ।
- (४) जगली घास, लकड़ी, फूस या स्वयं उगे हुए वृक्षों की आमदनी भी कृषि आय नहीं मानी जाती है ।
- (५) सिंचाई से होनेवाली आय भी कृषि आय नहीं है ।
- (६) इंटे बनाने के लिए जमीन को बेचने से होनेवाली आय भी कृषि आय नहीं है ।
- (७) पत्थरो की खानों से होनेवाली आय भी कृषि आय नहीं है ।
- (८) कोयले की खानों से मिलनेवाले अधिकार शुल्क (Royalties) से होनेवाली आमदनी भी कृषि आय नहीं है ।
- (९) किसी कृषि फार्म ( Agricultural Farm ) के मैनेजर को मिलनेवाला प्रतिफल भी कृषि आय नहीं है ।
- (१०) कम्पनी की कृषि आय पर आधारित प्रबन्धकर्त्ताओं (Managing Agents) को मिलनेवाला कमीशन भी कृषि आय नहीं है ।

कुछ ऐसी आय भी हो सकती है जो कुछ अंश में कृषि आय और कुछ अंश में कृषि आय नहीं होती है । उदाहरणार्थ, चाय पैदा करके बेचने

वाली कपनियो व बगीचो की ६० प्रतिशत आय कृषि आय और बाकी ४० प्रतिशत आय कर-योग्य आय मानी जाती है। इसी प्रकार ईख स्वयं के कृषि फार्म पर पैदा करके और उससे चीनी तैयार करके बेचने वाली कम्पनियो तथा अन्य ऐसी कपनियो की आय जो स्वयं ही कच्चा माल पैदा करके और उसी से तैयार माल करके बेचती है कुछ अंश में कृषि आय और कुछ अंश में व्यापारिक आय समझी जाती है। यदि ऐसी कपनियो का पैदा किया हुआ कच्चा माल बाजार में विकने योग्य हो तो उस माल का औसत बाजार मूल्य व्यापारिक माल के बिक्री-मूल्य में से कम कर दिया जाता है। परन्तु उस कच्चे माल को तैयार करने में जो व्यय होता है वह कम नहीं किया जाता है। यदि कच्चा माल बाजार में विकने योग्य न हो तो इस कच्चे माल को पैदा करने की लागत व उचित लाभ जो इनकमटैक्स ऑफिसर उचित समझे, व्यापारिक माल के बिक्री मूल्य में से कम कर देता है।

(२) आय-कर-दाता (Assessee) —आयकर-दाता वह व्यक्ति है जिसके द्वारा आय-कर दिया जाता है या जिसे इनकमटैक्स ऐक्ट के अनुसार सरकार को कोई रकम देनी हो या इनकमटैक्स ऐक्ट के अन्तर्गत उसपर आय या हानि के असेसमेंट की या कर की वापसी की कार्रवाई जारी हो। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त उसके वैधानिक प्रतिनिधि, एक्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर आदि भी इनकमटैक्स के लिए इनकमटैक्स देनेवाले समझे जाते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति, जो कानून द्वारा दूसरे व्यक्ति की आय में से इनकमटैक्स उद्गम स्थान पर काटने के लिए बाध्य है, नहीं काटे या इनकमटैक्स काटने के उपरान्त सरकार को अदा न करे तो वह व्यक्ति भी इस कर के लिए कर-दाता समझा जावेगा।

(३) लाभांश (Dividend) —कम्पनिया अपने हिस्सेदारों को जो लाभ प्रतिवर्ष बांटती है उसे साधारण भाषा में लाभांश कहते हैं। परन्तु आय-कर कानून की धारा २ (६) (ए) के अन्तर्गत लाभांश

से निम्नलिखित चार विशेष प्रकार के वितरण भी सम्मिलित किये गये हैं :—

(१) कम्पनी द्वारा अपने संचित लाभ (Accumulated Profits) का, जो चाहे पूजीकृत (Capitalised) हो या नहीं, वितरण करना जिसके लिए कम्पनी अपने हिस्सेदारों को कुछ संपत्ति देती है। कम्पनी अपने संचित लाभ का वितरण कई प्रकार से कर सकती है। प्रथम तो कम्पनी वितरण नकद या संपत्ति के रूप में कर सकती है। इस अवस्था में वितरण लाभांश माना जावेगा। द्वितीय, कम्पनी यह वितरण बोनस-शेयरों के रूप में कर सकती है। इस अवस्था में यह वितरण लाभांश नहीं कहा जा सकता क्योंकि कम्पनी को इस वितरण पर अपनी कोई संपत्ति नहीं देनी पड़ती है। तृतीय, यह वितरण दूसरी कम्पनी के शेयरों व ऋणपत्रों के रूप में दिया जा सकता है। उस अवस्था में यह वितरण हिस्सेदारों के हाथ में लाभांश माना जावेगा क्योंकि कम्पनी की संपत्ति इस वितरण के कारण कम होती है।

(२) यदि कम्पनी के पास संचित लाभ हो चाहे वह पूजीकृत हो या नहीं और उसमें से यदि कम्पनी बोनस ऋणपत्रों (Bonus Debentures) या बोनस ऋणपत्र राशि (Bonus Debenture Stock) के रूप में वितरण करे तो यह वितरण भी लाभांश माना जावेगा।

(३) यदि कम्पनी के निस्तारण (Liquidation) पर उसके ऐसे संचित लाभों से, जो कम्पनी के निस्तारण की स्थिति से पूर्व गत ६ वर्षों में पैदा हुए हैं, वितरण हिस्सेदारों को किया जावे तो वह भी लाभांश कहलावेगा, परन्तु यह नियम विशेषाधिकार वाले हिस्से (Preference Shares) पर लागू नहीं होगा।

(४) यदि कोई कम्पनी अपनी पूजी घटाने के अवसर पर अपने संचित लाभ से, जो कि १ अप्रैल सन् १९३३ के पूर्व समाप्त होनेवाले गत वर्ष के बाद उत्पन्न हुए हों, चाहे वह पूजीकृत हो या नहीं, वितरण करे तो वह भी

हिस्सेदारो के हाथ मे लाभांश समझा जावेगा । परन्तु यह नियम भी विशेषाधिकार वाले हिस्सो (Preference Shares) पर लागू नहीं होगा ।

यहां पर यह ध्यान देने योग्य है कि इस परिभाषा मे जहां कहीं भी "संचित लाभ" शब्दो का प्रयोग किया गया है, उनमे १ अप्रैल सन् १९४६ के पूर्व या ३१ मार्च सन् १९४८ के बाद उत्पन्न होनेवाले पूजीगत लाभ (Capital Gains) को सम्मिलित नहीं किया जावेगा ।

(४) गत वर्ष (Previous Year)—(क) इनकमटैक्स ऐक्ट की धारा २ (११) (२) के अनुसार गत वर्ष का अर्थ उन गत बारह महीनो से है जो असेसमेंट वर्ष (Assessment Year) या चालू साल के पहले ३१ मार्च को समाप्त होता है ।

(ख) यदि किसी कर-दाता ने अपना हिसाब उन १२ महीनो के अन्दर ३१ मार्च के स्थान पर किसी अन्य तिथि पर समाप्त होनेवाले साल के आधार पर रखा है तो उसका साल वही माना जावेगा । उदाहरणार्थ, कोई भी कर-दाता अपना गत वर्ष व्यापारिक साल, दिवाली साल, विक्रम सवत्, कलंडर वर्ष या दशहरा वर्ष के अनुसार रख सकता है ।

(ग) कोई भी कर-दाता अपनी आय के भिन्न-भिन्न साधनो के लिए भिन्न-भिन्न गत वर्ष रख सकता है । यदि एक व्यापारी एक सराफे की दूकान करता है और दूसरी कपडे की तो वह दोनो दूकानो के भिन्न-भिन्न गत वर्ष रख सकता है ।

(घ) नया व्यापार स्थापित करने पर, गत वर्ष व्यापार स्थापित करने के समय से ३१ मार्च तक के समय का माना जाता है या कर-दाता की इच्छानुसार उसके हिसाबी साल के अन्त तक का । परन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि यदि हिसाबी साल की अन्तिम तिथि व्यापार स्थापित करने की तिथि से ३१ मार्च तक नहीं बल्कि ३१ मार्च के बाद मे आती हो तो ऐसी अवस्था में यह समझा जावेगा कि माली साल (Financial year)

१ अप्रैल से चालू हुआ है। उस साल में उस नये व्यापारी का कोई गत वर्ष ही नहीं था।

(ड) जब कर-दाता अपनी इच्छानुसार किसी विशेष हिसाबी साल को एक बार अपना गत वर्ष किसी विशेष आय के लिए रख लेता है तो वह उसे बाद में बिना आय-कर अफसर की अनुमति के कभी नहीं बदल सकता है और वह भी उसके द्वारा लगाई हुई शर्तों को पूर्ण करने पर।

(च) धारा २ (११) (b) के अनुसार किसी फर्म के साझेदार का गतवर्ष, फर्म के हानि-लाभ के हिस्से के लिए वही होगा जो फर्म का गत वर्ष है। परन्तु ऐसा तभी होगा जब फर्म की आय का फर्म पर असेसमेंट हो चुका हो। यदि फर्म का असेसमेंट नहीं हुआ है तो साझेदार फर्म की आय के लिए भी 'गत-वर्ष' उपयुक्त साधारण रीति के अनुसार निश्चित कर सकता है।

गत वर्ष से संबंधित कठिनाई को दूर करने के लिए सैण्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने प्रत्येक प्रान्त के आय-कर कमिश्नर को यह अधिकार दे रखा है कि वह गत वर्ष की अवधि १२ महीनों के स्थान पर ११ या १३ महीनों तक घटा-बढा सकता है परन्तु गत वर्ष की अन्तिम तिथि किसी भी अवस्था में ३० अप्रैल के बाद नहीं होनी चाहिए।

भारतवर्ष में इनकमटैक्स ऐक्ट की धारा ३ के अनुसार आय-कर और धारा ५५ के अनुसार अतिरिक्त-कर (Super-Tax) हर गत वर्ष की आय पर लिया जाता है परन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों में चालू वर्ष की आय पर इनकमटैक्स ले लिया जाता है —

(१) यदि कोई व्यक्ति भारत को छोड़कर सदैव के लिए बाहर जा रहा हो तो धारा २४ ए के अनुसार उस व्यक्ति की चालू वर्ष की आय पर ही गत वर्ष के अलावा चालू वर्ष के अनुसार कर वसूल कर लिया जायगा।

(२) यदि कोई व्यक्ति अपना व्यापार, पेशा या व्यवसाय बन्द कर देवे तो धारा २५ के अनुसार चालू वर्ष के लाभ पर भी गतवर्ष के कर के अलावा

इनकमटैक्स वसूल कर लिया जावेगा वसूल कि वह कर-दाता सन् १९१८ के इनकमटैक्स ऐक्ट के अनुसार कर न दे चुका हो ।

(३) जहाजी कंपनियों के लाभ पर धारा ४४ वी के अनुसार चालू साल में ही कर ले लिया जाता है ।

(४) धारा १८ ए की "कमाते जाओ, टैक्स देते जाओ" (Pay as you earn) योजना के अनुसार यदि किसी कर-दाता की वार्षिक आय न्यूनतम आयकर सीमा (Minimum Taxable Limit) अर्थात् ४,२०० + २,५०० = ६,७०० रुपये से अधिक है और यदि इस आय में टैक्स उद्गम स्थान पर न काटा जाता हो तो चालू वर्ष में ही उसे पेशगी के रूप में टैक्स चार किस्तों में दे देना पड़ता है ।

(५) टैक्स लगनेवाले क्षेत्र (Taxable Territories) :— इनकमटैक्स ऐक्ट की धारा २ (१४) (ए) के अनुसार टैक्स लगने वाले क्षेत्र का अर्थ निम्नप्रकार है —

(क) १५ अगस्त १९४७ के पूर्व वह क्षेत्र जो ब्रिटिश-भारत कहलाता था और जिसमें वरार सम्मिलित था ।

(ख) १४ अगस्त १९४७ के बाद और २६ जनवरी १९५० के पहले वे क्षेत्र जो उस समय के लिए भारत के प्रान्तों में सम्मिलित थे, परन्तु कूच-बिहार के विलीन क्षेत्र को छोड़कर ।

(ग) २५ जनवरी १९५० के बाद और १ अप्रैल १९५० के पहले वे क्षेत्र जो पार्ट ए स्टेट्स में सम्मिलित थे परन्तु कूचबिहार के विलीन क्षेत्र को छोड़कर और इसके अतिरिक्त पार्ट सी स्टेट्स, परन्तु मणिपुर, त्रिपुरा और विन्ध्यप्रदेश को छोड़कर ।

(घ) ३१ मार्च १९५० के बाद और १३ अप्रैल १९५० के पहले जम्मू और काश्मीर, पटियाला और पूर्वी पंजाब स्टेट्स यूनियन को छोड़कर भारत का संपूर्ण भाग, और



(ड) १२ अप्रैल १९५० के बाद, जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़ कर भारत का संपूर्ण भाग ।

किन्तु याद रहे कि टैक्स लगनेवाले क्षेत्रों में निम्नलिखित भाग सम्मिलित समझे जायेंगे —

(क) विलीन क्षेत्र (Merged Territories) — (१) इस कानून के किसी भी उद्देश्य के लिए ३१ मार्च १९५० के बाद के किसी समय के लिए और (२) ३१ मार्च १९५० को समाप्त होनेवाले या किसी आगामी वर्ष के इनकमटैक्स निश्चित करने के लिए गतवर्ष में सम्मिलित किसी समय के लिए ।

(ख) जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़कर भारत का संपूर्ण भाग — (१) धारा ४ ए और ४ बी के लिए, किसी भी अवधि के लिए, (२) इस कानून के किसी भी उद्देश्य के लिए ३१ मार्च १९५० के बाद की किसी भी अवधि के लिए, और (३) ३१ मार्च १९५१ को समाप्त होनेवाले या किसी आगामी वर्ष के इनकमटैक्स निश्चित करने के लिए गत वर्ष में सम्मिलित किसी अवधि के लिए ।

अन्य परिभाषाएँ उचित स्थानों पर दी जावेंगी ।

## अध्याय ३

### कमाई हुई आय

#### (EARNED INCOME)

आय-कर कानून के अनुसार कुल आय दो भागों में बांटी जा सकती है —

(१) कमाई हुई आय (Earned Income)

(२) बिना कमाई आय (Unearned Income)।

‘कमाई हुई आय’ का तात्पर्य उस आय से है जिसके प्राप्त करने में कर-दाता को स्वयं परिश्रम करना पड़ा हो, जैसे वेतन, व्यापार, पेशा या व्यवसाय, या अन्य किसी ऐसे साधन द्वारा प्राप्त की गई आय, जिसमें शारीरिक या मानसिक परिश्रम करना पड़ा हो। इसके विपरीत ‘बिना कमाई आय’ में वे सब आय सम्मिलित हैं जो कर-दाता को बिना कोई परिश्रम किए प्राप्त होती हैं, जैसे सिक्योरिटियों पर ब्याज, लाभांश, जायदाद से प्राप्त किराया।

‘कमाई’ और ‘बिना कमाई’ आय का भेद सर्वप्रथम १९४५ के फाइनेंस ऐक्ट द्वारा स्थापित किया गया था और ‘कमाई’ हुई आय पर ‘बिना कमाई’ आय की अपेक्षा कर देने में कुछ रियायत-स्वीकार की गई थी।

आय-कर कानून की धारा २ (६ ए ए) के अनुसार कमाई हुई आय का अर्थ उस आय से है जो किसी ऐसे कर-दाता द्वारा कमाई गई है जो या तो व्यक्ति है, या सयुक्त हिन्दू परिवार है, या रजिस्ट्री न करवाया हुआ फर्म है, या कोई अन्य जनसंस्था है परन्तु कंपनी या स्थानीय सत्ता या रजिस्टर्ड

फर्म या रजिस्टर्ड मानी गई हुई फर्म नहीं है। इस धारा के अनुसार निम्न-लिखित आय कमाई हुई आय मानी गई है :—

- (क) वेतन के रूप में मिलनेवाली कर योग्य आय ।
- (ख) व्यापार, पेशा या व्यवसाय से होनेवाली कर योग्य आय, यदि उस व्यापार का संचालन कर-दाता स्वयं करता है या यदि कर-दाता किसी फर्म का साझेदार है तो वह उस फर्म के कार्य में सक्रिय भाग लेता है ।
- (ग) अन्य साधनो (Sources) से प्राप्त होनेवाली कर-योग्य आय, यदि यह आय कर-दाता द्वारा अपने परिश्रम से उपार्जित की गई है या यह कर-दाता या किसी मृत मनुष्य की पुरानी सेवाओं के बदले में दी गई है ।
- (घ) वह कर-योग्य आय जो कि अन्य पुरुषों की आय है परन्तु आय-कर कानून की कुछ धाराओं के अन्तर्गत कर-दाता की संपूर्ण आय में सम्मिलित कर ली जाती है ।

परन्तु यह छूट उन आय पर, जो धारा १४ (२) (जिसमें अनरजिस्टर्ड फर्म, अनरजिस्टर्ड एसोसियेशन और भारतीय रियासत से न लाई गई आय है) या धारा ६० के अन्तर्गत विज्ञप्ति द्वारा करमुक्त है, नहीं मिलती है ।

उपर्युक्त परिभाषा से निम्न बातें भली प्रकार समझ लेनी चाहिये —

- (१) 'कमाई हुई आय' का प्रश्न केवल निम्न कर-दाताओं के ही बारे में उठता है और उन्हीं को इसके लिए छूट दी जाती है :—
  - (अ) व्यक्ति-विशेष,
  - (ब) सयुक्त हिन्दू-परिवार, या
  - (स) कोई बिना रजिस्ट्री कराई हुई अन्य सस्था ।

(२) इस परिभाषा के द्वारा केवल तीन प्रकार की आय कमाई हुई आय बताई गई है .—

(अ) वेतन,

(ब) व्यापार, पेशा तथा व्यवसाय से लाभ,

(स) अन्य साधनो से प्राप्त होनेवाली आय, जो कर-दाता अपने परिश्रम द्वारा उपार्जित करता है ।

(३) अन्य पुरुषो की वह कर-योग्य आय, जो आय-कर कानून की धारा १६ (३) (ए) के अनुसार कर-दाता की संपूर्ण आय में सम्मिलित की जाती है\*—

(४) जो आय धारा १४ (२) (जिसके अनुसार बिना रजिस्ट्री की हुई फर्म से लाभ या किसी बिना रजिस्टर्ड एसोसियेशन में प्राप्त लाभ जिस पर कर लग चुका है) के अनुसार या धारा ६० के अन्तर्गत विज्ञप्ति द्वारा कर-मुक्त है उनपर 'कमाई हुई आय' की छूट नहीं मिलती ।

\* कर-दाता की पत्नी और कर-दाता के नाबालिग बालक की आय, जो उन्हें उसी फर्म से प्राप्त होती हों, जिसमें कर-दाता स्वयं साझेदार हैं, कर-दाता की कुल आय में सम्मिलित होंगी । परन्तु ऐसा तभी किया जायगा जब कि पत्नी के हिस्से की पूंजी, जो उस फर्म में लगी हुई है, कर-दाता ने स्वयं अपने पास से देकर लगाई हो किन्तु (पत्नी के हिस्से की) यह पूंजी सम्बन्धविच्छेद होने के कारण या अन्य किसी प्रकार के उसे (पत्नी को) सृभावजे के रूप में न मिली हो । इसी प्रकार नाबालिग बालक की आय उसी समय जोड़ी जायगी जब कि फर्म में लगी हुई उसके हिस्से की पूंजी कर-दाता ने बालक को किसी प्रकार से मुआवजा देने के रूप में देकर न लगाई हो । [धारा १६ (३) (अ) ]

### वेतन पर "कमाई हुई आय" की छूट

कमाई हुई आय की छूट उस सब रकम पर मिलती है जो आय-कर की धारा ७ की दृष्टि से वेतन समझी जाती है। कमाई हुई आय की छूट निर्धारित करने के लिए स्वीकृत प्राविडेंट फंड में मालिक द्वारा दिया गया चन्दा तथा कर-दाता के प्राविडेंट फंड पर मिला व्याज भी वेतन में सम्मिलित कर लिया जाता है। यह बात अध्याय ६ में दिये गये उदाहरणों से स्पष्ट होगी।

### व्यापार के लाभ से कमाई हुई आय की छूट

साधारणतः व्यापार के लाभ पर कमाई आय की छूट तभी मिल सकती है जब कि कर-दाता स्वयं भी उस व्यापार का काम करता हो परन्तु ऐसी अवस्था में जब कि व्यापार का कुछ काम कर्मचारियों द्वारा किया जाता हो कर-दाता को कमाई आय की छूट मिलती है। यदि व्यापार का संचालन कोर्ट ऑफ वार्ड्स या ट्रस्टीज द्वारा होता हो तो कर-दाता को कमाई हुई आय की छूट नहीं मिलेगी।

रजिस्टर्ड साझेदारी फर्म से प्राप्त आय पर किसी साझेदार को तभी कमाई हुई आय की छूट मिल सकती है जब कि उसने फर्म में काम किया हो अन्यथा नहीं। किसी फर्म के साझेदार को (यदि उसने फर्म के काम में हिस्सा लिया है) उसकी स्त्री और नाबालिग बालक के उसी फर्म से प्राप्त हिस्से पर भी, जो उसकी कुल आय में सम्मिलित होता है, कमाई आय की छूट मिल सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई व्यक्ति किसी फर्म का सक्रिय साझेदार है, तो उसको अपने लाभ पर ही नहीं अपितु अपनी स्त्री और नाबालिग बालक के हिस्से पर भी कमाई आय की छूट मिलेगी—यदि उसकी स्त्री या बालक का हिस्सा उसकी कुल आय में धारा १६ (३) (अ) के अनुसार सम्मिलित किया जाना है।

## कमाई हुई आय की छूट निकालना

धारा १५ (अ) के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि कमाई हुई आय की छूट, जिसपर आय-कर नहीं लगेगा, प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा पास किए गए फाइनेस ऐक्ट द्वारा निश्चित की जाया करेगी। कमाई हुई आय की छूट, जो इस प्रकार दी जाती है, केवल आय-कर से मुक्त है अतिरिक्त-कर से नहीं। आय-कर की दर निकालने के लिए कमाई हुई आय की छूट (Earned Income Allowance) की रकम कुल आय में से कम कर दी जाती है परन्तु अतिरिक्त-कर (Super-Tax) निकालने के लिए यह छूट नहीं दी जाती। इस प्रकार घटी हुई कुल आय पर ही कर-दाता को कर देना पड़ता है। यह छूट सिर्फ आय-कर की दर निकालने के लिए ही काम में ली जाती है और अन्य कार्यों के लिए कुल आय को ही काम में लिया जाता है। उदाहरणार्थ, वीमे या प्राविडेंट फंड की छूट की रकम में मालूम करने के लिए हम कुल आय को ही आधार मानते हैं घटी हुई आय को नहीं।

१९५३ के फाइनेस ऐक्ट में यह व्यवस्था है कि ३१ मार्च १९५४ को समाप्त होनेवाले वर्ष की कर-योग्य आय निकालते समय कमाई हुई आय का  $\frac{1}{4}$  भाग करदाता की सकल आय में से घटा दिया जायगा, परन्तु इस प्रकार घटाई जानेवाली छूट किसी भी स्थिति में ४०००) से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह भी व्यवस्था की गई है कि —

- (१) यदि कर-दाता की सकल आय, कमाई हुई आय की छूट घटाने से पहले ४,२००) से अधिक न हो तो उस सकल आय पर आय-कर नहीं लिया जायगा। (संयुक्त हिन्दू परिवार में यह सीमा ८,४००) रखी गई है)
- (२) कमाई हुई आय की छूट घटाने से पहले करदाता की सकल आय ४,२००) से (संयुक्त हिन्दू परिवार के साथ ८,४००) से) जितनी

अधिक होगी, आय-कर किसी भी परिस्थिति में, उस आधिक्य के आधे से अधिक नहीं होगा ।

(३) आय-कर निम्न दो विधियों के अनुसार निकाली हुई रकमों में से, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा —

(अ) वह राशि जिसका ४,२००] [संयुक्त हिन्दू परिवार में ८,४००]] (non-taxable limit) से अधिक रकम के आधे के साथ वह अनुपात है जो घटाई हुई (कमाई हुई आय की छूट घटाकर) रकम का सकल आय के साथ है ।

(ब) सकल आय में से कमाई हुई आय की छूट घटाकर निकाली हुई आय की रकम पर निश्चित दर से निकाला हुआ कर ।

उदाहरण:—अ की ३१ मार्च १९५४ को समाप्त होनेवाले वर्ष की वेतन आय ४,३००] है तो उसको १९५४-५५ में कितना कर देना पड़ेगा ?

वेतन की कुल आय	४,३००]
घटाओ कमाई आय की छूट $\frac{१}{६}$	<u>८६०]</u>
कर-योग्य आय	३,४४०]

उसको ३,४४०] पर उसकी सकल आय अर्थात् ४,३००] पर कुल कर के अनुपात में कर देना पड़ेगा । ४,३००] पर कुल कर ५०] है क्योंकि यह ४,२००] से अधिक अर्थात्  $(४,३००-४,२००) = १००$  का  $\frac{१}{६}$  है । इसलिए उसको ३,४४०] पर ५०] कर देना पड़ेगा ।

३००] पर ५०] तो ३४४०] पर ५० का  $\frac{१}{६}$  अर्थात् ५०] ।

दूसरी विधि के अनुसार अर्थात् ३४४०] पर निश्चित आय-कर की दर से ६०] कर होता है । इसलिए दोनों विधियों में से जो कर की रकम कम है वही देनी होगी अर्थात् ५०] ही कर लिया जायगा ।

## अध्याय ४

### आय-कर-दायित्व

#### (INCOME-TAX LIABILITY)

जैसा कि आय-कर के नाम से मालूम होता है यह कर आय पर लगता है चाहे वह आय वास्तविक आय हो या कल्पित आय हो। यह कर कर-दाता की ही आय पर निर्धारित किया जाता है और कर-दाता से ही वसूल किया जाता है। इनकमटैक्स ऐक्ट में 'आय' (Income) की कोई परिभाषा नहीं दी गई है परन्तु इसमें यह निश्चित कर दिया गया है कि कर-दाता की कुल आय मालूम करने के लिए कौन-कौनसी रकमें जोड़ी जानी चाहिये और कौनसी नहीं।

इनकमटैक्स ऐक्ट की धारा ३ के अनुसार आय-कर प्रत्येक कर-दाता से जो कोई भी व्यक्ति, सयुक्त हिन्दू परिवार, कम्पनी, स्थानीय सभा, फर्म या फर्म का व्यक्तिगत साझेदार, अन्य जन-मंडल (Association of persons) या उसका व्यक्तिगत सदस्य हो सकता है, उसकी गत वर्ष की कुल आय पर, वार्षिक फाइनेस ऐक्ट द्वारा निर्धारित की हुई आय-कर दरों के अनुसार लिया जाता है।

धारा २ (१५) के अनुसार कुल आय (Total Income) का अर्थ उस आय, नफे या लाभ की मात्रा से है जिसका वर्णन धारा ४ (१) में किया गया है और जिसका (कुल आय का) निर्धारण इनकमटैक्स ऐक्ट में दी हुई विधि से किया गया है। वास्तव में देखा जाय तो किसी भी कर-दाता की कुल आय मालूम करने के लिए उसके निवास-स्थान के संबंध में ज्ञान होना परमावश्यक है जिसका विवरण इसी अध्याय में दिया जावेगा।



इसी धारा के अनुसार कुल विश्व आय (Total World Income) का अर्थ उस समस्त आय, नफे या लाभो से है जो कही पर भी (देश या विदेश में) कमाये या उपार्जित किये गये है सिवा उस आय के जिसपर धारा ४ (३) के अनुसार भारतीय इनकमटैक्स ऐक्ट लागू नहीं होता है या उन पूजीगत लाभो के जो कुल आय में सम्मिलित नहीं किये जाते हैं।

धारा ४ (१) के अनुसार कर-दाता का आय-कर-दायित्व उसके निवास-स्थान पर निर्भर करता है। कर-दाता निवास-स्थान के अनुसार दो प्रकार के हो सकते हैं। प्रथम, निवासी (Resident), और द्वितीय परदेशी (Non-resident)। निवासी के फिर दो भेद किये गये हैं— (१) पक्का निवासी (Resident and Ordinarily Resident) और (२) कच्चा निवासी (Resident but Not Ordinarily Resident)। इस प्रकार कुल कर-दाता तीन श्रेणियों में विभाजित किये जा सकते हैं— (१) पक्का निवासी (Resident & Ordinarily Resident), (२) कच्चा निवासी (Resident but Not Ordinarily Resident), (३) परदेशी (Non-resident)।

(१) व्यक्ति का निवास-स्थान—(Residence of an Individual)—भारतीय आय-कर कानून की धारा ४ ए के अनुसार कोई भी व्यक्ति गत वर्ष में भारतीय कर-क्षेत्र (Indian Taxable Territories) का निवासी (Resident) तभी समझा जावेगा जब कि—

- (१) वह उस वर्ष में टैक्स लगनेवाले क्षेत्र (Taxable Territories) में १८२ दिन या इससे अधिक दिनों तक रहा हो, या
- (२) उसने उस वर्ष में टैक्स लगनेवाले क्षेत्र में १८२ या इससे अधिक दिनों तक कोई रहने का मकान या निवास-स्थान रखा हो और उस वर्ष में वह किसी भी समय टैक्स लगनेवाले क्षेत्र में आया हो, या

- (३) वह गत चार वर्षों के अन्दर एक बार या कई बार मिलाकर टैक्स लगनेवाले क्षेत्र में ३६५ दिन या इससे अधिक दिन रहा हो और उस वर्ष में किसी भी समय टैक्स लगनेवाले क्षेत्र में आया हो परन्तु उसका इस प्रकार का आना सयोगवश या आकस्मिक (casual visit) नहीं होना चाहिये। यदि कोई व्यक्ति घूमने के लिए, विवाहोत्सव पर या चिकित्सा इत्यादि के लिए टैक्स लगनेवाले क्षेत्र में आये तो यह सयोगवश आना ही माना जायेगा, या
- (४) वह उस वर्ष में किसी भी समय टैक्स लगनेवाले क्षेत्र में आया हो और इनकमटैक्स आफिसर को यह निश्चय हो जाय कि वह व्यक्ति कर लगनेवाले क्षेत्र में तीन साल से कम नहीं रहेगा।

वह व्यक्ति जिसको ऊपर लिखी शर्तों में से कोई भी शर्त लागू नहीं होती आय-कर के लिए परदेशी माना जाता है। परन्तु यदि कोई व्यक्ति इनमें से किसी भी एक शर्त के लागू होने के कारण कर-क्षेत्र का निवासी समझा गया है, तो ऐसा व्यक्ति यदि निम्नलिखित दो और शर्तों को पूरा नहीं कर सके तो वह कच्चा निवासी (Resident but Not Ordinarily Resident) कहलायेगा और यदि वह निम्नलिखित दोनों शर्तों को भी पूरा करता है तो पक्का निवासी (Resident and Ordinarily Resident) समझा जायगा :—

- (१) वह गत दस वर्षों में कम से कम ६ वर्ष तक टैक्स लगनेवाले गई शर्तों के क्षेत्र का निवासी (Resident) रहा हो (ऊपर बताई गई शर्तों के अनुसार); और
- (२) वह गत ७ वर्षों में कम से कम २ वर्षों से अधिक (for periods amounting in all to more than two years) कर-क्षेत्र में रहा हो।
- (२) हिन्दू संयुक्त परिवार का निवास-स्थान :—हिन्दू संयुक्त

परिवार का निवास-स्थान निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित नियम लागू होते हैं .—

- (क) यदि किसी परिवार का प्रबन्ध और नियन्त्रण पूर्णतया कर-क्षेत्र से बाहर हो तो ऐसा परिवार विदेशी माना जायगा,
- (ख) यदि किसी परिवार के प्रबन्ध और नियन्त्रण का कोई भी अंश कर-क्षेत्र में है तो ऐसा परिवार 'कच्चा, निवासी' माना जावेगा ।
- (ग) परिवार के पक्का निवासी माना जाने के लिए यह आवश्यक है कि उसका कर्ता (Head) कर-क्षेत्र का पक्का निवासी हो ।

(३) फर्म या अन्य जन-मण्डल का निवास-स्थान :—इनकमटैक्स ऐक्ट की धारा ४ ए (बी) के अनुसार यदि फर्म या अन्य जन-मण्डल का समस्त प्रबन्ध या नियन्त्रण कर लगनेवाले क्षेत्र के बाहर से न होता हो तो उसको कर लगनेवाले क्षेत्र का निवासी कहा जाता है और जो फर्म या अन्य जन-मण्डल कर लगनेवाले क्षेत्र के निवासी मान लिये जाते हैं वे धारा ४ बी (सी) के अनुसार स्वत ही कर लगनेवाले क्षेत्र के पक्के निवासी मान लिये जाते हैं ।

(४) कम्पनी का निवास-स्थान —इनकमटैक्स ऐक्ट की धारा ४ ए (सी) के अनुसार कम्पनी उस वर्ष के लिए कर लगनेवाले क्षेत्र की निवासी समझी जावेगी जिस वर्ष में .—

- (क) उसका प्रबन्ध या संचालन पूर्ण रूप से कर लगनेवाले भाग में रहा हो, या
- (ख) पूजोगत लाभ ( Capital Profits ) को छोड़कर कम्पनी की बाकी आय जो उस वर्ष में कर लगने वाले भाग में हुई है उस आय से जो टैक्स लगनेवाले भाग के बाहर हुई है, अधिक हो । धारा ४ बी (सी) के अनुसार यदि कोई कम्पनी कर

लगनेवाले क्षेत्र की निवासी है तो वह उस कर लगनेवाले क्षेत्र की पक्की निवासी समझी जायेगी ।

यहां पर यह ध्यान देने योग्य है कि कर-दाता की स्थिति प्रति वर्ष निवास-स्थान के अनुसार बदलती रहती है । यदि वह किसी एक वर्ष में निवासी है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह दूसरे वर्ष भी निवासी ही रहेगा । इसी प्रकार एक ही कर-दाता अपने भिन्न-भिन्न व्यापारों के भिन्न-भिन्न व्यापारिक वर्षों के अनुसार भिन्न-भिन्न स्थितियों में कर दे सकता है । एक व्यापार के लिए वह कच्चा निवासी तथा दूसरे के लिए पक्का निवासी हो सकता है ।

उदाहरण — (१) एक व्यक्ति १५ वर्ष तक कर-क्षेत्र में रहकर ३० मार्च १९४८ को लंदन चला गया और १५ फरवरी १९५१ को फिर कर-क्षेत्र में लौट आया और भारत-सरकार की पंच वर्षीय समझौते पर नौकरी करने लगा ।

सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ असेसमेंट वर्षों में उसका निवास-स्थान किस प्रकार होगा ?

सन् १९५०-५१—यह व्यक्ति इस वर्ष में कुछ समय के लिए (१५ फरवरी से ३१ मार्च १९५१ तक) कर-क्षेत्र में रहा था और पिछले चार वर्षों में (१९४६-४७ से १९५०-५१) में ३६५ दिन से अधिक कर-क्षेत्र में रह चुका था इसलिए वह कर-क्षेत्र का निवासी समझा जायगा परन्तु वह कच्चा निवासी ही रहेगा क्योंकि वह पक्का निवासी होने की पहली शर्त पूरी नहीं करता । (वह पिछले १० वर्षों में से ९ वर्ष कर-क्षेत्र का निवासी नहीं रहा है)

सन् १९५१-५२—असेसमेंट वर्ष के लिए वह कर-क्षेत्र का निवासी होगा क्योंकि वह पांच साल तक भारत में रहनेवाला है परन्तु वह कच्चा निवासी ही रहेगा क्योंकि वह पक्का निवासी होने की पहली शर्त पूरी नहीं करता ।

(२) 'क' मलाया में व्यापार करता है। उसका भारतीय कर-क्षेत्र में कोई निवासस्थान नहीं है परन्तु वह अपने सबधियों से मिलने के लिए प्रतिवर्ष भारतीय कर लगनेवाले क्षेत्र में आता रहता है। वह २०-२५ दिन भारतीय कर-क्षेत्र में ठहरकर वापस मलाया चला जाता है।

ऐसी स्थिति में 'क' भारतीय कर-क्षेत्र का निवासी नहीं कहा जा सकता है। वह परदेशी (Non-resident) माना जायगा।

(३) एक कंपनी को, जिसका प्रधान कार्यालय लंदन में है, भारतीय कर लगनेवाले क्षेत्र से पूजागत लाभ को छोड़कर अन्य आय ५०,०००) सन् १९५०-५१ में हुई और इंग्लैण्ड में उसकी उसी वर्ष की कुल आय ३०,०००) हुई है तो कंपनी की क्या स्थिति (Status) होगी ?

क्योंकि इस कंपनी की ५० प्रतिशत से अधिक आय भारतीय कर लगनेवाले क्षेत्र से हुई है इसलिए यह कंपनी भारतीय कर-क्षेत्र की निवासी (Resident) मानी जावेगी और वह भी पक्का निवासी (Resident and Ordinarily Resident)।

(४) 'क' एक भारतीय व्यापारी है। वह अपना व्यापार ईरान में करता है परन्तु उसका भारतीय कर-क्षेत्र में पैतृक मकान है जिसे सभालने के लिए वह भारत में प्रतिवर्ष करीब २ महीने आता है।

इस स्थिति में 'क' भारत का कच्चा निवासी (Resident but Not Ordinarily Resident) ही होगा क्योंकि वह गत सात वर्षों में कर लगनेवाले क्षेत्र में २ वर्ष से अधिक नहीं रहा है।

भिन्न-भिन्न करदाताओं को उनके भिन्न-भिन्न निवास-स्थान के अनुसार भिन्न-भिन्न आयों पर भारतीय कर देना पड़ता है। प्रत्येक प्रकार के कर-दाता का उसके निवास-स्थान के अनुसार आय-कर-दायित्व निम्नप्रकार होता है .—

(१) पक्के निवासी का दायित्व (Liability of Resident

and Ordinarily Resident) —इस प्रकार के कर-दाता को निम्नप्रकार की आयो पर कर देना पडता है .—

(क) उस समस्त आय पर जो कर लगनेवाले क्षेत्र मे प्राप्त हुई है या उत्पन्न हुई है अथवा जिसका प्राप्त होना या उत्पन्न होना कर लगनेवाले क्षेत्र मे समझा गया है ।

(ख) उस समस्त आय पर जो कर लगनेवाले क्षेत्र मे उपार्जित या पैदा की गई है अथवा जिसका उपार्जन या पैदा होना कर लगनेवाले क्षेत्र मे माना गया है ।

(ग) उस समस्त आय पर जो कर लगनेवाले क्षेत्र के बाहर, कर-दाता ने १ अप्रैल १९३३ को या इसके बाद और गत वर्ष से पूर्व पैदा या उत्पन्न की है और जो गत वर्ष मे कर लगनेवाले क्षेत्र मे लाई गई हो ।

परन्तु ऐसी आय आय-कर से सर्वथा मुक्त होगी और दर निश्चित करने के लिए भी कुल आय मे नही जोडी जायगी । यदि :—

(१) यह आय कर-क्षेत्र मे २ सितम्बर १९५१ से १ अप्रैल १९५४ तक लाई जावे । और

(२) उस लाई हुई रकम का आधा रुपया कर-क्षेत्र मे आने की तिथि से तीन मास के भीतर केन्द्रीय तथा प्रातीय सरकार की सिक्को-रीटियो को रिजर्व बैंक की मार्फत खरीदने मे खर्च किया गया हो और ऐसी सिक्कोरीटिया कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए रिजर्व बैंक मे जमा कर दी गई हो । और

(३) ऐसी रकम के प्राप्त करनेवाले ने रुपया कर-क्षेत्र मे प्राप्त करने की तिथि से तीन मास के अन्दर अपना कर, कर-व्याज तथा जुर्माना (जो भी रुपया शेष हो) सरकार को चुका दिया हो ।

(घ) उस समस्त आय पर जो कर-दाता ने कर लगनेवाले क्षेत्र के बाहर विदेशो में गत वर्ष मे उत्पन्न की है परन्तु जो कर लगने

वाले क्षेत्र में नहीं लाई गई है तो उस आय में से ४५,००) को कम करके वही आय को कर-दाता की मर्यादा आय में कर के लिए सम्मिलित कर लिया जाता है और इसपर उनसे कर लिया जावेगा ।

(इ) उस समस्त आय को जो रियासत जन्तू व काम्नीर में पैदा हुई है परन्तु कर-क्षेत्र में नहीं लाई गई है कर-दाता की कुल आय में आय-कर दर निश्चानने के लिए जोड़ा जाता है परन्तु यह आय अल्पया आय-कर से सर्वथा सूक्त है ।

(२) लन्दे निवासी का दायित्व (Liability of Resident but Not Ordinarily Resident) :— इस प्रकार के कर-दाता को निम्न प्रकार की आयों पर कर देना पड़ता है:—

(क) उस समस्त आय पर जो कर लगनेवाले क्षेत्र में प्राप्त हुई है या उत्पन्न हुई है अथवा जिसका प्रान्त होना या उत्पन्न होना कर लगने वाले क्षेत्र में सम्झा गया है ।

(ख) उस समस्त आय पर जो कर लगनेवाले क्षेत्र में उर्जाजित या पैदा की गई है अथवा जिसका उर्जाजन या पैदा होना कर लगनेवाले क्षेत्र में माना गया है ।

(ग) उस समस्त आय पर जो कर लगनेवाले क्षेत्र के बाहर कर-दाता ने १ अप्रैल १९३३ के बाद और गत वर्ष के पूर्व पैदा या उत्पन्न की है और जो गत वर्ष में कर लगनेवाले क्षेत्र में लाई गई है ।

परन्तु यदि ऐसा कर-दाता गत वर्ष से पहले तीन वर्षों में से किन्हीं दो वर्षों में विदेशी रहा हो तो वह यदि उस आय को जो उसने १९३३ के बाद और गत वर्ष के पूर्व कर-क्षेत्र के बाहर पैदा या उत्पन्न की हो कर-क्षेत्र में लावे तो ऐसी आय २१ मार्च १९५१ को समाप्त होनेवाले गत वर्ष के बाद के किसी वर्ष में भी उसकी कुल आय में नहीं जोड़ी जायगी ।

(घ) उस विदेशी आय में से, जो कर-दाता ने कर लगनेवाले क्षेत्र

से संचालित व्यापार या कर लगनेवाले क्षेत्र में स्थापित पेशा व व्यवसाय से उत्पन्न की है, ४५००) घटाकर शेष कर-दाता की कुल आय में सम्मिलित कर दी जावेगी और इसपर कर लगेगा ।

(ड) वह आय जो रियासत जम्मू और काश्मीर में कर लगनेवाले क्षेत्र से संचालित व्यापार या उसमें स्थापित पेशा या व्यवसाय से हुई है परन्तु कर लगनेवाले क्षेत्र में नहीं लाई गई है, कर-दाता की संपूर्ण आय में केवल आय-कर की दर निकालने के लिए जोड़ी जाती है अन्यथा यह आय आय-कर से मुक्त है ।

(३) परदेशी का दायित्व (*Liability of Non-Resident*):—परदेशी आय-करदाता की गत वर्ष की संपूर्ण आय मालूम करने के लिए निम्नलिखित आयों को सम्मिलित किया जाता है:—

(क) वह समस्त आय जो कर लगनेवाले क्षेत्र में प्राप्त हुई है या जिसका प्राप्त होना कर लगनेवाले क्षेत्र में माना गया है ।

(ख) वह समस्त आय जो कर लगनेवाले क्षेत्र में उपार्जित या उत्पन्न की गई है या जिसका उपार्जन या पैदा होना कर लगनेवाले क्षेत्र में माना गया है ।

एक परदेशी को अपनी विदेशी आय पर, चाहे वह उसे कर लगनेवाले क्षेत्र में भी ले आये, भारतीय आय-कर नहीं देना पड़ता है । परन्तु यहां पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि एक परदेशी की संपूर्ण विश्व-आय (*Total World Income*) को मालूम करने के लिए उसकी विदेशी आय भी बिना किसी ४५०० रु० की छूट के उसकी अन्य आय में सम्मिलित कर ली जायगी । परदेशी पर आय-कर की दरे संपूर्ण विश्व-आय के आधार पर निश्चित की जाती हैं ।

पार्ट बी स्टेटों की आय पर कर:—२६ जनवरी १९५० से भारत का क्षेत्र पार्ट ए स्टेटो, पार्ट बी स्टेटो तथा पार्ट सी स्टेटो से बना हुआ



माना जाता है। पहले बहुत-सी पार्ट वी स्टेटो (पुरानी भारतीय रियासते जो अब भारत में सम्मिलित हो गई हैं) में कोई आय-कर नहीं था, परन्तु अब केन्द्रीय सरकार की एक विशेषज्ञा ( Order ) द्वारा इनमें भी कर लगा दिया गया है। यद्यपि आय-कर और अतिरिक्त-कर ( Super-Tax ) की स्टेट-दरें ( States Rates ) अभी बहुत कम रखी गई हैं परन्तु धीरे-धीरे वे बढ़ा दी जावेगी।

एक व्यक्ति को, जो पार्ट ए स्टेट या पार्ट सी स्टेट का कच्चा या पक्का निवासी है और यदि उसकी आय इन दोनों स्टेटो के अतिरिक्त पार्ट वी स्टेट में भी होती है तो उसे निम्न प्रकार से आय-कर देना पड़ेगा —

(क) उसकी समस्त आय पर जो कमाई हुई आय ( Earned Income) के घटाने के बाद बचती है, भारतीय दरों (Indian rates) से टैक्स निकाला जावेगा और उसके उपरान्त औसत दर को भारतीय औसत आय-कर दर कहा जावेगा। इसी प्रकार उसकी समस्त आय पर स्टेट दर से टैक्स निकाला जावेगा और उसके उपरान्त औसत दर निकाली जावेगी और इस दर को स्टेट औसत दर कहा जावेगा।

(ख) अब पार्ट वी स्टेट की आय पर प्रथम बार तो भारतीय औसत दर से टैक्स मालूम किया जावेगा और दुबारा स्टेट औसत दर से। पहली दर से निकाला हुआ टैक्स दूसरी दर से निकाले हुए टैक्स से जितना अधिक होगा वह छूट के रूप में कुल टैक्स में से जो भारतीय प्रथम रीति से निकाला गया है, कम कर दिया जावेगा। बचा हुआ टैक्स ही कुल आय पर लगने-वाला टैक्स होगा। इसी टैक्स की नई औसत दर से जीवन बीमा की प्रीमियम आदि पर छूट दी जायगी।

विदेशी आय पर कर (Taxation of Foreign Income):— यह विदेशी आय दो जगहों से हो सकती है। प्रथम रियासत जम्मू और काश्मीर से और द्वितीय अन्य विदेशों से।

(क) रियासत जम्मू और काश्मीर की आय :—आय-कर कानून की धारा १४(२) (स) के अनुसार इस रियासत में पैदा होनेवाली आय पर (सिवा भारत सरकार व अन्य राज्यों के कर्मचारियों की आय के) तब तक आय-कर नहीं लगेगा जब तक यह आय कर-देय क्षेत्र (Taxable Territories) में न भेज दी जावे, परन्तु यह आय कर-दाता की अन्य आमदनी में कर की दर मालूम करने के लिए जोड़ी जाती है। यदि कर-दाता परदेशी (Non-Resident) है तो यह आय उसकी कुल विश्व-आय में जोड़ी जाती है। परन्तु जहां तक एक पक्के निवासी (Resident and Ordinarily Resident) का संबंध है, देशी रियासत की कुल आय (४५०० रु० की छूट देकर, यदि यह छूट अन्य विदेशी न लाई हुई आय से न मिल सकी हो तो) जो उसने कर देय-क्षेत्र में नहीं भेजी है, उसकी कुल आमदनी में कर की दर निर्धारित करने के लिए जोड़ दी जावेगी। परन्तु एक कच्चा निवासी (Resident but Not Ordinarily Resident) की देशी रियासत की वही आय, जो कर-देय क्षेत्र में नहीं लाई गई है और जो उसे करदेय क्षेत्र से संचालित व्यापार या इसमें स्थापित पेशे या व्यवसाय से प्राप्त हुई है, उसकी कुल आमदनी में जोड़ी जावेगी।

परन्तु इस छूट का आय-कर कानून की धारा ४ (१) के तीसरे उप-नियम के अनुसार ४५०० रु० की घटोतरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह ४५०० रु० की घटोतरी प्रथम तो विदेशों में पैदा हुई आय से मिलेगी और उसके बाद में रियासत जम्मू और काश्मीर में पैदा की हुई आय में से।

यह रियासती आय केवल आय-कर तथा अतिरिक्त कर (Super-tax) की दरें जानने के लिए, जो बाकी आमदनी पर लगेगी, आय-कर-दाता की कुल आमदनी में जोड़ दी जाती है। परन्तु देशी रियासत में पैदा हुई आय, जो पहले कर की दरें निकालने के लिए कुल आमदनी में

सम्मिलित कर ली गई थी, यदि अब किसी आगामी वर्ष में करदेय क्षेत्र में भेज दी जाती है तो उसपर भी आय-कर लगेगा, परन्तु इस अवस्था में आय-कर की दरें निम्नलिखित दो नियमों के अनुसार मालूम की जावेंगी और जो दर अधिक होगी वह लागू होगी ।

(१) जम्मू और काश्मीर रियासत से भेजी हुई जो आय है उसी को कुल आमदनी मानकर आय-कर दरें निश्चित कर ली जावे, या

(२) आय-कर-दाता की अन्य कुल आमदनी, जो इस रियासत से भेजी हुई आमदनी के घटाने के पश्चात् बचती है, उसे ही उसकी कुल आमदनी मानकर आय-कर की दरें निश्चित कर ली जावें ।

परन्तु इन दोनों दरों में से जो अतिरिक्त कर दे सकेगी उसी दर से कर लगाया जावेगा ।

उदाहरण :—(१) मान लीजिये सन् १९४६-५० में एक आय-कर-दाता की आय ३५,००० रु० कर लगनेवाले क्षेत्र में, ३०,००० रु० देशी रियासत में और १२,००० रु० अफ्रीका में पैदा हुई । करदाता यदि कर लगनेवाले क्षेत्र का पक्का निवासी है तो उसकी कुल आमदनी ४५,००० रु० की घटोतरी १२,००० रु० में से देने के उपरान्त ७२,५०० रु० हुई । यहाँ पर कर-दाता को आय-कर केवल ४२,५०० रु० पर, उस औसत दर से देना पड़ेगा जो ७२,५०० रु० की कुल आमदनी पर निकाली जावेगी ।

(२) मान लीजिये दूसरे वर्ष इस करदाता की कर लगनेवाले क्षेत्र की आय ३२,००० रु०, देशी रियासत में गत वर्ष में पैदा की हुई आय परन्तु इस वर्ष कर लगनेवाले क्षेत्र में भेजी हुई आय ३०,००० रु० और इस वर्ष की देशी रियासत की आय १५,००० रु० है ।

अब इस कर-दाता को ६२,००० रु० पर कर उन दरों से देना होगा जो ४२,५०० रु० (यानी ३२,००० रु० + १५,००० रु० - ४५०० रु०)

पर लागू है क्योंकि इन दरों से अधिक टैक्स मिल सकेगा और ३०,००० रु० पर लागू होनेवाली दर से कम ।

(३) यदि दूसरे प्रश्न में थोड़ी देर के लिए यह मान लिया जावे कि कर लगनेवाले क्षेत्र में उस कर-दाता की आय केवल १०,००० रु० ही है तो उसे इस बार ४०,००० रु० पर कर ३०,००० रु० की गत वर्ष की आय (जो रियासत से भेजी गई है) पर लगनेवाले दरों से देना पड़ेगा । यहाँ पर यदि २०,५०० रु० पर लगनेवाली दरों से कर लिया जाता तो कम पड़ता । इसलिए ३०,००० रु० पर लगनेवाली दरों से कर वसूल किया जावेगा ।

यदि किसी वर्ष देशी रियासत में कोई हानि हो जावे तो यह हानि देशी रियासत की आमदनी से ही पूरी की जा सकती है । यह पूर्ति अधिक से अधिक ६ साल तक उसी व्यापार के लाभ में से की जा सकती है जिसमें हानि रही है अन्य व्यापार में से कभी नहीं ।

(ख) अन्य विदेशी आय — यदि कर-दाता कर लगनेवाले क्षेत्र का पक्का निवासी है तो उसकी न लाई हुई कुल विदेशी आय पर ४५०० रु० की घटोतरी देने के बाद आय-कर लगेगा । परन्तु यदि किसी विदेशी आय पर पहले, जब वह उत्पन्न की गई थी, आय-कर लग चुका है और वही आय अब कर लगनेवाले क्षेत्र में लाई जाती है तो उसपर कोई आय-कर नहीं लगेगा ।

यदि कर-दाता कच्चा निवासी (Resident but not ordinarily resident) है तो उसकी कर-देय-क्षेत्र में न भेजी हुई आय पर तब तक कोई कर नहीं लगेगा जब तक यह आय किसी कर-देय-क्षेत्र से संचालित व्यापार, पेशे या व्यवसाय से न पैदा हुई हो । परन्तु यदि यह आय कर लगनेवाले क्षेत्र में उसी वर्ष आ जावेगी तो इसपर आय-कर लग जावेगा ।

यदि कर-दाता परदेशी (Non-Resident) है तो उसकी विदेशी आय उसकी संपूर्ण विश्व-आय (Total World Income) में उसके आय-कर की दरे मालूम करने के लिए जोड़ दी जावेगी परन्तु इस विदेशी आय पर उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा ।

परन्तु यदि एक परदेशी अपनी ऐसी आमदनी में से, जो उसकी संपूर्ण आय में सम्मिलित न हो, अपनी भारतीय करक्षेत्र की निवासी स्त्री को कोई रकम भेजे तो इस रकम को उस निवासी स्त्री की कुल आय में जोड़ दिया जावेगा और उसे इसपर आय-कर देना पड़ेगा ।

यदि कभी परदेशी को भारतीय करक्षेत्र में हानि हो गई हो तो यह हानि उसकी आगामी वर्षों की भारतीय करक्षेत्र में होनेवाली आय में से ही पूर्ण की जा सकती है । किन्तु यदि विदेश में हानि हुई है तो वह विदेशी आय से ही ६ साल में पूर्ण की जा सकेगी ।

उदाहरण — (१) 'क' को निम्नलिखित आमदनी सन् १९५०-५१ में हुई —

कर लगनेवाले क्षेत्र में व्यापार से प्राप्त आय	२०,००० रु०
रियासत जम्मू और काश्मीर में व्याज से प्राप्त आमदनी जो कर लगनेवाले क्षेत्र में नहीं लाई गई है	१०,००० रु०
अफ्रीका के व्यापार की आय जो भारतीय करक्षेत्र से संचालित किया जाता है (जिसमें से ४,००० रु० करक्षेत्र में लाये गये)	१५,००० रु०
ईरान में स्थित जायदाद की आय जो भारतीय करक्षेत्र में नहीं लाई गई	६,००० रु०

कुल आय ५१,००० रु०

वतलाओ 'क' की कुल आय और कर-योग्य आय (Taxable Income) कितनी होगी यदि 'क' भारतीय करक्षेत्र का (१) पक्का निवासी है, (२) कच्चा निवासी है, या (३) परदेशी है ?

‘क’ का निवास-स्थान के आधार पर सन् १९५१-५२ का  
कर-दायित्व

आय	पक्का निवासी (Ordinary Resident)	कच्चा निवासी (Not Ordinarily Resident)	परदेशी (Non-Resident)
भारतीय कर क्षेत्र में व्यापार से कमाई हुई आय	२०,०००]	२०,०००]	२०,०००]
अफ्रीका के व्यापार से भारत में लाई हुई आय	४,०००]	४,०००]	
अन्य विदेशी आय (४५००] से अधिक) जो भारत में नहीं लाई गई है [अफ्रीका ११०००] + ईरान ६०००]-४५००]	१२,५००]	६,५००]	
रियासत जम्मू और काश्मीर से नहीं लाई हुई आय जो कर से मुक्त है परन्तु इनकमटैक्स की दर निकालने के लिए कुल आय में जोड़ी जाती है	१०,०००]		
कुल आय	४६,५००]	३०,५००]	२०,०००]
छूट कमाई हुई व्यापार की आय का ६ हिस्सा	४,०००]	४,०००]	४,०००]
कुल कर-योग्य आय	४२,५००]	२६,५००]	१६,०००]
			३१,०००]
कुल विश्व-आय(परदेशी के लिए)			४७,०००]

नोट :—(१) यदि 'क' पक्का निवासी है तो वह ३२,५०० रु० पर [अर्थात् कुल करयोग्य आय में से रियासत जम्मू और काश्मीर की आय को घटाकर (४२,५०० रु० - १०,००० रु०)] ४२,५०० रु० की दर से टैक्स देगा ।

(२) यदि 'क' कच्चा निवासी है तो प्रथम तो उसकी कुल आय में केवल वही विदेशी न लाई हुई आय जोड़ी जावेगी जो उस व्यापार से हुई है जो भारतीय करक्षेत्र से संचालित है। इस स्थिति में 'क' अपनी २६,५०० रु० की आय पर २६,५०० रु० पर लगनेवाली दर से ही टैक्स देगा ।

(३) 'क' यदि परदेशी है तो वह अपनी भारतीय आय १६,००० रु० पर ४७,००० रु० की दर से टैक्स देगा ।

## अध्याय ५

### आय-कर से छूटे

#### (EXEMPTIONS FROM INCOME-TAX)

(क) ऐसी आय जो आय-कर तथा अतिरिक्त-कर से पूर्णतया मुक्त है और जो कुल आय में दर निश्चित करने के लिए भी न जोड़ी जाएं —

(१) धार्मिक या पुण्यार्थ जायदाद की आय :—उस जायदाद की आय इनकमटैक्स तथा अतिरिक्त-कर (Super-Tax) से सर्वथा मुक्त है जो ट्रस्ट (Trust) या अन्य वैधानिक उत्तरदायित्वो (Legal Obligations) के द्वारा धर्मार्थ या पुण्यार्थ कार्यों के लिए रखी जाती हो। ऐसी आय या तो उसी वर्ष धर्मार्थ कार्यों में लगा दी गई हो या आगामी वर्षों में होनेवाले कार्यों के लिए रख दी गई हो। परन्तु यह आवश्यक है कि धर्म का कार्य कर-क्षेत्र में ही हो। यदि कोई ट्रस्ट या धार्मिक सस्था जो १९५३ के आयकर सशोधन ऐक्ट के पास होने से पूर्व स्थापित हुई हो और जिसकी आय कर-क्षेत्र के बाहर धार्मिक कामों में खर्च हो तो ऐसी सस्थाओं की आयों को सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यदि चाहे तो कर-मुक्त करार दे सकता है।

इस सम्बन्ध में एक बात विशेषकर याद रखने योग्य है। किसी ट्रस्ट या धार्मिक सस्था की आय कर-मुक्त तबही होगी जब निम्न शर्तें पूरी हों —

(क) यह ट्रस्ट या सस्था अखण्डनीय (Irrevocable) हो।

(ख) ट्रस्ट बनानेवाले का ट्रस्ट की गई जायदाद पर न तो किसी प्रकार का अधिकार रहे और न उसे उससे किसी प्रकार का लाभ हो।

यदि भारतीय विद्यार्थियों को जो विदेशों में शिक्षा पाते हैं किसी ट्रस्ट



से कोई छात्रवृत्ति (Scholarship) मिलता हो तो ट्रस्ट की यह आय जो इस काम से आती है कर-मुक्त होगी, यदि यह सिद्ध हो जाय कि यह शिक्षा देश के लिए हितकर सिद्ध होगी ।

यदि कुल आमदनी इन कार्यों के लिए नहीं रखी जाती है तो इस अवस्था में आमदनी का वह भाग ही करमुक्त होता है जो इन कार्यों के लिए रखा जाता है ।

(२) धार्मिक या पुण्यार्थ संस्थाओं के व्यापार की आय :—यदि कोई धार्मिक या पुण्यार्थ संस्था अपने व्यापार से कोई आय प्राप्त करे और यदि यह आय संस्था द्वारा धर्म और पुण्य कार्य में ही लगाई जावे तो वह व्यापारिक आय भी कर से सर्वथा मुक्त होगी और न यह कुल आय में ही जोड़ी जावेगी ।

(३) धार्मिक या पुण्यार्थ संस्था द्वारा प्राप्त चन्दा :—यदि किसी धार्मिक या पुण्यार्थ संस्था में चन्दा जनता अपनी स्वेच्छा से देती है और यदि यह चन्दा पूर्णतया धार्मिक या पुण्यार्थ कार्यों में खर्च किया जाता है तो यह चन्दा भी आय-कर और अतिरिक्त कर से सर्वथा मुक्त है ।

(४) स्थानीय सत्ता की आय (Income of local authorities) —स्थानीय सत्ता का वह लाभ, जो उसकी सीमा में किये हुए कार्यों से प्राप्त होता है, सर्वथा कर-मुक्त है । किन्तु सीमा के बाहर की हुई सेवाओं से प्राप्त लाभ पर कर लगेगा ।

(५) प्रोविडेंट फण्ड की सिक्योरिटियों का व्याज :—यदि १९२५ के भारतीय प्रोविडेंट फण्ड कानून के अनुसार बनाये हुए प्रोविडेंट फण्ड की सिक्योरिटियों से व्याज प्राप्त होता है तो वह भी कर से सर्वथा मुक्त है ।

(६) विशेष भत्ता :—यदि कर्मचारी को यह भत्ता मालिक द्वारा विशेष उद्देश्य के लिए दिया गया है और यह रकम कर्मचारी ने अपना

कर्तव्य पूर्ण करने में ही खर्च की हो तो इस भत्ते की रकम भी कर से सर्वथा मुक्त है ।

(७) आकस्मिक आय (Casual Income) — ऐसी आय आकस्मिक मानी जाती है जो निम्नलिखित दोनों नियमों की पूर्ति करे —

(१) वह आय किसी व्यापार, पेशा इत्यादि द्वारा न कमाई गई हो

(२) करदाता को यह आय आकस्मिक प्राप्त हो गई हो और उसके बार-बार मिलने की संभावना न हो ।

आकस्मिक आय आय-कर से पूर्णतया मुक्त है ।

उदाहरण :— (i) 'क' अपने रहने के लिए एक मकान खरीदता है और कुछ वर्षों बाद लाभ पर बेच देता है तो यह लाभ आकस्मिक लाभ है ।

(ii) एक व्यापारी को एक नवांव-के उत्तराधिकारियों के आपसी झगड़ों का पच बनकर शांतिपूर्वक सुलझाने पर जो कुछ रुपये पुरस्कार में मिलें वे कर योग्य नहीं माने गये ।

(iii) एक साहूकार ने अदालत में नीलाम होते हुए मकान को खरीदकर बाद में लाभ पर बेच दिया तो यह लाभ भी आकस्मिक है ।

(iv) यदि किसी को लाटरी (Lottery) से आकस्मिक आमदनी हो जावे तो यह आय भी कर से सर्वथा मुक्त है ।

(v) प्रबन्ध-कर्त्ताओं के अधिकारों के टूटने (Termination of Managing Rights) पर जो हर्जाना उन्हें मिलता है वह भी आकस्मिक आय है ।

(vi) यदि कंपनी का डाइरेक्टर (Director) इस्तीफा देना चाहे तो उसको इस्तीफा देने से रोकने के लिए दिया हुआ इकट्ठा रुपया (Lump Sum) आकस्मिक आय नहीं मानी जायगी ।

(vii) सौदे-सट्टे से कभी-कभी होनेवाली आय भी आकस्मिक आय नहीं मानी जावेगी ।

(viii) रुई बाजार में मन्दी आने पर सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास को एक फर्म के व्यापार को बन्द करने के लिए नियुक्त किया गया और उन्हें इस कार्य के लिए दो लाख रुपये का कमीशन मिला । यह कमीशन की रकम आकस्मिक आय नहीं मानी गई ।

(ix) यदि किसी डाइरेक्टर को अभिगोपन कमीशन (Underwriting Commission) मिले तो वह भी कर योग्य आय है ।

(x) यदि कोई साहूकार अपनी स्थायी जमा रकम को अवधि से पहले वापिस लेकर और ऋण लेकर एक बड़ी मात्रा में स्वर्ण की खरीद करके लाभ पर बेचे तो यह लाभ भी कर योग्य होगा ।

(८) कृषि आय (Agricultural Income):—भारतीय कर-क्षेत्र में होनेवाली कृषि आय सर्वथा कर-मुक्त है परन्तु कर-क्षेत्र से बाहर प्राप्त होनेवाली कृषि आय पर कर लगता है । इस सबध में पहले ही काफी बतलाया जा चुका है ।

(९) स्वीकृत प्रोविडेंट फंड की आय (Income of a Recognised Provident Fund).—इस प्रकार के फंड के ट्रस्टियों (Trustees) द्वारा प्राप्त आय तथा क्रय-विक्रय, विनिमय या हस्तान्तरण से प्राप्त पूजा-लाभ भी सर्वथा करमुक्त है ।

(१०) प्रीवी पर्स आदि आय :—भारतीय रियासत के राजा को प्रीवी पर्स के रूप में प्राप्त होनेवाली आय, विदेशी राष्ट्रों के राजनैतिक कर्मचारियों की आय, विदेशी राष्ट्रों के दूतावास के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति की आय, कामनवेल्थ के ट्रेड कमिश्नर आदि का वेतन भी भारतीय आय-कर से मुक्त है ।

(११) विशेष जायदाद की आय :—इस प्रकार के मकान के बनने

के दो वर्ष बाद तक की किराये की आय पर कर नहीं लगेगा जो १ अप्रैल १९४६ के बाद और ३१ मार्च १९५४ के पहले बनाया गया हो ।

(१२) वैज्ञानिक-अनुसंधान संघ की आय ( Income of a Scientific Research Association):—इस प्रकार के स्वीकृत वैज्ञानिक अनुसंधान संघ की आय, जो पूर्ण रूप से संघ के उद्देश्यों के लिए लगाई जाती है और जो ३१ मार्च १९४६ के बाद प्राप्त या उत्पन्न की गई है ।

(१३) किसी विदेशी फर्म के कर्मचारी का वेतन जो कर-क्षेत्र में किसी प्रकार का भी व्यापार या पेशा न करता हो कर से सम्पूर्णतया मुक्त होगा यदि ऐसा कर्मचारी :—

- (१) कर-क्षेत्र में किसी वर्ष ६० दिन से अधिक न रहे, और
- (२) ऐसे वेतन की कर-क्षेत्र में लाभ निश्चित करते समय घटाये जाने की संभावना न हो ।

(१४) किसी व्यक्ति की ऐसी आय जो उसको किसी विदेशी सरकार से प्राप्त हो और जिसकी सेवायें किसी Co-operative Technical Programme या Project के अन्तर्गत भारत को दी गई हो और भारतीय सरकार तथा विदेशी सरकार में इस बात का समझौता हो तो ऐसी आय कर से सर्वथा मुक्त होगी ।

ऐसे व्यक्ति की अन्य आय या उसके परिवार के सदस्यों की आय जो उसके साथ भारत आय हो, कर से मुक्त होंगी, यदि—

- (क) ऐसी आय का उपार्जन विदेश में हुआ है और जिसका पैदा होना कर लगनेवाले क्षेत्र में नहीं माना गया है, और
- (ख) जिसपर उसे या उसके परिवार के सदस्यों को विदेशी सरकार का आय अथवा Security कर देना पड़ता हो ।

(१५) ऐसे किसी ऋणपत्र का व्याज या उसके भुगतान पर दिया गया प्रीमियम (Premium) जो केन्द्रीय सरकार ने अपने तथा International Bank for Reconstruction and Development के समझौते के अन्तर्गत जारी किये हो या किसी Industrial undertaking या Financial Corporation ने International Bank से किसी समझौते के अन्तर्गत जारी किये हो और जिसपर व्याज दिये जाने की भारतीय सरकार द्वारा गारण्टी (Guarantee) दी गई हो। परन्तु यदि यह ऋणपत्र किसी भारतीय निवासी के पास हो तो यह छूट नहीं दी जायगी।

(१६) दसवर्षीय  $3\frac{1}{2}\%$  Treasury Savings Deposit Certificates का व्याज जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा या इसके आदेश द्वारा प्रचलित किये गये हो।

(१७) उन सब सिक्योरिटियों का व्याज जो कि Central Bank Ceylon के Issue Department के पास है।

(१८) वे सब दैनिक भत्ते जो किसी व्यक्ति को उसके Dominion Legislature, या Constituent Assembly या पार्लियामेंट या प्रान्तीय असेम्बली, या इनकी किसी कमेटी की सदस्यता के कारण मिलता हो।

(१९) स्वीकृत सुपरएनुएशन फंड की आय (Income of Approved Superannuation Fund):—द्वारा ५८ आर के अनुसार स्वीकृत सुपरएनुएशन फंड की आय भी कर से पूर्णतया मुक्त है।

(२०) संयुक्त हिन्दू परिवार की आय :—किसी संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य को परिवार की आय में से या अविभाजित संपत्ति में से जो आमदनी का हिस्सा मिलता है वह भी कर से सर्वथा मुक्त है।

(२१) अन्य छूटें :—धारा ६० के अनुसार भारत-सरकार ने डाक-खाने के केश सर्टिफिकेट, सेविंग्स बैंक, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट ३½% ट्रेजरी डिपॉजिट सर्टिफिकेट की व्याज की आय को भी आय-कर तथा अतिरिक्त-कर से पूर्णतया मुक्त कर रखा है ।

(ख) पूर्णतया करमुक्त आय जो कुल आय में केवल, आय-कर की दर निकालने के लिये जोड़ी जाती है :—

निम्नलिखित आय आय-कर तथा अतिरिक्त-कर से मुक्त है किन्तु कर-दाता की कर-दरे मालूम करने के लिए उसकी कुल आय में जोड़ी जाती है :—

(१) भारतीय कर-क्षेत्र से बाहर रियासत जम्मू और काश्मीर में पैदा होनेवाली आय तब तक भारतीय टैक्स से मुक्त है जब तक यह भारतीय कर-क्षेत्र में न लाई जावे या यह धारा ४२ के अनुसार व्यापारिक सबध के कारण टैक्स न कर ली जावे । परन्तु यह रियासती आय कुल आय में टैक्स की दरे मालूम करने के लिए जोड़ दी जाती है ।

(२) सहकारी समितियों (Co-operative Societies) के लाभ में से जो लाभांश सदस्यों में बाटा जाता है वह भी टैक्स से मुक्त है । यदि इस लाभ में भिन्न-भिन्न प्रकार की सिक्योरिटियों से प्राप्त व्याज, समिति की लायदाद की आय, अन्य लाभांश या अन्य साधनों से प्राप्त आय नहीं जोड़ी गई है ।

(ग) वह आय जो आयकर से मुक्त है परन्तु अतिरिक्त-कर से मुक्त नहीं है और संपूर्ण आय में जोड़ी जाती है :—

(१) केन्द्रीय सरकार की कर से मुक्त सिक्योरिटियों का व्याज आय-कर से तो मुक्त है परन्तु अतिरिक्त-कर से नहीं । केन्द्रीय सरकार की कर से मुक्त सिक्योरिटिया निम्नलिखित है :—

(१) ५% १९४५-५५ loan securities

(२) १९५१-६५ loan securities

(२) किसी सरकारी कर्मचारी के वेतन में से उसको एनुइटी (Annuity) देने के लिए सरकार जो रकम काटे (यदि यह रकम वेतन के छठे हिस्से से अधिक नहीं है) तो यह भी करमुक्त है।

(३) स्वीकृत प्राविडेण्ट फण्ड (Recognised Provident Fund) में मालिक और कर्मचारी दोनों का संयुक्त चन्दा वेतन के छठे हिस्से तक या ६,०००) (जो कोई भी कम हो) आय-कर से मुक्त है।

(४) स्वीकृत प्राविडेण्ट फण्ड की जमा पर प्राप्त व्याज की रकम भी, यदि यह कर्मचारी के वेतन के तीसरे हिस्से से अधिक नहीं है और यदि इसकी व्याज दर भी ६ प्रतिशत से अधिक नहीं है तो आय-कर से मुक्त है।

(५) सन् १९२५ के प्राविडेण्ट फण्ड ऐक्ट के अन्तर्गत रक्खे हुए प्राविडेण्ट फण्ड में कर्मचारी द्वारा दिया गया चन्दा भी आयकर से मुक्त है यदि यह रकम उस कर्मचारी की कुल आय के छठे हिस्से से या ६,०००) से (जो इन दोनों में कम हो) अधिक न हो।

(६) धारा ५८ आर के अनुसार यदि कोई कर्मचारी किसी स्वीकृत सुपरएनुएगन फंड में कोई चन्दा दे तो इस चन्दे की रकम भी आय-कर से मुक्त है यदि यह उसकी कुल आय के छठे हिस्से से या ६,०००) से (जो कोई भी कम है) अधिक नहीं होगी।

(७) अनरजिस्टर्ड फर्म के साझेदार का लाभ और रजिस्टर्ड फर्म के परदेशी का हिस्सा तथा अन्य जन-मंडल ( Association of persons ) के सदस्य की उस मंडल से प्राप्त आय आय-कर से मुक्त है परन्तु ये सब कुल आय में जोड़ी जाती हैं।

(८) धारा १५ (१) के अनुसार जीवन बीमा का प्रीमियम भी बीमा पालिसी की पूरी रकम के दसवें हिस्से तक किसी व्यक्ति के अपने या

उसकी स्त्री के जीवन बीमा पर उसकी कुल आय के छठे हिस्से तक या ६,००० रु० तक, जो कोई भी कम हो, या सयुक्त हिन्दू परिवार के किसी पुरुष या स्त्री के बीमा पर परिवार की कुल आय के छठे हिस्से तक या १२,००० रु० तक, जो कोई भी कम हो, आय-कर से मुक्त है।

(घ) वे आय जो अतिरिक्त-कर से मुक्त हैं किन्तु आय-कर से नहीं तथा कुल आय में जोड़ी जाती हैं :—

(१) इनवेस्ट ट्रस्ट कम्पनियों की कुल आय का वह भाग जो उन्हें उन दूसरी कम्पनियों के लाभांश द्वारा प्राप्त हुआ है जिन्होंने अपने लाभ पर अतिरिक्त-कर (Super-Tax) दे दिया है, अतिरिक्त-कर (Super Tax) से मुक्त है, परन्तु यह लाभांश इनवेस्ट ट्रस्ट कम्पनियों की कुल आय में जोड़ा जाता है।

(ङ) पुण्यार्थ दिये हुए दान (Donations for Charitable Purposes :—

धारा १५ बी के अनुसार जो रकम पहली अप्रैल १९५३ के बाद किसी सस्था या फंड को, जो कर लगनेवाले क्षेत्र में पुण्यार्थ स्थापित किया गया है और जो निम्न शर्तें पूरी करता हो —

- (१) जिसकी आय आय-कर ऐक्ट की धारा ४ (३) (1) के अनुसार कर से मुक्त हो।
- (२) जो किसी एक विशेष जाति के हित के लिए स्थापित न किया गया हो।
- (३) जो या तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड किया गया हो या जिसकी स्थापना एक Public Charitable Trust की तरह की गई हो।
- (४) जिसको केन्द्रीय या स्थानीय सत्ता से पूर्ण या कुछ अंश तक आर्थिक सहायता मिलती हो। और



(५) जो अपनी आय और व्यय का पूर्ण हिसाब-किताब रखता हो दिया हुआ चन्दा कर से मुक्त है; परन्तु (१) चन्दे की कुल रकम किसी भी वर्ष २५०) से कम नहीं होनी चाहिए। (२) कुल रकम जो कर से मुक्त होगी कुल आमदनी के  $\frac{1}{8}$  से अधिक न होनी चाहिए। इसके लिए कुल आमदनी उस रकम को घटाने के बाद निकाली जायगी जो टैक्स से मुक्त हो। (३) चन्दे की कुल रकम जो टैक्स से मुक्त होगी किसी भी हालत में १,००,०००) से अधिक नहीं हो सकती। (४) एक बात और यह है कि गत वर्ष में जो भी रकम गांधी-स्मारक निधि (गांधी नेशनल मेमोरियल फण्ड) में चन्दा दिया गया है, वह कुल रकम, न कि उपर्युक्त अंश तक ही, टैक्स से मुक्त है। (५) इस प्रकार जो कर की छूट मिलेगी वह दान में दी गई कुल रकम के आधे से अधिक नहीं होगी।

उदाहरण—यदि दान में दी गई कुल रकम १०००) हो तो इस दान पर दी गई कर की छूट ५००) से अधिक नहीं होगी।

दान में दी गई छूट—कर की रकम—कर की दर निकालने के लिए तो कुल आय में सम्मिलित की जायगी परन्तु उस रकम पर कर नहीं दिया जायगा।

यदि चन्दा कंपनी द्वारा दिया गया है तो उसे आय-कर से ही छूट मिलेगी अतिरिक्त-कर से नहीं, परन्तु अन्य कर-दाताओं का ऐसा चन्दा आय-कर और अतिरिक्त-कर दोनों ही से मुक्त होगा।

(च) नये औद्योगिक कार्यालयों की छूट :—

धारा १५ C के अनुसार नये औद्योगिक कार्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए यह छूट दी गई है। इस धारा के अनुसार यदि कोई औद्योगिक कार्यालय १ अप्रैल १९४८ से ६ साल बाद तक अपना पैदा करने का कार्य आरम्भ करे तो उसे इस कार्यालय के ६ प्रतिशत लाभ तक पांच वर्ष तक छूट मिलती रहेगी। यदि एक कार्यालय १९५१-५२ में प्रथम बार अपना कार्य आरम्भ करता है तो उसको पहली बार छूट १९५२-५३ के

असेसमेंट में मिलेगी और इसके चार साल बाद तक मिलती रहेगी । यह छूट अभी मिलेगी जब कि निम्न शर्तें पूरी होती हों —

(१) ऐसा कार्यालय किसी पहले स्थापित कार्यालय का अंग नहीं है ।

(२) यदि यह कार्यालय 'शक्ति' का प्रयोग करता है तो काम करने-वालों की संख्या १० या इससे अधिक होनी चाहिये । यदि यह कार्यालय शक्ति का प्रयोग नहीं करता है तो काम करनेवालों की संख्या कम से कम २० होनी चाहिये ।

उदाहरण :—राम को निम्नलिखित साधनों से आय प्राप्त हुई —

१ प्रश्नपत्र जाचने की आय	५००)
२ स्थायी जमा के ब्याज की आय	३००)
३ अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभ का आधा हिस्सा	३०००)
४ हिस्साब जाच करने की आय	५०००)
५ ब्याज की आय पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक जमा से	२५)
६ संयुक्त हिन्दू परिवार के हिस्से की आय	४००)
७ कर-मुक्त सिक्योरिटियों के ब्याज से आय	२००)

राम ने अपनी ५०००) की पालिसी पर ६००) प्रीमियम दिया । तो बतलाओ कि उसकी कुल आय तथा कर-योग्य आय और कर-मुक्त आय क्या होगी ?

राम की कुल आय का लेखा

१. सिक्योरिटियों का ब्याज	२००)
२ व्यवसाय की आय (कमाई हुई)	५०००)
३ अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभ का हिस्सा (कमाई हुई)	३०००)
४. प्रश्नपत्र जाचने की आय (कमाई हुई)	५००)

५. स्थायी जमा का ब्याज	३००)
	<hr/>
	कुल आय ६०००)
कमाई हुई आय का $\frac{१}{४}$ हिस्सा छूट	१७००)
	<hr/>
	कर योग्य आय ७३००)
कर-मुक्त आय (Income not liable to Income-Tax)	
१ कर-मुक्त सिवयोरिटियो का ब्याज	२००)
२ अनरजिस्टर्ड फर्म का लाभ जिसपर फर्म ने टैक्स पहले ही दे दिया है	३०००)
३ जीवन बीमा का प्रीमियम ( $\frac{१}{४}$ हिस्सा पालिसी का )	५००)
	<hr/>
	३७००)
	<hr/>

नोट—सयुक्त हिन्दू परिवार से प्राप्त आय और पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक जमा का ब्याज केवल कर से ही मुक्त नहीं है बल्कि वे कुल आय में भी नहीं जोड़े जाते हैं ।

## अध्याय ६

### आय और पूजा

#### (INCOME AND CAPITAL)

पूजा और आय का भेद आय-कर के लिए बहुत महत्व का विषय है। जैसा कि पहले ही बतलाया जा चुका है कि आय-कर आय पर लगता है न कि पूजा पर। इसलिए समस्त प्राप्तियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—( १ ) पूजागत प्राप्तियाँ, और ( २ ) आय-संबंधी प्राप्तियाँ। इसी प्रकार समस्त व्यय को भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—प्रथम पूजागत व्यय और द्वितीय आय-संबंधी व्यय।

(क) प्राप्तियाँ ( Receipts ) —पूजागत प्राप्तियों और आय संबंधी प्राप्तियों का भेद करना बहुत ही कठिन है। परन्तु यहाँ पर कुछ मूल सिद्धान्त दिये जाते हैं जिनके अनुसार इन दोनों का भेद करना कुल सरल हो जाता है—

( १ ) पूजा एक वृक्ष के सदृश है और आय उसमें लगनेवाले फल के समान है।

( २ ) यदि प्राप्तियाँ किसी स्थायी संपत्ति (Fixed Capital) के कारण से हुई हैं तो ये पूजागत प्राप्तियाँ हैं और यदि ये परिचालित संपत्ति (Circulating Capital) के कारण से प्राप्त हुई हैं तो आय-संबंधी प्राप्तियाँ होंगी।

( ३ ) जो प्राप्तियाँ स्थायी संपत्ति के बेचने से प्राप्त होती हैं वे पूजागत प्राप्तियाँ हैं और जो प्राप्तियाँ क्रय-विक्रय के लिए खरीदे हुए माल के बेचने से होती हैं वे आय-संबंधी प्राप्तियाँ हैं।

(४) यदि कोई प्राप्ति आय के साधन की पुनर्स्थापना के लिए प्राप्त हो तो पूजीगत आय होगी और यदि वह केवल आय के एवज में प्राप्त हो तो आय-सबधी प्राप्ति होगी ।

(५) यदि प्राप्ति प्राप्त करनेवाले के हाथ में आय के रूप में है तो यह आय-सबधी प्राप्ति ही समझी जावेगी, और यदि यह प्राप्ति उसके हाथ में पूजी के रूप में है तो पूजीगत प्राप्ति ही समझी जावेगी ।

उदाहरण :—यहां पर कुछ आय-सबधी प्राप्तियों (Revenue Receipts) तथा पूजीगत प्राप्तियों (Capital Receipts) के उदाहरण उपर्युक्त सिद्धान्तों को समझाने के लिए दिये जा रहे हैं —

(१) यदि किसी डाइरेक्टर को उसकी कम्पनी में व्यापार न करने के स्थान में कुछ रकम दी जाये तो वह रकम पूजीगत प्राप्ति समझी जायेगी, क्योंकि यह हरजाना नौकरी छोड़ने के बाद कम्पनी की प्रतिस्पर्धा में व्यापार न करने के लिए दिया गया है ।

(२) एक ईंट बनानेवाली कम्पनी को रेलवे लाइन के पास उसकी जमीन में से मिट्टी खोदने से हर्जाना देकर रोक दिया गया । यह हर्जाने की रकम पूजीगत प्राप्ति है क्योंकि वह स्थायी संपत्ति के एवज में प्राप्त हुई है ।

(३) एक उत्पादन करनेवाली कम्पनी ने अपने माल बेचनेवाले एजेंट की एजेंसी हर्जाना देकर तोड़ दी । यह हर्जाने की रकम भी पूजीगत प्राप्ति है, क्योंकि वह आय के साधन के नुकसान को पूरा करने के लिए दी गई है ।

(४) यदि एक नौकर को निश्चित समय से पहले ही अन्यायपूर्वक या अदालत के आज्ञानुसार हर्जाना देकर निकाल देवे तो यह हर्जाने की रकम पूजीगत प्राप्ति है क्योंकि यह न तो पुरानी सेवा का प्रतिफल ही है और न भविष्य की नौकरी का इनाम ही ।

(५) माल की सुपुर्दगी के काण्ट्रैक्ट को समाप्त करने पर जो हर्जाना माल बेचनेवाले को प्राप्त होता है वह आय-सबधी प्राप्ति के रूप में है । इसलिए कर से मुक्त नहीं है ।

(६) यदि कोई रेलवे यात्री रेलवे दुर्घटना से सदैव के लिए पूर्णतया अपंगु हो जाए या मर जाए तो जो हर्जाने की रकम होगी वह पूजीगत प्राप्ति समझी जावेगी , परन्तु यदि वह थोड़े दिनों के लिए बेकार हुआ है तो उसे जो हर्जाना इस समय मिलेगा वह आय-सबधी प्राप्ति समझी जावेगी ।

(७) किसी कपनी के निस्तारण ( Liquidation ) पर हिस्सेदार को कम्पनी की संपत्ति का जो हिस्सा मिलता है वह पूजीगत प्राप्ति है ।

(८) यदि कोई कपनी ऋणपत्र (Debentures) बट्टे (Discount) पर निकाले तो ऋण-दाता के लिए बट्टे की रकम पूजीगत प्राप्ति होगी और इसलिए कर से मुक्त होगी ।

(९) यदि ऋण की रकम में छूट कर दी जाय तो छूट की रकम पूजीगत प्राप्ति ही समझी जावेगी क्योंकि छूट से कर-दाता को कोई आय नहीं हुई है ।

(१०) जीवन-बीमा के भुगतान में जो रुपया प्राप्त होता है वह पूजीगत प्राप्ति है । परन्तु कोई कपनी अपने कर्मचारी का जीवन-बीमा ले तो कर्मचारी के मरने पर जो रकम कपनी को प्राप्त होगी वह आय-सबधी प्राप्ति समझी जावेगी क्योंकि यह बीमा रकम कर्मचारी की सेवाओं से प्राप्त होनेवाली आय के एवज में प्राप्त हुई है ।

(ख) व्यय :—व्यय भी दो प्रकार का होता है । प्रथम तो पूजीगत व्यय ( Capital Expenditure ) और दूसरा राजस्व व्यय ( Revenue Expenditure ) । कभी-कभी आगामी और पूजीगत

व्यय के अन्तर को समझना कठिन होता है। इन दोनों प्रकार के व्ययों का अन्तर बहुत ही सूक्ष्म है, परन्तु यहाँ कुछ प्रमुख सिद्धांत दिये जाते हैं जिनके अनुसार इन दोनों का भेद भली भाँति समझ में आ सकता है —

(१) यदि व्यय किसी स्थायी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए किया गया है तो पूजीगत व्यय है और यदि व्यय व्यापारिक माल को खरीदने और बेचने में किया गया है तो राजस्व व्यय है।

(२) यदि व्यय पुरानी स्थायी संपत्ति को खरीदकर, उसे ठीक रूप देने में तथा उसकी कार्यशक्ति बढ़ाने में हुआ है तो पूजीगत व्यय होगा परन्तु यदि व्यय कच्चा माल खरीदकर उसे तैयार माल में परिणत करने में खर्च हुआ है तो राजस्व (Revenue) व्यय कहलायेगा।

(३) यदि व्यय व्यापार-संबंधी कोई स्थायी लाभ (Enduring Benefit) प्राप्त करने के लिए किया गया है तो पूजीगत व्यय होगा परन्तु यदि व्यय व्यापार-संबंधी अस्थायी लाभ के लिए है तो यह राजस्व व्यय ही होगा।

(४) यदि व्यय स्थायी पूँजी को कम करता है तो यह पूँजीगत व्यय ही होगा और यदि चालू पूँजी में से खर्च किया गया है तो राजस्व व्यय होगा।

(५) स्थायी पूँजी संबंधी या स्थायी काण्ट्रैक्टों को तोड़ने पर जो हर्जाना दिया जाता है वह पूँजीगत व्यय है और जो व्यय साधारण व्यापारिक सौदों को तोड़ने पर किया जाता है वह राजस्व व्यय है।

उदाहरण — निम्नलिखित उदाहरणों से इन दोनों प्रकार के व्ययों का भेद भली भाँति समझा जा सकेगा —

(१) व्यापारिक चिह्न (Trade Mark) का नवकरण (Renewal) कराने पर या उसे रजिस्ट्री करवाने पर जो खर्च लगता है वह राजस्व (Revenue) व्यय ही समझा जाता है।

(२) यदि किसी कपनी का व्यापारिक चिह्न (Trade Mark) दूसरी कपनी नकली रूप से काम में लेने लगे तो इस नकली मार्क के माल को बाजार में आने से रोकने पर जो खर्चा होगा वह भी राजस्व व्यय ही माना जावेगा ।

(३) यदि कोई कपनी अपने जमीन के अधिकारो को सुरक्षित रखने में खर्चा करे और वह अदालत में जीत जावे तो यह खर्चा पूजीगत व्यय समझा जावेगा क्योंकि यह खर्चा स्थायी संपत्ति की रक्षा के लिए किया गया है ।

(४) एक कपनी ने स्लेट की खानो का ठेका लिया , परन्तु कुछ जागीरदारो ने उसे बेदखल करना चाहा । इस अवध में कपनी का जो खर्चा हुआ है वह पूजीगत खर्च माना गया ।

(५) पेटेंट दवाइयो को तैयार करके अधिकारो को खरीदने के लिए जो शुल्क (Royalty) दिया जाता है वह पूजीगत व्यय ही है चाहे यह किस्तो द्वारा भले ही दिया जावे ।

(६) कच्चा माल लम्बे समय तक प्राप्त करने में जो व्यय होता है वह राजस्व व्यय है क्योंकि यह खर्चा चालू पूजी से अवधित है ।

(७) डाइरेक्टरो, मैनेजिंग एजेंटो तथा अन्य कर्मचारियो की सेवाओ क. तोडने के बदले में जो हर्जाना दिया जाता है वह राजस्व व्यय ही है ।



## अध्याय ७

### आय शीर्षक

(HEADS OF INCOME)

#### (१) वेतन

भारतीय इनकमटैक्स ऐक्ट १९२२ की धारा ६ के अनुसार निम्न-लिखित पाच शीर्षको से प्राप्त आय पर टैक्स लगता है —

(१) वेतन, (२) सिन्धोरिटियो का व्याज, (३) जायदाद आय, (४) व्यापार, पेगा या व्यवसाय से लाभ, (५) अन्य साधनो से आय ।

वेतन — धारा ७ के अनुसार कर-दाता को अपने वेतन या मजदूरी पर, जो उसने उपाजित की है और जो उसे मालिक से प्राप्य (Due) है (चाहे वह उसे प्राप्त हुई है या नहीं), टैक्स देना पडता है। यदि कर्मचारी पेगगी (Advance) में वेतन ले लेवे तो यह पेगगी की रकम भी उसी तारीख को प्राप्त हुआ वेतन समझा जावेगा जिस तारीख को यह लिया गया है। वेतन चाहे जहा पर दिया गया हो परन्तु यदि यह कर लगनेवाले क्षेत्र में उपाजित किया गया है तो इसपर टैक्स लगेगा। भारतीय सरकार, स्थानीय सत्ता, जन-मडल, कम्पनी तथा अन्य कोई व्यक्ति द्वारा जो वेतन किसी कर्मचारी को भारतीय कर-क्षेत्र में दिया जाता है वह कर-योग्य होता है। परन्तु विदेगी सरकार या जम्मू और काश्मीर की सरकार द्वारा दिये हुए वेतन या पेगन पर टैक्स धारा ७ के अनुसार न लेकर धारा १२ के अनुसार लिया जाता है।

वेतन मे निम्नलिखित आय सम्मिलित की जाती है --

१ वेतन विशेष, २ मजदूरी, ३ बोनस, ४ एन्युइटी (Annuity), ५ ग्रेचुटी (Gratuity), ६. पेशन, ७ फीस, ८ कमीशन, ९. अन्य प्रतिफल (Perquisites), १० वेतन के स्थान पर या साथ में लाभ का हिस्सा, ११ अन्य भत्ता, १२ ऊपरी आमदनी, १३ बिना किराये का मकान जिसका वार्षिक किराया वेतन के १० प्रतिशत से अधिक न हो, १४ मकान भत्ता, १५ अन्य सुविधाएँ जो सेवा के बदले में कर्मचारी को प्राप्त होती हैं, १६ मालिक द्वारा कर्मचारी के वेतन पर आय-कर और अतिरिक्त-कर की दी हुई रकम, १७ अस्वीकृत प्रोविडेंट फण्ड (Unrecognised Provident Fund) से प्राप्त रकम का केवल मालिक द्वारा दिया हुआ हिस्सा ।

वेतन मे निम्नलिखित आय सम्मिलित नहीं की जाती है —

१. कर्मचारी को नौकरी छोड़ने पर हर्जाने की जो रकम मिलती है वह उसके वेतन मे नहीं जोड़ी जाती है और यह रकम कर से मुक्त है ।

२ कर्मचारी के वेतन मे से यदि सरकार अनिवार्य रूप से कुछ रकम पारिवारिक पेशन फंड (Family Pension Fund) या अन्य सरकारी प्रोविडेंट फंड के लिए काट लेवे तो यह रकम वेतन के छठे हिस्से तक कर-मुक्त है परन्तु यह रकम कर-दाता की कुल आय मे कर की दरें निकालने के लिए जोड़ी जाती है ।

३ यदि कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त भत्ता या कोई ऐसी रकम मालिक द्वारा प्राप्त होती है जो उसे अपने मालिक के लिए और विशेषतया अपने कर्तव्य (Duty) का पालन करने में खर्च करनी पडती है और जो इसी उद्देश्य से उसे दी जाती है तो यह रकम भी कर से सर्वथा मुक्त है (चाहे सारी प्राप्त रकम व्यय न की गई हो) और न यह कर-दाता की कुल आय में ही जोड़ी जाती है ।

४. यदि कर्मचारी को पेशन के स्थान पर एकत्रित धन मिले तो वह रकम भी कर से सर्वथा मुक्त है और कर-दाता की कुल आय में नहीं जोड़ी जाती है ।

५. यदि कर्मचारी को १६ अप्रैल १९५० के पश्चात् केन्द्रीय या प्रांतीय सरकार के revised pension rules के अनुसार death-cum retirement gratuity मिले तो यह रकम भी आयकर से मुक्त है ।

६. यदि कर्मचारी को कोई रकम ऐसे फंड से प्राप्त हो जिसको प्रोविडेंट फंड ऐक्ट १९२५ लागू होता है या स्वीकृत प्रोविडेंट फंड है या सुपर-एनुएशन फंड है तो यह रकम भी आय-कर से मुक्त है । प्रोविडेंट फंडों के सबंध में निम्नलिखित बातें जाननी परमावश्यक है ।

### प्रोविडेंट फंड (Provident Funds)

प्रोविडेंट फंड तीन प्रकार के होते हैं — (१) सन् १९२५ के प्रोविडेंट फंड ऐक्ट के अनुसार रक्खा हुआ फंड, (२) स्वीकृत प्रोविडेंट फंड (Recognised Provident Fund), (३) अस्वीकृत प्रोविडेंट फंड (Un-recognised Provident Fund) ।

(१) सन् १९२५ के प्रोविडेंट फंड ऐक्ट के अनुसार निर्मित फंड :— इस प्रोविडेंट फंड का लाभ रेलवे कंपनी, विश्वविद्यालयों व सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त होता है । इस फंड में कर्मचारी द्वारा दिया हुआ चन्दा उसके वेतन में से काटा जाता है , परन्तु इस चन्दे की रकम तथा जीवन बीमा का प्रीमियम उस कर्मचारी की कुल आय के छठे हिस्से या ६०००) तक, जो दोनों में से कम हो, आय-कर से मुक्त है किन्तु अतिरिक्त कर ( Supertax ) से मुक्त नहीं है । परन्तु यह रकम उसकी कुल आय में कर की दरें निकालने के लिए जोड़ी जाती है । इस प्रोविडेंट फंड में जो चन्दा मालिक द्वारा दिया जाता है उसकी रकम तथा फंड पर मिलनेवाली व्याज की रकम को कर्मचारी के वेतन में नहीं जोड़ा जाता है और ये

सर्वथा करमुक्त है । इस फंड से अन्त में जो एकत्रित धन कर्मचारी या उसके उत्तराधिकारियों को मिलता है वह कर से सर्वथा मुक्त है और कुल आय में विल्कुल नहीं जोड़ा जाता है ।

(२) स्वीकृत प्रोविडेंट फंड (Recognised Provident Fund).—यह फंड कमिश्नर ऑफ इनकमटैक्स द्वारा स्वीकृत किया जाता है । इस फंड में कर्मचारी तथा उसके मालिक दोनों के चन्दे और उनपर प्राप्त होनेवाली ब्याज की रकमें वेतन की आय में जोड़ी जाती हैं , परन्तु कर्मचारी और मालिक दोनों के चन्दे मिलाकर कर्मचारी के शुद्ध वार्षिक वेतन के छोटे हिस्से तक या ६००० रु० तक, जो दोनों में कम हो, आयकर से मुक्त है किन्तु अतिरिक्त-कर से नहीं । इसी प्रकार ब्याज की रकम भी कर्मचारी के वेतन के तीसरे हिस्से तक या ६ प्रतिशत तक, जो दोनों में कम हो, आयकर से मुक्त है किन्तु अतिरिक्त-कर से नहीं । इसके अतिरिक्त कर्मचारी द्वारा दिया गया जीवन बीमा का प्रीमियम तथा मालिक और कर्मचारी दोनों के प्रोविडेंट फण्ड में दिये गये चन्दे मिलाकर कर-दाता की कुल आय के छोटे हिस्से तक, या ६००० रु० तक जो दोनों में कम हो, आय-कर से मुक्त है किन्तु अतिरिक्त-कर से नहीं । परन्तु इस उद्देश्य के लिए कुल आय मालूम करने के लिए मालिक द्वारा दिया हुआ चन्दा तथा उसका ब्याज कुल आय में नहीं जोड़े जाते हैं । नौकरी के अन्त में जो एकत्रित धन इस स्वीकृत प्रोविडेंट फण्ड से कर्मचारी को मिलता है वह कर से सर्वथा मुक्त है ।

(३) अस्वीकृत प्रोविडेंट फंड (Un-recognised Provident Fund).—जो प्रोविडेंट फंड कमिश्नर द्वारा स्वीकृत नहीं है वह अस्वीकृत फंड कहलाता है । इस फंड में जो चन्दा कर्मचारी द्वारा दिया गया है वह वेतन में जोड़ा जाता है तथा यह कर से मुक्त नहीं है । मालिक द्वारा दिया गया चन्दा प्रति वर्ष कर मालूम करने के लिए कुल आय में नहीं जोड़ा जाता है

और न इसपर प्रतिवर्ष कर ही लगाया जाता है। परन्तु नौकरी छोड़ने पर जो एकत्रित धन इस फंड से कर्मचारी को मिलेगा उसमें से कर्मचारी का स्वयं का चन्दा और उसको अपने चन्दे के व्याज को घटाने के बाद जो रकम बचेगी उसपर कर लगेगा। अर्थात् मालिक द्वारा दिये चन्दे और उसके व्याज पर कर लगेगा। जीवन बीमा प्रीमियम पर कर्मचारी को कुल आय के छठे हिस्से तक, या ६०००) तक, जो दोनों में कम हो, छूट मिलेगी।

उदाहरण :—एक व्यक्ति को ७५० रु० मासिक वेतन मिलता है। उसको मालिक की ओर से ७२० वार्षिक मूल्य का मकान मुफ्त में मिल रहा है। उसके मासिक वेतन में से १० प्रतिशत प्रोविडेंट फंड के चन्दे के लिए काट लिया जाता है और उसका मालिक भी उतनी ही रकम प्रोविडेंट फंड में चन्दे की देता है। उसको ५ प्रतिशत व्याज की दर से १००० रु० वार्षिक व्याज अपने फंड पर मिलता है। उसने अपनी बीमा पालिसी पर ५०० रु० बीमा प्रीमियम दिया हो तो उसका कर-दायित्व क्या होगा यदि वह व्यक्ति (क) १९२५ के प्रोविडेंट फंड के अनुसार रखे हुए फंड का सदस्य हो, (ख) स्वीकृत प्रोविडेंट फंड का सदस्य हो, या (ग) अस्वीकृत प्रोविडेंट फंड का सदस्य हो ?

(क)	वेतन	६०००)
	मकान का मूल्य	७२०)
		<hr/>
	कुल वेतन की आय	६७२०)
	कमाई हुई आय की छूट	१९४४)
		<hr/>
	शेष कुल आय	७७७६)

कर से मुक्त आय :—

कर्मचारी का स्वयं का चन्दा	६००)
जीवन-बीमा का चन्दा	५००)
	<hr/>
कुल कर-मुक्त आय	१४००)

वह व्यक्ति ६३७६) पर ७७७६) की औसत दर से आय-कर देगा ।

(ख)	वेतन	६०००)
	मकान का मूल्य	७२०)
	मालिक का चन्दा	६००)
	प्रोविडेंट फण्ड का व्याज	१०००)
		<hr/>
	कुल वेतन की आय	११६२०)
	कमाई हुई आय की छूट	२३२४)
		<hr/>
	शेष कुल आय	६२६६)

कर से मुक्त आय .—

मालिक और कर्मचारी दोनों के चन्दे शुद्ध	
वेतन के छठे हिस्से तक	१५००)
जीवन बीमा प्रीमियम (७२० रु० के छठे	
हिस्से तक) शेष	१२०)
व्याज प्रोविडेंट फण्ड पर प्राप्त	१०००)
	<hr/>
कुल कर से मुक्त आय	२६२०)

वह व्यक्ति ६६७६) पर ६२६६) की औसत से आय-कर देगा ।

(ग)	कुल वेतन मकान सहित	६७२०)
	कमाई हुई आय की छूट	१६४४)
		<hr/>
	शेष कुल आय	७७७६)

कर-मुक्त आय —

जीवन बीमा प्रीमियम ५००)

वह व्यक्ति ७२७६) पर ७७७६) की औसत दर से आय-कर देगा ।

स्वीकृत सुपरएनुएशन फंड (Approved Superannuation Fund) — यह फंड धारा ५८ आर.मे.डी हुई शर्तों को पूर्ण करनेवाला तथा सैण्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा स्वीकृत फंड होता है । इस फंड में जो चन्दा दिया जाता है वह बीमा के प्रीमियम की तरह से ही माना जाता है । कर्मचारी द्वारा दिया हुआ इस फंड का चन्दा और जीवन बीमा का प्रीमियम दोनों मिलाकर कुल आय के छठे हिस्से तक या ६०००) तक, जो दोनों में कम हो, आय-कर से मुक्त है परन्तु अतिरिक्त-कर से नहीं है । इस फंड से मृत्यु पर या नौकरी छोड़ने पर जो एकत्रित रकम मिलती है वह भी कर से सर्वथा मुक्त होती है ।

जीवन बीमा की प्रीमियम :—जीवन बीमा की प्रीमियम, यदि कर-दाता व्यक्ति है तो उसके स्वयं के जीवन या उसकी पत्नी या पति के जीवन बीमा के लिए कुल आय के छठे हिस्से तक या ६०००) तक, जो दोनों में से कम है, आयकर से मुक्त है । यदि कर-दाता सयुक्त हिन्दू परिवार है तो उस परिवार के किसी भी पुरुष व स्त्री के जीवन बीमा की प्रीमियम उस परिवार की कुल आय के छठे हिस्से तक या १२०००) तक आय-कर से मुक्त है । परन्तु यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि प्रीमियम जीवन बीमा पालिसी की पूरी रकम के दसवें हिस्से से अधिक कभी नहीं हो सकेगा ।

कमाई हुई आय की छूट (Earned Income Relief) —वेतन से प्राप्त होनेवाली आय कमाई हुई आय है। इसलिए इस आय का धारा १५ ए के अनुसार पाचवा हिस्सा या ४०००) तक, जो भी कम हो, आय-कर से मुक्त है किन्तु अतिरिक्त-कर से नहीं है। यदि पाचवा हिस्सा ४०००) से अधिक हो तो कमाई हुई आय की छूट ४०००) तक ही मिल सकेगी। कोई भी कर्मचारी किसी स्वीकृत प्रोविडेंट फंड (Recognised Provident Fund) का सदस्य हो तो जो मालिक द्वारा दिया हुआ चन्दा और फंड के रकम का व्याज कुल आय में जोड़े जाते हैं वे भी कमाई हुई आय ही माने जाएँगे। यह सब बातें उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट हो जायेगी।

वेतन में से उद्गम स्थान पर कर का काटा जाना (Deduction of Tax at Source) —धारा १८ के अनुसार मालिक का यह उत्तर-दायित्व है कि यदि कर्मचारी करक्षेत्र का निवासी है तो उसके वेतन की कुल आय पर लगनेवाले औसत दर से आयकर और अतिरिक्त-कर अनिवार्य रूप से काट ले और यदि कर्मचारी परदेशी (Non-Resident) है तो आयकर उच्चतम दर (Maximum Rate) से और अतिरिक्त कर धारा १७ (१) (ब) के अनुसार काटा जायगा।

इस धारा के अन्तर्गत अतिरिक्त-कर के लिए कटौती निम्न दो विधियों में से, जिससे भी अधिक बनती हो, उसी के अनुसार होगी —

(१) उस दर के आधार पर जो अतिरिक्त कर लगने की पहली टुकड़ी (Slab) पर लागू होती है—अर्थात् ३ आने + ५% ; या

(२) उत्तरी रकम जो उसको अपनी कुल आय पर अतिरिक्त-कर के लिए देनी पडती यदि वह कर-क्षेत्र का निवासी होता।

इस प्रकार काटी हुई रकम सरकारी कोष में जमा कर दी जायेगी। यदि कोई मालिक अपने कर्मचारी के वेतन में से कर न काटे या



काटकर सरकारी कोष में जमा न करे तो वही इस कर की रकम के लिए उत्तरदायी होगा और धारा ४६ के अन्तर्गत कर की रकम के बराबर की रकम का उसपर दण्ड भी किया जा सकेगा। परदेशी कर्मचारी का टैक्स कम दर से भी काटा जा सकता है यदि इनकमटैक्स अफसर इस प्रकार का सर्टिफिकेट उसे दे देवे। यह टैक्स काटते समय प्रोविडेंट फण्ड के चन्दे, जीवन बीमा के चन्दे, कमाई हुई आय की छूट आदि का भी ध्यान रखा जावेगा, परन्तु मालिक को पुण्यार्थ दान (Charitable Purposes) आदि में दी हुई रकम पर कर्मचारी को छूट देने का अधिकार नहीं है। यदि वेतन करक्षेत्र के बाहर दिया जा रहा हो तो भारत में उसपर टैक्स अवश्य काट लेना चाहिए। मासिक टैक्स मालूम करने के लिए रुपये से कम की आय को छोड़ दिया जाता है और टैक्स निकटतम आने में निकाला जाता है।

**वार्षिक नक्शा (Annual Return)** — धारा २१ के अनुसार प्रत्येक मालिक को ३१ मार्च के ३० दिन के अन्दर इनकमटैक्स अफसर के पास उन व्यक्तियों के नाम-पते भेजने पड़ते हैं, जिन्हें गत वर्ष में १६००) से अधिक वेतन दिया गया है।

**उदाहरण:—** एक व्यक्ति को ७५०) मासिक वेतन मिलता है। उसको मालिक की ओर से ७२०) वार्षिक मूल्य का मकान मुफ्त में मिल रहा है। उसके वार्षिक वेतन में से १० प्रतिशत स्वीकृत प्रोविडेंट फण्ड के चन्दे के लिए काट लिया जाता है और उसका मालिक भी उतनी रकम स्वीकृत प्रोविडेंट फण्ड में चन्दे की दे देता है। उसको ५) प्रतिशत ब्याज की दर से १०००) वार्षिक ब्याज अपने फण्ड पर मिलता है। उसने अपनी बीमा पॉलिसी पर ५००) प्रीमियम दिया हो तो निम्न बातें बताओ —

(क) उसको कुल कितना कर देना पड़ेगा ?

(ख) कर की औसत दर (Average Rate) क्या होगी ?

( ६५ )

(ग) उद्गम स्थान पर प्रतिमास कर के लिए कितनी कटौती होगी ?

वेतन	६०००]
मकान का मूल्य	७२०]
मालिक का चन्दा	६००]
प्रोविडेंट फंड का ब्याज	१०००]
	<hr/>
कुल वेतन की आय	११६२०]
कमाई हुई आय की छूट $\frac{1}{2}$	२३२४]
	<hr/>
शेष कुल आय	९२९६]

९२९६] पर सकल आय-कर इस प्रकार होगा —

१५००] पर	०- ०-०
३,५००] पर ९ पाई प्रति रुपये की दर से	१६४- १-०
४,२९६] पर ११.६ की दर से	४६६-१४-०
	<hr/>
	६३३-१५-०
सरचार्ज $\frac{1}{8}$ (Surcharge)	३१-११-२
	<hr/>
	६६५-१०-२

इसलिए औसत दर =  $\frac{६६५-१०-२}{९,२९६}$  रु०

= १३ ७५ पाई प्रति रु०

## कर-मुक्त आय —

मालिक और कर्मचारी दोनों के चन्दे	१५००)
जीवन बीमा प्रीमियम	१२०)
व्याज, प्रोविडेंट फण्ड पर प्राप्त	१०००)
	<hr/>
	२,६२०)

२६२०) पर १३ ७५ पाई प्रति रु० की दर से १८७-१०-१

कुल सकल आय-कर	६६५-१०-२
घटाई आय-कर की छूटें	१८७-१०-१
	<hr/>

शुद्ध आय-कर जो देना है ४७८- ०-१

इस लिए प्रतिमास उद्गम स्थान पर  
आय-कर की कटौती होगी

.	.	४७८ रु० ० आ० १ पा०
		<hr/>
		१२
		<hr/>
		३६ रु० १३ आ०

नोट — वेतन, लाभांश तथा सिक्योरिटियो पर मिलनेवाले व्याज पर दिया जानेवाला कर उद्गम स्थान पर ही काट लिया जाता है। कर निकालने के लिए इन तीनों साधनों की आयों पर वे ही दर प्रयुक्त होती हैं जो उस वर्ष में, जब कि ये आय हुई हैं, प्रचलित रही हों।

## अध्याय ८

### (२) सिक्क्योरिटियों का ब्याज

#### (INTEREST FROM SECURITIES)

धारा ८ के अनुसार सिक्क्योरिटियो से प्राप्त ब्याज पर कर लगाया जाता है। सिक्क्योरिटियो का अर्थ केवल उन सिक्क्योरिटियो से है जो केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारो तथा स्थानीय सत्ताओ (Local Authorities) द्वारा बण्ड्स (Bonds) के रूप में या सार्वजनिक कपनियो (Public Companies) द्वारा ऋण-पत्रो (Debentures) के रूप में प्रचलित की जाती है। इन सिक्क्योरिटियो में सरकारी हुण्डियो (Treasury Bills) और कपनियो के हिस्सो (Shares) को सम्मिलित नहीं किया जाता है। हिस्सो का लाभांश (Dividend) तथा सरकारी हुण्डियो का वट्टा (Discount) धारा १२ के अनुसार टैक्स किया जाता है।

सिक्क्योरिटियो के भेद :—सिक्क्योरिटियो को आय-कर के लिए निम्न तीन भागो में विभाजित किया जाता है —

१ कर-मुक्त सरकारी सिक्क्योरिटियां (Tax-free Government Securities) — यदि इस प्रकारकी सिक्क्योरिटिया केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकारो द्वारा प्रचलित की गई है तो इनका ब्याज कुल आय में केवल आय-कर की दर निकालने के लिए जोड़ा जाता है अन्यथा यह ब्याज की रकम आय-कर से मुक्त है, परन्तु अतिरिक्त-कर (Super-Tax) से मुक्त नहीं है। ऐसी कर-मुक्त सिक्क्योरिटियां, जो कि प्रान्तीय सरकार द्वारा प्रचलित की गई हैं, उनका आय-कर प्रान्तीय सरकार देती है।

२. कर-मुक्त व्यापारिक सिक्योरिटियां (Tax-free Commercial Securities).—यदि कोई कंपनी कर-मुक्त हिस्से (Tax-free Shares) या कर-मुक्त ऋण-पत्र (Tax-free Debentures) प्रचलित करती है तो ये वास्तव में कर-मुक्त नहीं होते हैं। इस प्रकार की सिक्योरिटियो पर कंपनी अपने अविभाजित लाभ में से कर-दाता के एवज में सरकार को आय-कर दे देती है। इसलिए हिस्सेदारों को जो कर-मुक्त लाभांश (Tax-free Dividend) या ऋण-पत्रों के वाहकों को जो कर-मुक्त ब्याज (Tax-free Interest) प्राप्त होता है वह शुद्ध आय (Net Income) होती है और उनकी सकल आय (Gross Income) मालूम करने के लिए इस लाभांश या ब्याज में आय-कर (जो कंपनी ने दिया है) की रकम भी जोड़नी पड़ती है अर्थात् उसे आय-कर की रकम से बढ़ाना (Gross up) पड़ता है।

३. कर-घटाई सिक्योरिटियां (Less-Tax Securities) — ये वे सिक्योरिटिया हैं जिनके ब्याज की कुल रकम में से आय-कर काटने के बाद जो शेष ब्याज की रकम बचती है वह सिक्योरिटी-वाहक को दी जाती है। कर-घटाई और कर-मुक्त सिक्योरिटियो में यह भेद है कि कर-घटाई सिक्योरिटियो के ब्याज में से आय-कर काटकर वाहक को शेष शुद्ध ब्याज दिया जाता है परन्तु कर-मुक्त सिक्योरिटियो में कंपनी अपने अविभाजित लाभ में से सिक्योरिटी-वाहकों (Securityholders) को एवज में स्वयं आय-कर देती है और उनको निश्चित दर पर ब्याज मिलता रहता है—इसमें कोई कमी नहीं होती।

यह बात नीचे लिखे हुए उदाहरणों से और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है।

उदाहरण :—

(१) 'अ' को एक कंपनी से ७०००) कर-मुक्त (Free of Tax)

व्याज मिला तथा दूसरी कंपनी से ७०००) कर घटा (Less Tax) व्याज मिला। आय की दृष्टि से इन दोनों का एक ही अर्थ होगा। अर्थात् दोनों विनियोगों से जो व्याज मिली है वह शुद्ध व्याज (Net-Interest) है। पहिली कंपनी से मिलनेवाली रकम में वह राशि और जोड़ी जायगी जो कंपनी ने कर के रूप में 'अ' की ओर से अपने पास से चुका दी है और तब यह राशि सकल व्याज की रकम समझी जायगी। दूसरी कंपनी से मिलनेवाली रकम में वह रकम और जोड़नी होगी जो व्याज में से कम कर दी गई है और तब वह राशि सकल व्याज की राशि होगी।

(२) 'अ' ने एक कम्पनी के ५५०००) के ६% आय-कर मुक्त डिबेंचर खरीदे और दूसरी कम्पनी ने भी ५५०००) के ६% के कर-घंटाए डिबेंचर खरीदे। यद्यपि दोनों कम्पनियों के एक ही राशि के तथा उतनी ही व्याज दर के डिबेंचर हैं, परन्तु पहिली कम्पनी से मिलनेवाली व्याज की रकम ३३००) होगी। इसमें १५००), जो कंपनी ने आय-कर के 'अ' की ओर से अपने पास से दिये हैं, मिलाकर सकल व्याज ४८००) समझी जायगी। दूसरी कंपनी से मिलनेवाली सकल व्याज ३३००) ही होगी।

सिक्वोरिटियो के व्याज से कर-योग्य आय मालूम करने के लिए निम्नलिखित कटौतिया (Deductions) दी जाती हैं.—

- १ व्याज को वसूल करने के लिए दिया गया बैंक कमीशन।
- २ सिक्वोरिटियो के खरीदने के हेतु लिए हुए ऋण का व्याज।

परन्तु यदि सिक्वोरिटिया १ अप्रैल सन् १९३८ के बाद प्रचलित की गई हो और उन्हें खरीदने के लिए लिये हुए ऋण का व्याज किसी परदेशी (Non-Resident) को दिया गया हो तो इस व्याज की रकम को तब तक कर-दाता की इस आय में से कम नहीं किया जायगा जब तक उस परदेशी के व्याज पर उद्गम स्थान पर आय-कर न काट लिया जाय, या

धारा ४३ के अनुसार उस परदेशी का आय-कर देने के लिए भारत में कोई एजेण्ट न हो ।

३ यदि ऋण कर-मुक्त सिक्योरिटिया खरीदने के लिए लिया गया है तो इसका व्याज कर-मुक्त व्याज में से ही कम किया जा सकेगा ।

४ यदि इस शीर्षक में नुकसान रहे अर्थात् ऋण का व्याज व बैंक कमीशन आदि की रकम सिक्योरिटी पर प्राप्त होनेवाले व्याज की रकम से अधिक हो तो इस प्रकार का नुकसान कर-दाता की अन्य आय में से उसी वर्ष बाद दिया जा सकेगा परन्तु यह नुकसान आगामी वर्षों में आगे ले जाकर परिशोधित (Set off) नहीं किया जा सकेगा ।

व्याज सहित और व्याज रहित लेन-देन (Cum-dividend and Ex-dividend Transactions) —इनकमटैक्स ऐक्ट के अनुसार व्याज की रकम उसी व्यक्ति की आय मानी जाती है जो कि उस दिन उन सिक्योरिटियो का मालिक है । यदि किसी सिक्योरिटी को व्याजसहित बेचा गया है तो उसका खरीदनेवाला व्याज का मालिक समझा जावेगा न कि बेचनेवाला ।

उद्गम स्थान पर टैक्स काटना :—इनकमटैक्स ऐक्ट के अनुसार सिक्योरिटियो पर व्याज देनेवाले व्यक्ति को व्याज की रकम में से सर्वोच्च दर (Maximum Rate) से आय-कर, न कि अतिरिक्त-कर (Super-Tax). काट लेना चाहिए, परन्तु यदि सिक्योरिटियो का स्वामी इनकमटैक्स अफसर से यह सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले कि उसकी कुल आय या कुल विश्व-आय कर योग्य नहीं है या कम दर से टैक्स लगने योग्य है तो उस व्याज की रकम में से या तो टैक्स काटा ही नहीं जावेगा और यदि काटा भी जावेगा तो नीची दर से । उद्गम स्थान पर टैक्स काटनेवाले व्यक्ति को कर-दाता को एक सर्टिफिकेट भी देना पडता है और उसका एक लेखा इनकमटैक्स अफसर को भेजना पडता है ।

सिक्क्योरिटियो के खरीदने और बेचनेवाले व्यक्ति को यदि उनके बेचने पर नुकसान हो जावे तो वह रेवेन्यू नुकसान समझा जावेगा, परन्तु यदि कर-दाता विनियोग (Investment) के रूप में सिक्क्योरिटियो को रखता है तो उनके बेचने पर जो नुकसान होगा वह पूजीगत नुकसान (Capital Loss) समझा जावेगा और उसपर टैक्स की कटौती नहीं दी जावेगी ।

उदाहरण :—

- (१) 'क' के विनियोग १९४९-५० में निम्नलिखित थे —
- (क) ४०,०००) तीन प्रतिशत सरकारी ऋण ।
- (ख) १०,०००) छ प्रतिशत कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट डिबेचर्स ।
- (ग) ३०,०००) पाच प्रतिशत म्युनिसिपल बण्ड्स ।

'क' के बैंक ने ब्याज संग्रह करने के लिए १०) कमीशन के लिए । 'क' को ६००) उस ऋण के ब्याज के देने पड़े जो उसने म्युनिसिपल बण्ड्स को खरीदने के लिए लिया था । 'क' की सिक्क्योरिटियो के ब्याज से प्राप्त होनेवाली कर-योग्य आय निम्न होगी .—

सिक्क्योरिटियो के ब्याज की आय —

(क) सरकारी ऋण	१२००)	
(ख) पोर्ट ट्रस्ट डिबेचर्स	६००)	
(ग) म्युनिसिल बण्ड्स	१५००)	३३००)

कटौतिया (Deductions allowed) :—

(क) बैंक कमीशन	१०)	
(ख) ऋण पर ब्याज	६००)	६१०)

व्याज से कर-योग्य आय रु० २६९०)



सन् १९४६-५० में ३३००) की ब्याज की रकम पर उद्गम-स्थान पर पाच आने की दर से आय-कर काटा जावेगा ।

(२) १ अप्रैल सन् १९४६ को 'ख' के पास निम्नलिखित सिक्क्योरि-टिया थी .—

(क) २००००) ५ प्रतिशत सरकारी आय-कर-मुक्त ऋण (Tax-free Loan) सन् १९४५-५५ ।

(ख) ५५०००) ६ प्रतिशत आय-कर-मुक्त डिबेंचर्स (Tax-free Debentures) ।

(ग) २५०००) ६ प्रतिशत कर-घटाए ( Less Tax ) डिबेंचर्स ।

'ख' ने ५०) बैंक को ब्याज संग्रह करने का कमीशन दिया और ११००) ब्याज के ५५०००) के डिबेंचर्स को खरीदने के लिए उधार लिये हुए रुपये पर दिये । बतलाओ 'ख' की ब्याज से क्या कर-योग्य आय होगी ?

व्याज की आय	उद्गमस्थान पर कटौती	
(क) आयकर-मुक्त ऋण का व्याज	१०००)	—
(ख) आय-कर-मुक्त डिबेंचर्स का कुल व्याज		
$\frac{(३३०० \times १६)}{११}$	४८००)	१५००)
(ग) कम आय-कर डिबेंचर्स का व्याज	१५००)	४६८॥॥)
योग	७३००)	१९६८॥॥)

--- कटौतिया ---

(क) बैंक कमीशन ५०)

(ख) ऋण पर ब्याज ११००) ११५०)

ब्याज से कर-योग्य आय ६१५०)

सन् १९४९-५० मे ६३००) की ब्याज की रकम पर उद्गम-स्थान पर पाच आने की दर से १९६८।।) आय-कर काटा जावेगा । परन्तु १९४५-५५ सरकारी आय-कर-मुक्त ऋण पर उद्गम-स्थान पर कोई टैक्स नही काटा जावेगा क्योकि यह वास्तविक रूप में आय-कर से मुक्त है ।

## अध्याय ९

### (३) जायदाद की आय

#### (INCOME FROM PROPERTY)

धारा ६ के अनुसार कर-दाता को अपनी जायदाद के उचित वार्षिक मूल्य (Bonafide Annual Value) पर आय-कर देना पड़ता है। जायदाद की परिभाषा में मकान या उससे लगी हुई जमीन को सम्मिलित किया जाता है, जिसका कर-दाता स्वयं मालिक है। यदि कर-दाता मकान या जमीन को अपने उस निजी कारवार, पेगा या व्यापार के काम में लावे, जिसके लाभ पर कर लगता हो तो उस प्रकार की जायदाद की आय पर आय-कर नहीं लगता है। ठेके (Lease) पर लिये हुए मकान या जायदाद से होनेवाली आय पर आय-कर धारा ६ के अनुसार न लगकर धारा १२ के अनुसार लगता है। परन्तु यदि जायदाद अन्य देशों में स्थित है तो उससे प्राप्त होनेवाली आय पर आय-कर धारा ६ के अनुसार ही लगता है।

संयुक्त जायदाद (Property Owned Jointly) :—यदि कोई जायदाद कई व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में रखी जाती हो और यदि प्रत्येक व्यक्ति का जायदाद का हिस्सा निश्चित (Definite) और मालूम करने योग्य (Ascertainable) हो तो उन व्यक्तियों पर आय-कर जन-मंडल (Association of Persons) की भाँति न लगकर व्यक्तिगत रूप से (Individually) लगेगा।

अविभाज्य एस्टेट (Impartible Estate) :—धारा ६ (४) के अनुसार अविभाज्य एस्टेट का उत्तराधिकारी अपनी तमाम जायदाद

का स्वयं अकेला मालिक समझा जाता है। इसलिए सन् १९४८-४९ के असेसमेंट साल और उससे आगामी सालों से अविभाज्य एस्टेट के मालिक की कुल आय में जायदाद की आय भी सम्मिलित कर ली जावेगी।

कर-मुक्त जायदाद की आय (Exempted Property Income) —वह मकान, जिसका बनना १ अप्रैल १९४६ और ३१ मार्च १९५२ के बीच प्रारंभ तथा समाप्त हुआ हो, उसके समाप्त होने के दो वर्ष तक की आमदनी टैक्स से सर्वथा वरी (मुक्त) है।

वार्षिक मूल्य (Annual Value) —धारा ९ के अनुसार कर-दाता को अपनी जायदाद के वास्तविक वार्षिक मूल्य (Bonafide Annual Value) पर देना पड़ता है। वार्षिक मूल्य का अर्थ उस वार्षिक किराये की रकम से है जिसपर जायदाद को प्रति वर्ष किराये पर दिया जा सके। यदि कर-दाता स्वयं अपने रहने के लिए जायदाद को काम में ले तो इसका वार्षिक मूल्य मकान-मालिक की कुल आय के दसवें भाग से अधिक नहीं हो सकेगा। परन्तु यदि किसी कर-दाता का केवल एक ही मकान है और वह अपनी नौकरी, व्यापार या पेशा किसी दूसरी जगह होने के कारण उस मकान में न रहता हो और अपने काम करने की जगह किसी किराये के मकान में निवास करता हो और उसका निजी मकान किराये पर न दिया गया हो तो उस मकान का वार्षिक मूल्य कुछ भी नहीं माना जायगा। यदि वह उस वर्ष में किसी समय के लिए अपने निजी मकान में रहा है तो मकान का वार्षिक मूल्य उसी अनुपात में उसकी आय समझा जायगा परन्तु किसी भी अवस्था में ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य नफी (Loss) में नहीं माना जायगा।

वास्तव में देखा जाय तो वार्षिक मूल्य एक कल्पित रकम है जो प्राप्त हुए किराये से कम या अधिक हो सकती है। परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि यदि जायदाद किसी किरायेदार के पास है और स्थानीय सत्ता

(Local Authority) द्वारा लगाये हुए टैक्स पूर्ण रूप से मालिक द्वारा दिये जाते हैं या कुछ मालिक द्वारा और कुछ किरायेदार द्वारा तो जायदाद का उचित वार्षिक मूल्य मालूम करने के लिए इस प्रकार के टैक्सों की आधी रकम, जो किसी भी अवस्था में जायदाद के वार्षिक मूल्य के आठवें भाग से अधिक नहीं हो सकेगी काट ली जावेगी। यह कटौती सन् १९५१-५२ के असेसमेंट साल से ही लागू किया गया है। निम्नलिखित उदाहरण से यह भली भाँति समझ में आ जावेगा।

(१) एक किरायेदार जायदाद का किराया प्रति वर्ष १००००) देता है। इस जायदाद पर कुल स्थानीय टैक्स (Local Taxes) ८००) है जिसमें से किरायेदार स्वयं ने ३००) टैक्स के स्थानीय सत्ता को अपने किराये के अलावा दे दिये हैं। बतलाओ जायदाद का वार्षिक मूल्य क्या होगा ?

	८०
मालिक द्वारा प्राप्त किया हुआ किराया	१००००)
मालिक की एवज में किरायेदार द्वारा दिये हुए स्थानीय टैक्स	३००)
	१०३००)
बाद दिया :—स्थानीय टैक्सों का आधा भाग	४००)
	९६००)
वार्षिक मूल्य	

(२) जायदाद से प्राप्त हुआ किराया १७६००) है और किरायेदार ने मालिक की एवज में इस किराये के अलावा ४००) स्थानीय टैक्स के

स्वयं दिये हैं। यदि कुल स्थानीय टैक्सों की रकम ४५००० है तो वतलाओ जायदाद का वार्षिक मूल्य क्या होगा ?

	₹०
मालिक द्वारा प्राप्त किया हुआ किराया	१७६०००)
मालिक की एवज में किरायेदार द्वारा दिये हुए स्थानीय टैक्स	४०००)
	१८००००)
बाद दिया :—स्थानीय टैक्स ( कुल वार्षिक मूल्य (Annual Value) के आठवें हिस्से तक )	२००००)
	वार्षिक मूल्य १६००००)

जायदाद का वार्षिक मूल्य १६००००) निम्न प्रकार से मालूम किया गया है —

मान लीजिए वार्षिक मूल्य है = अ	
इसलिए अ होगा	= १८०,००० - $\frac{अ}{८}$
८ अ	= १४४,००० - अ
या ९ अ	= १४४०००
इसलिए अ	= १६०००
	१६०००

**कटौतियाँ (Deductions)** — किसी जायदाद की कर योग्य आय को मालूम करने के लिए निम्नलिखित कटौतियाँ उचित वार्षिक मूल्य में से बाद दी जाती हैं —

१. धारा ए की उपधारा १ के अनुसार मकान चाहे खाली रहे या किराये

पर दिया जावे या मकान-मालिक मरम्मत (Repairs) के लिए खर्च करे या न करे, अधिक करे या कम करे, प्रत्येक अवस्था में मकान-मालिक को वार्षिक मूल्य की आय में से छठा हिस्सा उस मकान की मरम्मत के लिए वाद दे दिया जायगा ।

१. (अ) १९५३ के सशोधन ऐक्ट के अनुसार यदि किसी करदाता की जायदाद को १९५० के आसाम भूकम्प से हानि पहुंची हो तो उस जायदाद की मरम्मत की कटौती १९५१-५२ असेसमेट वर्ष में निम्न दो रकमों में से, जो भी कम हो, उस तक हो सकती है — (१) वार्षिक मूल्य का आधा, (२) वास्तविक खर्चा जो मरम्मत पर किया गया हो ।
२. जायदाद की बरवादी या नुकसानी से बचने के लिए बीमा कम्पनी को दिया हुआ चन्दा भी वाद दिया जावेगा ।
३. यदि जायदाद रेहन (Mortgage) हो, उसपर अन्य पूजीगत भार (Capital Charge) हो तो उनके व्याजकी रकम भी वाद दी जाती है ।
४. यदि जायदाद पर कोई ऐसा वार्षिक भार (Annual Charge) हो जो पूजीगत भार नहीं है तो इस वार्षिक भार की रकम भी वाद दी जाती है ।
५. जायदाद को बनाने, खरीदने या मरम्मत करने के लिए कर्ज लिए हुए रुपये का व्याज भी वाद दिया जाता है ।
६. जायदाद के आधीन जमीन का किरायाया मालगुजारी जो दी गई है ।
७. जायदाद की मालगुजारी जो दी गई है ।
८. जायदाद की आमदनी को वसूल करने में जो सग्रह-व्यय (Collection charges) हुए हैं उनकी रकम, परन्तु यह रकम किराया वसूल करने का खर्चा व मुकदमे आदि का खर्चा सम्मिलित करके

जायदाद के वार्षिक मूल्य की ६ प्रतिशत से किसी भी अवस्था में अधिक नहीं होनी चाहिये ।

- ६ यदि जायदाद पूर्ण रूप से या उसका कुछ भाग किसी समय के लिए खाली रहे तो उस समय के लिए जायदाद के वार्षिक मूल्य का उचित अनुपात रिक्त-स्थान छूट (Vacancy Allowance) में दे दिया जावेगा ।
- १० यदि किराये की रकम वसूल नहीं की जा सके तो यह रकम भी वार्षिक किराये की आय में से वाद दे दी जावेगी बशर्तें मकान उचित रूप से (Bonafide) किराये पर दिया गया हो, किरायेदार से मकान खाली करवा लिया गया हो या खाली करवाने के लिए उचित कार्यवाही कर दी गई हो, किरायेदार उस मकान के किसी दूसरे हिस्से में या उसी मालिक के दूसरे मकान में न रहता हो तथा मकान-मालिक ने न दिये हुए किराये को प्राप्त करने के लिए उचित कानूनी कार्यवाही कर दी हो ।

यदि इन सब उपर्युक्त कटौतियों की रकम जायदाद के वार्षिक मूल्य से अधिक हो तो मकान-मालिक उसी वर्ष की अन्य आय में से यह नुकसान वाद दे सकता है परन्तु वह इस नुकसान की रकम को आगामी वर्षों में कभी भी वाद नहीं दे सकेगा ।

उदाहरण.—(१) राम की सन् १९५०-५१ की आय निम्न प्रकार है —

(क) वेतन की आय ३०००), (ख) कर-मुक्त सरकारी ऋण की आय १०००), (ग) जायदाद से प्राप्त किराया ६०००) जिसके किरायेदार ने ३००) स्थानीय टैक्स के इस किराये के अलावा कर-दाता की एवज में दिये हैं, कुल स्थानीय टैक्स १५००) है । राम इस मकान के आधे भाग में स्वयं रहता है । मकान का स्थानीय मूल्यांकन १५०००) है । राम ने यदि



मकान बीमा के चन्दे के २००) दिये हो तो उसकी जायदाद की आय तथा कुल आय क्या होगी ?	६०	६०	
किरायेदार से प्राप्त किराया	६०००)		
किरायेदार द्वारा मालिक के एवज में दिये हुए स्थानीय टैक्स		<u>३००)</u>	
	कुल किराया	६३००)	
बाद दिया —स्थानीय टैक्स (कुल वार्षिक मूल्य के आठवे हिस्से तक)		<u>७००)</u>	
किराये पर दिये हुए हिस्से का वार्षिक मूल्य	५६००)*		
बाद.—छठा हिस्सा मरम्मत	६३३)		
बीमा का चन्दा (आधा)	<u>१००)</u>	१०३३)	४५६७)
स्वय के रहनेवाले भाग का वार्षिक मूल्य (कुल आय के दसवे हिस्से तक)		६२३)†	
बाद —छठा हिस्सा मरम्मत	१५३)		
बीमा का चन्दा	<u>१००)</u>	<u>२५३)</u>	<u>६७०)</u>
जायदाद से कर योग्य आय			<u>५२३७)</u>

\* जब किराया स्थानीय टैक्स काटने के बाद प्राप्त हो और वार्षिक मूल्य के आठवें हिस्से तक स्थानीय टैक्सों को बाद देना हो तब कुल किराया की रकम [ यहाँ ६३००) ] को आठ से गुणा करके और नौ से भाग देने से वास्तविक वार्षिक मूल्य मालूम किया जा सकेगा ।

† मालिक के स्वय के रहनेवाले भाग का वार्षिक मूल्य (जो कि कुल आय के १० प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता ) निम्नप्रकार से निकाला जा सकता है :—

मान लीजिये उस हिस्से का वार्षिक मूल्य है = अ

तब उसकी कुल आय होगी = ३०००) + १०००) + ४५६७) +

( ८१ )

राम का सन् १९५१-५२ के असेसमेंट वर्ष का कुल आय का लेखा

१. वेतन	३०००)
२. करमुक्त सरकारी ऋण का व्याज	१०००)
३. जायदाद की आय	५२३७)
	<u>कुल आय ९२३७)</u>

$$(\text{अ} - \frac{\text{अ}}{६} - १००)$$

$$\text{या} = ८४६७ + \frac{५\text{अ}}{६}$$

$$\text{इसलिए अ} = \frac{१}{१०} \left( ८४६७ + \frac{५\text{अ}}{६} \right)$$

$$१०\text{अ} = ८४६७ + \frac{५\text{अ}}{६}$$

$$\text{या } ६०\text{अ} = ५०८०२ + ५\text{अ}$$

$$\text{या } ५५\text{अ} = ५०८०२$$

$$\text{इसलिए अ} = ९२३$$

मालिक के स्वयं के रहनेवाले हिस्से का उचित वार्षिक मूल्य निकालने के लिए दूसरा सरल तरीका यह है कि कर-दाता की अन्य कुल आय में से जायदाद-सम्बन्धी सब खर्चा घटाकर (केवल मालिक के स्वयं के निवासस्थान के छोटे हिस्से की भरम्मत को छोड़कर) जो शेष बची हुई रकम है उसे ६ से गुणा करने और ५५ का भाग देने से जो रकम आवेगी वही उस जायदाद का उचित वार्षिक मूल्य होगा। इस रकम में से भरम्मत, वीभा, व्याज आदि के खर्चें बाद दिये जावेंगे। यह तरीका उपर्युक्त तरीके से अधिक सरल और उपयुक्त है। जैसे निवासस्थान का वार्षिक मूल्य निम्न होगा :—

$$\frac{६}{५५} (३००० + १००० + ४५६७ - १००)$$

$$= \underline{९२३}$$

## अध्याय १०

### (४) व्यापार, पेशा और व्यवसाय-की आय

#### (INCOME FROM BUSINESS, PROFESSION AND VOCATION)

धारा १० के अनुसार कर-दाता अपने व्यापार, पेशा और व्यवसाय की आय व लाभ पर कर देता है। धारा २ (४) के अनुसार व्यापार में हर प्रकार की तिजारत, वाणिज्य, वस्तु-उत्पादन का कार्य सम्मिलित किया जाता है। पेशे का सवध उस कार्य से है जिसमें मस्तिष्क की योग्यता तथा हाथ की दक्षता की आवश्यकता होती है, जैसे डाक्टरी, वकालत आदि। व्यवसाय का अर्थ उन सब कार्यों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपनी जीविका उपार्जन करता है, जैसे वीमा एजेंसी, दलाली, सगीत, नृत्य आदि।

**कटौतियाँ (Deductions)** —व्यापार, पेशा और व्यवसाय की वास्तविक आय मालूम करने के लिए धारा १० (२) के अनुसार निम्न-लिखित खर्चे कच्ची आय वा कच्चे लाभ में से वाद दिये जाते हैं —

(१) जायदाद का किराया :—जिस जायदाद या मकान में व्यापार, पेशा आदि संचालित होते हैं उसका किराया व्यापारिक लाभ में से घटाया जाता है। यदि मकान का कोई हिस्सा निवास आदि के लिए काम आता है तो केवल उस हिस्से का किराया, जो व्यापार के काम में आता है, वाद दिया जावेगा। यदि फर्म द्वारा साझेदार को किराया दिया जाता है तो वह भी व्यापारिक लाभ में से वाद दिया जावेगा। परन्तु यदि कर-दाता अपने ही मकान में व्यापार करता है तो उसका किराया लाभ में से नहीं घटाया जावेगा।

(२) उधार ली हुई पूंजी का ब्याज :—व्यापार आदि के लिए उधार ली हुई पूंजी का ब्याज भी व्यापारिक खर्च मानकर कुल लाभ में से घटा दिया जाता है । यदि उस ब्याज की रकम किसी परदेशी (Non-resident) को दी गई है तो यह रकम तब तक वाद नहीं दी जा सकेगी जब तक इस ब्याज की रकम में से धारा १८ के अनुसार कर न काट लिया जावे या जब तक उस परदेशी का भारत में कोई ऐसा एजेंट न हो जिससे यह कर वसूल किया जा सके । फर्म के साझेदार को दिया हुआ ब्याज वाद नहीं दिया जाता है ।

(३) बीमा का चन्दे :—यदि व्यापार आदि के काम आनेवाले मकानात, मशीनरी, गोदाम आदि का बीमा कराया गया हो तो जो रूपया बीमा के चन्दे के रूप में दिया गया है वह भी व्यापारिक लाभ में से कम किया जा सकेगा । यदि रूपया बीमा के चन्दे में न दिया जावे, परन्तु केवल बीमा फंड (Insurance Fund) में रख लिया जावे तो यह रकम लाभ में से नहीं घटाई जा सकेगी ।

(४) चालू मरम्मत खर्च :—व्यापार के काम में आनेवाले मकानात, मशीनरी, प्लॉट, फरनीचर आदि को उचित रूप में रखने के लिए जो चालू मरम्मत का खर्चा करना पड़ता है वह व्यापारिक लाभ में से घटाया जा सकेगा । यदि पुरानी मशीनरी, प्लॉट आदि को खरीदने के समय ठीक करने के लिए खर्च किया गया है तो वह खर्च पूंजीगत खर्च होगा और यह वाद नहीं दिया जावेगा ।

(५) स्थानीय टैक्स :—मालगुजारी, स्थानीय महसूल या म्युनिसिपल टैक्स, जो व्यापार के काम आनेवाली जायदाद पर लगते हैं, वे भी व्यापारिक लाभ में से वाद दे दिये जाते हैं ।

(६) कर्मचारियों को बोनस :—यदि कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के बदले में वेतन के अलावा कोई रकम बोनस या कमीशन के रूप में दी गई हो तो वह रकम व्यापारिक लाभ में से कम कर दी जावेगी बशर्ते यह रकम कर्मचारी को लाभांश या लाभ के रूप में नहीं दी जाती और यह रकम

कर्मचारी व व्यापारी मालिक व व्यापार की अवस्था को ध्यान में रखते हुए उचित जान पड़े ।

(७) डूबत खाते :—वे व्यापारिक ऋण जो डूब गये हो या सदेहजनक हो निम्नलिखित अवस्थाओं में बाद दिये जा सकेंगे.—(१) यदि कर-दाता अपना हिसाब किसी वैधानिक पद्धति के अनुसार रखता है, (२) केवल उस रकम को जिसको इनकमटैक्स अफसर ने प्राप्त न होने योग्य मान लिया हो, (३) यह रकम बट्टे खाते लिखी हुई रकम से कभी अधिक नहीं हो सकेगी, (४) यदि बट्टे खाते लिखी हुई रकम किसी वर्ष वसूल हो जावेगी तो यह उस वर्ष की आय समझी जावेगी और उसपर टैक्स लगेगा ।

(८) मृतक व बेकार पशु :—यदि व्यापार के काम आनेवाले जानवर मर जाँएँ या वे सदैव के लिए बेकार हो जाँएँ तो उनके चमड़े से प्राप्त हुई रकम को उनकी कीमत में से कम करने के वाद जो रकम वचे वह व्यापारिक लाभ में से वाद दी जा सकेगी ।

(९) घिसाई आदि :—व्यापार में काम आनेवाली विल्डिंग, मशीनरी, प्लाट व फरनीचर आदि पर एक निश्चित दर से घिसाई (Depreciation) और मूल्यसतुलन बढ़ा (Obsolescence Allowance) भी दिया जाता है । इसकी पूरी व्याख्या एकर पृथक् अध्याय में की जायेगी ।

(१०) वैज्ञानिक खोज का व्यय :—व्यापार सबधी वैज्ञानिक खोज के लिए किया हुआ रेवेन्यू खर्चा व्यापारिक खर्चा माना जाता है और यह व्यापारिक लाभ में से वाद दे दिया जाता है ।

(११) वैज्ञानिक खोज के लिए चन्दा :—यदि चन्दा इस प्रकार की सस्था, विश्वविद्यालय, कालेज या अन्य सस्था को दिया गया है, जो निश्चित अधिकारी द्वारा वैज्ञानिक प्रयोग व अनुसंधान के लिए स्वीकृत है और जो सस्था कर-दाता के व्यापारसबधी वैज्ञानिक खोज करने के लिए तैयार है या कर रही है तो इस चन्दे की रकम भी व्यापारिक लाभ में से वाद दे दी जावेगी ।

(१२) वैज्ञानिक खोज पर पूंजीगत व्यय:—यदि व्यापार सवधी वैज्ञानिक खोज के लिए पूंजीगत व्यय किया गया हो तो यह व्यय पाच बराबर के हिस्सो मे व्यय करने के वर्ष से लगातार ५ वर्षों तक प्रत्येक वर्ष व्यापारिक खर्चा मानकर वाद दे दिया जावेगा ।

विविध खर्चें:—वह व्यय जो पूंजीगत व्यय नहीं है या करदाता का निजी व्यय नहीं है परन्तु जो केवल व्यापार, पेशा व कारबार के लिए पूर्ण रूप से खर्च किया गया है वह व्यापारिक व्यय माना जावेगा और व्यापारिक लाभ मे से घटा दिया जायगा । विशेषकर निम्नलिखित व्यय व्यापारिक खर्चें माने जाते हैं—

- (क) कर्मचारियों का वेतन, मजदूरी, भत्ता, पेशन आदि का खर्च ।
- (ख) विज्ञापन का वह खर्च जो पूंजीगत नहीं है ।
- (ग) मुकदमे से सवधित खर्चा यदि मूलधन की रक्षा के लिए खर्च नहीं किया गया है, आय-कर का उत्तरदायित्व दूर करने के लिए लगा हुआ खर्चा वाद नहीं दिया जावेगा ।
- (घ) माल बेचने के लिए दिया हुआ कमीशन या दलाली भी वाद दी जायगी, परन्तु यदि कमीशन या दलाली आदि ऋण प्राप्त करने के लिए दी गई है तो वाद नहीं दी जावेगी ।
- (ङ) स्वीकृत प्रोविडेंट फण्ड का चन्दा भी वाद दिया जा सकेगा परन्तु अस्वीकृत प्रोविडेंट फण्ड का नहीं ।
- (च) मजदूरों के हित (Employee's Welfare) मे लगाया हुआ खर्चा भी वाद दिया जावेगा ।
- (छ) श्रम क्षतिपूर्ति कानून (Workmen's Compensation Act) के अनुसार दिये जानेवाले हर्जाने को पूर्ण करने के लिए दिया गया चन्दा भी वाद दिया जावेगा ।

- (ज) वार्षिक हिसाब को आय-कर के लिए तैयार करने का खर्चा तथा उसकी ऑडिट फीस भी बाद दी जाती है ।
- (झ) व्यापारिक काण्ट्रैक्ट (Contract) को रद्द करने पर जो हरजाना देना पड़े वह भी बाद दिया जावेगा ।
- (ञ) किसी पेटेण्ट या कापीराइट की जो रायल्टी दी जाय वह भी बाद दी जावेगी ।
- (ट) बिक्री-कर (Sales Tax) भी कुल व्यापारिक लाभ में से बाद दिया जाता है ।
- (ठ) कच्चे माल को प्राप्त करने का समस्त खर्चा बाद दे दिया जावेगा ।
- (ड) सवारी खर्च, गाडी भाडा, लदाई, तुलाई, मजदूरी, आदि सब खर्चें बाद दिये जावेगे ।
- (ढ) अपने ट्रेड मार्क को दूसरी कपनी के द्वारा काम में न लाने दिये जाने के लिए किया हुआ कानूनी खर्चा भी बाद दिया जा सकेगा ।
- (ण) स्टेशनरी, छपाई व अन्य डाक खर्चें भी बाद दिये जाते हैं ।
- (त) ग्राहको के मनोरंजन और आदर-सत्कार का खर्चा बाद दिया जाता है ।
- (थ) व्यापारिक एसोसियेशन का चन्दा, यदि व्यापारी के हितार्थ है तो बाद दे दिया जाता है ।
- (द) मुहूर्त, उत्सव या दीवाली-पूजन का ४००) तक का खर्चा बाद दिया जाता है ।
- (ध) डाइरेक्टरो का वेतन, फीस, सवारी खर्चा, व्यापारिक खर्च है ।
- (न) यदि व्यापार के कार्य में कोई कर्मचारी गबन कर ले तो वह रकम भी बाद दे दी जायगी ।
- (प) यदि किसी कर्मचारी को रखना व्यापार के हित में न हो तो उसे

नौकरी से पृथक् करने पर जो हर्जाना दिया जावेगा वह भी व्यापारिक खर्चा ही माना जावेगा ।

(फ) माल तैयार करने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने और उसे बिक्री योग्य बनाने का समस्त व्यय व्यापारिक व्यय माना जाता है ।

(ब) मिलमालिक द्वारा सस्ते अनाज की दुकान अपने कर्मचारियों के लिए रखने पर जो हानि हो वह भी व्यापारिक खर्चा ही माना जावेगा ।

(भ) व्यापार के नुकसान की जोखिम को दूर करने के लिए जो बीमा चन्दा दिया जाता है वह भी व्यापारिक खर्चा ही माना जाता है ।

(म) प्रबन्धकर्त्ताओं (Managing Agents) को जो लाभ पर कमीशन दिया जाता है वह भी व्यापारिक खर्चा है ।

न काटे जानेवाले व्यय (Inadmissible Expenses).—  
निम्नलिखित व्यय व्यापार, पेशा व व्यवसाय की आमदनी मालूम करते समय नहीं घटाये जाते हैं .—

(१) व्यापार, पेशा व व्यवसाय के लाभ पर दिया हुआ महसूल, चुगी, टैक्स, व्यापारिक लाभ में से घटाये नहीं जायेंगे । आय-कर और अतिरिक्त-कर भी नहीं वाद दिये जाते हैं ।

(२) यदि वेतन भारत के बाहर किसी परदेशी को दिया गया है तो जब तक इस वेतन पर उद्गम स्थान पर टैक्स न काटा गया है तब तक वह वाद नहीं दिया जा सकता है ।

(३) फर्म के किसी भी साझेदार को दिया हुआ व्याज, वेतन, कमीशन भी व्यापारिक लाभ में से वाद नहीं दिया जाता है ।

(४) अस्वीकृत प्रोविडेंट फंड में दिया हुआ चन्दा भी वाद नहीं दिया जावेगा ।



- (५) मालिक या साझेदार के निजी खर्चे या उनकी ड्राइंग्स (Drawings) भी बाद नहीं दी जावेंगी ।
- (६) डूबत व सदेहपूर्ण खातों के रिजर्व (Reserve for Bad and Doubtful Debts) या और भी किसी प्रकार के रिजर्व की रकम भी व्यापारिक लाभ में से बाद नहीं दी जाती है । रिजर्व पर दिया हुआ ब्याज भी बाद नहीं दिया जाता है ।
- (७) वह धर्मादा खर्च, जो धारा १५ के अनुसार स्वीकृत सस्थाओं को नहीं दिया गया है, बाद नहीं दिया जाता है ।
- (८) गत वर्ष का नुकसान भी चालू वर्ष के लाभ में से कम नहीं किया जा सकता है ।
- (९) कानून द्वारा निश्चित दरों से अधिक घिसाई (Depreciation) भी बाद नहीं दी जाती है ।
- (१०) ऋण-पत्रों (Debentures) को प्रचलित करने पर जो व्यय हो या ऋण प्राप्त करने पर जो खर्चे लगे वे भी लाभ में से बाद नहीं दिये जाते हैं ।
- (११) नई कंपनी द्वारा अपने हिस्सों ( Shares ) को बेचने के लिए दिया गया अभिगोपन कमीशन ( Underwriting Commission ) भी बाद नहीं दिया जाता है ।
- (१२) हिस्सों और ऋण-पत्रों को बेचने के लिए दी गई दलाली भी बाद नहीं दी जाती है ।
- (१३) कंपनी का सस्थापन करने के समय जो प्रारंभिक खर्चे ( Preliminary Expenses ) लगते हैं वे भी बाद नहीं दिये जाते हैं ।
- (१४) किसी भी व्यापारिक जायदाद की बढ़ोतरी करने, बदलने या

परिवर्तन करने या सुधार करने में जो खर्च होता है वह भी वाद नहीं दिया जाता है ।

(१५) अन्य वे समस्त खर्चे जो पूजीगत हो और जो पूर्ण रूप से और पृथक् रूप से व्यापार के लिए व्यय नहीं किये गये हो व्यापारिक लाभ में से वाद नहीं दिये जाते हैं ।

चाय की कम्पनियाँ (Tea Companies) —चाय की कपनियों की आय भी व्यापारिक लाभ की ही भाँति मालूम की जाती है, परन्तु इन कपनियों की केवल ४० प्रतिशत आय ही कर योग्य मानी जाती है और ६० प्रतिशत आय कृषि आय मानी जाती है और इस पर कर नहीं लगता है । पौधों को लगाने, उनकी वदली करने तथा उनकी रक्षा करने पर जो खर्च लगता है वह भी वाद दिया जाता है, परन्तु किसी भी प्रकार का पूजीगत व्यय व्यापारिक लाभ में से कम नहीं किया जाता है ।

शकर की कम्पनियाँ ( Sugar Companies ) —जो शकर की कपनियाँ अपने कृषि फार्म पर गन्ना तैयार करके उससे चीनी तैयार करती हैं उन्हें इस गन्ने की बाजार भाव से कीमत व्यापारिक लाभ से कम करने का अधिकार है, परन्तु फार्म पर लगनेवाले अन्य खर्चों को कम करने का नहीं ।

व्यापार-मंडल ( Trade Associations ) —यदि कोई व्यापार मंडल या इसी प्रकार की अन्य संस्थाएँ उन कार्यों से लाभ प्राप्त करती हैं जिनको इन्होंने अपने सदस्यों के हित के लिए किये हैं तो इनका वह लाभ भी व्यापारिक लाभ की भाँति कर योग्य है ।

कमाई हुई आय की छूट (Earned Income Allowance) —यदि व्यापार, पेशा व व्यवसाय की आय व लाभ करदाता के शारीरिक या मानसिक परिश्रम के कारण हुआ है तो उसपर २० प्रतिशत तक या अधिक से अधिक ४०००) तक कमाई हुई आय की छूट मिलती है ।

उदाहरण :—(१) श्रीगणेश कॉटन मिल्स के सन् १९५० के दिस-

म्बर तक के निम्नलिखित हानि-लाभ खाते से कपनी की कर योग्य आय मालूम कीजिये —

काँटन खाता	५०,००,०००]	सूत खाता	६१,००,०००]
स्टोर्स खाता	१०,००,०००]	कपडा खाता	३१,००,०००]
मजदूरी और वेतन	२०,००,०००]	वेस्ट खाता	२,४७,०००]
साधारण खर्च	१०,०००]	ट्रान्सफर फीस	३,०००]
दान और धर्मादा			
( $\frac{१}{३}$ रकम स्वीकृत धर्मादा के लिए दी)	१०,०००]		
महसूल और वीमा	५,०००]		
दलाली ( $\frac{१}{३}$ ऋण लेने के लिए दी गई)	५,०००]		
ऑफिस खर्च	१,१०,०००]		
डाइरेक्टर्स फीस	३,०००]		
आडिट फीस	२,०००]		
व्याज ( $\frac{१}{३}$ रकम रिजर्व के लिए सम्मिलित है )	१,०५,०००]		
खोज का पूजीगत खर्च	५०,०००]		
प्रबन्धकर्त्ताओं का कमीशन	१,००,०००]		
घिसाई १०%			
(कानूनी दर ५%)	५०,०००]		
नफा	१०,००,०००]		
	<hr/>		<hr/>
	६४,५०,०००]		६४,५०,०००]
	<hr/>		<hr/>

श्री गणेश काटन मिल्स का १९५१-५२ के असेसमेट वर्ष  
का आय-लेखा

लाभ हानि-लाभ खाते से		१०,००,०००)
जोड़ो — खर्चें जो वाद नहीं दिये जा सकते हैं		
धर्मादा-दान ( $\frac{१}{२}$ )	५,०००)	
दलाली ( $\frac{१}{२}$ ऋण लेने के लिए दी गई)	२,५००)	
खोज का पूजीगत खर्च ( $\frac{५}{६}$ )	४०,०००)	
घिसाई ( $५\%$ से अधिक)	२५,०००)	
रिजर्व की रकम	५२,५००)	१,२५,०००)
		<hr/>
कर योग्य कम्पनी की आय		११,२५,०००)
		<hr/>

नोट — कम्पनी को कमाई हुई आय की छूट नहीं मिलती है।

(२) आसाम की कपनी लिमिटेड के सन् १९५१ के मार्च तक के निम्न  
हानि-लाभ खाते से कपनी की कर योग्य आय मालूम कीजिये —

प्रारम्भिक स्टॉक	२,५०,०००)	चाय की बिक्री	८,५०,०००)
कृषि और उत्पादन खर्च	५,००,०००)	चाय का स्टॉक	२,२०,०००)
किराया और महसूल	२५,०००)		
साधारण खर्च	१५,०००)		
कमीशन और दलाली	३०,०००)		
धर्मादा (अस्वीकृत आघा)	५,०००)		
आयकर और अतिरिक्त कर	१५,०००)		

( ९२ )

रिजर्व	१०,०००]	
डाइरेक्टर्स फीस	१,०००]	
आडिट फीस	१,०००]	
ब्याज (ऋण-पत्रो पर)	१३,०००]	
कर्मचारियों को बोनस	५,०००]	
घिसाई (आधी स्वीकृत)	५०,०००]	
नेट लाभ	१,५०,०००]	
	<hr/>	<hr/>
	१०,७०,०००]	१०,७०,०००]
	<hr/>	<hr/>

आसाम टी कंपनी लिमिटेड का १९५१-५२ के असेसमेंट  
वर्ष का आय-लेखा

लाभ हानि-लाभ खाते से		१,५०,०००]
जोडो.—अस्वीकृत खर्चे —		
घर्मादा ( ३ अस्वीकृत )	२,५००]	
आय-कर और अति-		
रिक्त-कर	१५,०००]	
रिजर्व	१०,०००]	
घिसाई (आधी)	२५,०००]	५२,५००]
	<hr/>	<hr/>
		२,०२,५००]
कम करो.—६० प्रतिशत कृषि आय		१,२१,५००]
		<hr/>
कम्पनी की कर योग्य व्यापारिक आय		८१,०००]
		<hr/>

## अध्याय ११

### (५) अन्य साधनों से आय

#### ( INCOME FROM OTHER SOURCES )

धारा १२ (१) के अनुसार कर-दाता को उस सब प्रकार की आय व लाभ पर कर देना पड़ता है जो उसे प्रथम चार आय के शीर्षको के अलावा होती है। अन्य साधनों से प्राप्त आय में विशेषकर निम्नलिखित आय सम्मिलित की जाती है—

- ( १ ) विदेशी सरकार से प्राप्त वेतन या पेगन
- ( २ ) अन्य सब प्रकार का व्याज, केवल सिन्डिकेटों के व्याज को छोड़कर
- ( ३ ) कम्पनी के डाइरेक्टरो की फीस
- ( ४ ) किसी प्रकार की फीस या कमीशन जो वेतन से सम्बन्धित न हो
- ( ५ ) किसी विशेषाधिकारशुल्क(Royalty)के रूप में प्राप्त आय
- ( ६ ) मकान से पृथक् जमीन से प्राप्त किराये की आय
- ( ७ ) भूमि से प्राप्त किराया
- ( ८ ) वह सब प्रकार की आय जो मेले लगवाने से या मछली पकड़ने के घाटो से होती है
- ( ९ ) किराये की जायदाद का कुछ हिस्सा किराये पर देने से जो आय हो
- ( १० ) वह कृषि आय जो कर योग्य है
- ( ११ ) इमारत, मशीनरी, प्लाट व फरनीचर के किराये से प्राप्त आय

- ( १२ ) कम्पनियों के हिस्सों पर प्राप्त लाभांश (Dividend) की आय
- ( १३ ) आय उन एन्यूइटियों ( Annuities ) पर जो विल (Will) या वसीयत के अनुसार दी गई हैं
- ( १४ ) किसी परदेशी ( Non-resident ) द्वारा अपनी भारतीय निवासी ( Resident ) धर्मपत्नी को भेजी हुई रकम
- ( १५ ) अन्य आय जो प्रथम चार शीर्षकों में सम्मिलित नहीं की जा सकती हैं ।

कटौतियाँ (Deductions):—अन्य साधनों से कर योग्य आय मालूम करने के लिए उन समस्त खर्चों को बाद दिया जाता है जो उस विशेष आय व लाभ को उत्पन्न करने के उद्देश्य से व्यय किये गये हैं और जो पूजीगत व्यय नहीं हैं ।

बाद न दिये जानेवाले व्यय :—अन्य साधनों से आय मालूम करने के लिए निम्नलिखित व्यय बाद नहीं दिये जाते हैं —

- ( १ ) कर-दाता का व्यक्तिगत या निजी व्यय
- ( २ ) वह व्यय जो पूजीगत व्यय है
- ( ३ ) अन्य साधनों की आय में उस वेतन या ब्याज की रकम जो भारत के बाहर धारा १८ के अनुसार कर उद्गमस्थान पर काटे बिना भेजी गई हो ।

कमाई हुई आय की छूट (Earned Income Allowance) - यदि कर-दाता ने अन्य साधनों से शारीरिक या मानसिक मेहनत करके आय प्राप्त की हो तो उस आय पर २० प्रतिशत तक या अधिक से अधिक ४०००) तक की कमाई हुई आय की छूट दी जाती है ।

वास्तविक लाभांश को मालूम करना (Grossing up of Dividends):—लाभांश की विस्तृत परिभाषा तो पहले ही बतलाई जा चुकी है । यहाँ पर यह बतलाना ही काफी है कि लाभांश की वास्तविक आय

कैसे मालूम की जाती है। हिस्सेदारों को जो रकम लाभांश के रूप में मिलती है वह उनकी लाभांश की वास्तविक आय (Gross Income) नहीं है क्योंकि कम्पनी को लाभांश देने से पहले अपनी समस्त आय पर सर्वोच्च दर (Maximum Rate) से आय-कर देना पड़ता है। इसलिए हिस्सेदार के लाभांश की वास्तविक आय मालूम करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त किये हुए लाभांश में आय-कर की रकम और जोड़ी जानी चाहिए, परन्तु यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इस आय-कर की रकम किस वर्ष की दर से लाभांश में जोड़ी जावे ? इसका धारा १६ (२) के अनुसार सीधा-सादा उत्तर यही है कि लाभांश की रकम का ग्रास-अप (Gross up) उस दिन की दर से ही किया जावेगा जिस दिन लाभांश की रकम दी गई है या जमा की गई है या बाटी गई है या ऐसा करना माना गया है। लाभांश की रकम को उस आय-कर की रकम के अनुपात से बढ़ाया जावेगा जो कि कम्पनी की कुल आय पर उस आर्थिक वर्ष (Financial year) की दर से लागू होती है जिस वर्ष में हिस्सेदार को लाभांश दिया गया है या उसका लेखा किया है या बाटा गया है या ऐसा करना माना गया है। यदि कम्पनी की आय का कुछ भाग ऐसे साधनों से प्राप्त किया गया हो जो कर-मुक्त हो जैसे कर-मुक्त सिक्योरिटियों (Tax-free Securities) से, कृषि से, तो लाभांश की वास्तविक आय (Gross Income) मालूम करने के लिए उसी अनुपात से आय-कर की रकम बढ़ाई जाती है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि कम्पनी को अपनी कुछ आय पर, जो कर-मुक्त साधनों से प्राप्त हुई है, कर नहीं देना पड़ता है, परन्तु हिस्सेदार के हाथों में ऐसी आय से प्राप्त लाभांश की रकम पूर्णतया कर योग्य है।

परन्तु १९५३ के आय-कर संशोधन ऐक्ट में यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी कम्पनी की कृषि आय पर प्रांतीय कृषि-कर लग चुका है तो ऐसा कृषि-कर हिस्सेदारों द्वारा ही दिया समझा जायगा, और ऐसी



कंपनी के हिस्सेदारों को जो कर आय-कर विधान के अनुसार देना पड़ेगा उसमें कुछ कटौती कर दी जायगी ।

इस कटौती की रकम निम्न दो रकमों में से जो भी कम होगी उसी के बराबर हो सकती है:—

(१) वह राशि जिसका कंपनी द्वारा दिये गये कृषि-कर के साथ वही अनुपात है जो लाभांश (जो कि धारा १६ (२) के अनुसार बढ़ाया नहीं गया है) का कंपनी की कुल कृषि-आय के साथ है । या

(२) वह राशि जिसका हिस्सेदार द्वारा दिये जानेवाले आय-कर के साथ वही अनुपात है जो लाभांश (जो कि धारा १६ (२) के अनुसार बढ़ाया नहीं गया है) का हिस्सेदार की कुल आय के साथ है ।

नेट लाभांश (Net Dividend) को वास्तविक लाभांश (Gross Dividend) में निम्न प्रकार से परिणत किया जाता है —

(१) यदि कंपनी का समस्त लाभ कर योग्य है तो नेट लाभांश को ग्रेस लाभांश में निम्न तरीके से परिणत किया जाता है:—

ग्रेस लाभांश = नेट लाभांश  $\times \frac{1}{1 - \frac{d}{100}}$  जब कि 'द' का अर्थ है

$$1 - \left( \frac{d}{100} \right)$$

कंपनी द्वारा प्रति रुपये में दी गई आय-कर की दर पाइयों में ।

उदाहरणार्थ, यदि कंपनी की कुल आय १९२) हो और कंपनी की आय-कर की दर ६० पाई प्रति रुपया हो तो हिस्सेदार को नेट लाभांश १३२) मिलेगा और कंपनी द्वारा दिये हुए आय-कर की रकम ६०) होगी । इसलिए

प्रत्येक १३२) के नेट लाभांश का ग्रास लाभांश १६२) होगा। इसी नियम के आधार पर उपर्युक्त तरीका निकाला गया है।

(२) यदि कंपनी के लाभ का कुछ भाग ही कर योग्य है तो नेट लाभांश को ग्रास लाभांश में निम्न तरीके से परिणत किया जावेगा:—

१

$$\text{ग्रास लाभांश} = \text{नेट लाभांश} \times \frac{1}{1 - \left( \frac{\text{द}}{१६२} \times \frac{\text{अ}}{१००} \right)} \quad \text{जब कि 'द'}$$

का अर्थ है कंपनी द्वारा प्रति रुपये में दी गई आय-कर की दर पाइयो में और 'अ' का अर्थ है कंपनी के लाभ के उस प्रतिशत से जिस पर कर लगा है।

उदाहरणार्थ, यदि कंपनी की कुल आय १००) है और उसका ३२ प्रतिशत करयोग्य भाग है तो कंपनी को ३२) पर ६० पाई प्रति रुपया कर की दर से १०) आय-कर के देने पड़ेंगे और हिस्सेदार को इस प्रकार नेट लाभांश ६०) मिलेगा। इसलिए प्रत्येक ६०) के नेट लाभांश का ग्रास लाभांश १००) होगा जब कि कंपनी का ३२) प्रतिशत लाभ कर योग्य है और आयकर की दर ६० पाई प्रति रुपया है। इसी नियम के आधार पर उपर्युक्त तरीका निकाला गया है।

## अध्याय १२

### घिसाई

#### (DEPRECIATION)

धारा १० (२) (vi) के अनुसार घिसाई कर-दाता की उस बिल्डिंग, मशीनरी, प्लॉट व फरनीचर के लिखित मूल्य (Written down value) पर नियमित दरों के अनुसार दी जाती है जो उसकी सम्पत्ति है और जो व्यापार, पेशा या व्यवसाय के काम में आते हैं। सामुद्रिक जहाजों की घिसाई उनकी लागत (Original Cost) पर दी जाती है और उनके लिखित मूल्य (Written down value) पर नहीं। घिसाई सदैव जायदाद के मालिक को ही दी जाती है और ठेकेदार को कभी नहीं।

लिखित मूल्य (Written Down Value) .—किसी सम्पत्ति (Asset) के लिखित मूल्य का अर्थ है—(१) यदि संपत्ति को गत वर्ष में खरीदा गया है तो उसकी दी गई वास्तविक कीमत से, और (२) यदि संपत्ति गत वर्ष से पहले खरीदी गई है तो उसकी वास्तविक लागत में से कर-दाता

को भी घिसाई की रकम पहले मिल चुकी है उसको घटाने के बाद जो रकम बचती है उससे । यहा पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि संपत्ति का लिखित मूल्य मालूम करने के लिए प्रारम्भिक घिसाई (Initial Depreciation) तथा सशोषित घिसाई (Unabsorbed Depreciation) को नहीं घटाया जाता है । यदि कर-दाता किसी बिल्डिंग का पहिले से ही मालिक हो और वह बिल्डिंग २८ फरवरी सन् १९४६ के बाद व्यापार, पेशा या व्यवसाय के काम मे लाई जावे तो उस बिल्डिंग का लिखित मूल्य वह रकम होगी जो लागत से कानून के अनुसार घिसाई की रकम घटाने के उपरान्त शेष रहती है ।

प्रारम्भिक घिसाई (Initial Depreciation):—धारा १० (२) (VI) के अनुसार नई बिल्डिंग, नई मशीनरी और प्लांट पर निम्न प्रकार से प्रारम्भिक घिसाई प्रथम वर्ष मे दी जाती है :—

- (१) यदि बिल्डिंग १ अप्रैल सन् १९४६ और ३१ मार्च सन् १९५४ की अवधि मे बनाई गई है तो कर-दाता को लागत का १५ प्रतिशत दिया जावेगा ।
- (२) यदि बिल्डिंग ३१ मार्च सन् १९४५ के बाद और १ अप्रैल सन् १९४६ के पहिले बनाई गई हो या बिल्डिंग ३१ मार्च सन् १९५२ के बाद बनाई जावे तो कर-दाता को लागत की १० प्रतिशत प्रारम्भिक घिसाई दी जावेगी ।
- (३) यदि नई मशीनरी या नया प्लाट ३१ मार्च सन् १९४५ के बाद लगाया गया हो तो कर-दाता को उसकी लागत का २० प्रतिशत दिया जावेगा ।

यह प्रारम्भिक घिसाई केवल नई बिल्डिंग, नई मशीनरी व नये प्लाट

पर प्रथम वर्ष में ही दी जाती है। यह पूरी साल के लिए और पूरी दरो के अनुसार दी जाती है चाहे संपत्ति साल के मध्य में ही क्यों न तैयार की गई हो। इस प्रारम्भिक घिसाई को लिखित मूल्य (Written down value) मालूम करने के लिए नहीं घटाया जाता है। परन्तु यदि संपत्ति बेची जाय, या रद्दी की जाय, या नष्ट हो जावे तो उसके वास्तविक नुकसान या लाभ को मालूम करने के लिए यह प्रारम्भिक घिसाई अवश्य ध्यान में रखी जाती और इसको घटाकर यह नुकसान मालूम किया जाता है।

वार्षिक घिसाई (Annual Depreciation) :—धारा १० (२) (vi) के अनुसार प्रतिवर्ष बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट और फरनीचर के लिखित मूल्य पर निश्चित दरो से वार्षिक घिसाई दी जाती है। वार्षिक घिसाई की कुछ प्रमुख दरे निम्न प्रकार से हैं :—

- (१) प्रथम श्रेणी की बिल्डिंग पर २½%
- (२) दूसरी श्रेणी की बिल्डिंग पर ५%
- (३) तीसरी श्रेणी की बिल्डिंग पर ७½%

फैक्टरी बिल्डिंग्स पर इनसे दुगुनी दरें दी जाती हैं, परन्तु उनमें दफ्तर, गोदाम व निवास का मकान सम्मिलित नहीं किया जाता है।

- (४) फरनीचर पर साधारण दर है ६%
- (५) होटल व छात्रावास के फरनीचर पर ६%
- (६) मशीनरी और प्लांट पर साधारणतया ७%
- (७) मशीनरी और प्लांट की विशेष दर १०%
- (८) मोटरकार और साइकिल पर २०%

अतिरिक्त चलने का भत्ता (Extra Shift Allowance) :—यदि कोई मशीनरी और प्लाट साधारण अवधि से दुगुनी अवधि तक चलाई जावे तो उनपर साधारण घिसाई की रकम के अतिरिक्त घिसाई की आधी रकम (५० प्रतिशत) और बाद दी जावेगी । यदि मशीन को तिगुने या और भी अधिक समय तक काम मे लाया गया है तो इस अतिरिक्त समय के चलाने की घिसाई शत प्रतिशत (१००%) तक हो सकती है । इस उद्देश्य के लिए एक वर्ष ३०० दिन का माना जाता है । इस अतिरिक्त चलने के भत्ते को ही Extra Shift Allowance कहते हैं ।

दुगुनी घिसाई (Double Depreciation) :—धारा १०(२) (VI ए) के अनुसार ३१ मार्च सन् १९४८ के बाद जो नई बिल्डिंग या नई मशीनरी या नया प्लाट व्यापार के काम मे लिया जावे तो उसके लिखित मूल्य पर लगाये जानेवाले वर्ष के बाद ५ असेसमेट वर्ष तक नियमित दरो से दुगुनी घिसाई दी जावेगी , परन्तु यह कटौती ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होनेवाले वर्ष तक ही मिल सकती है । यदि ३१ मार्च १९५६ तक किसी कर-दाता को ऐसी कुल चार या इससे भी कम कटौती मिली है तो उसको इसके बाद कोई कटौती नहीं मिलेगी । दूसरे शब्दों में केवल साधारण घिसाई (Normal Depreciation) के बराबर की रकम की घिसाई और मिलेगी, परन्तु अतिरिक्त चलने के भत्ते (Extra Shift Allowance) तथा प्रारम्भिक घिसाई (Initial Depreciation) की दुगुनी घिसाई नहीं दी जावेगी और कुल घिसाई की रकम वास्तविक लागत (Original cost) से कभी भी अधिक नहीं हो सकेगी । यदि इस प्रकार की मशीनरी और प्लाट की बाजार कीमत (Market Value) उस असेसमेण्ट वर्ष से पूर्व वर्ष के

३१ मार्च को, जिसमें कि करदाता को इस कटौती की अन्तिम किस्त मिलनी है, इसकी प्रारम्भिक लागत (Original Cost) से कम हो तो कर-दाता को प्रारम्भिक लागत के लिखित मूल्य (Written down value) तथा बाजार मूल्य (Market value) के लिखित मूल्य के अन्तर के बराबर घिसाई की रकम और बाद दे दी जावेगी। यह घिसाई भी लिखित मूल्य (Written down value) मालूम करने के लिए घटाई जा सकेगी परन्तु प्रारम्भिक घिसाई (Initial Depreciation) नहीं।

अशोधित घिसाई ( Unabsorbed Depreciation ) -धारा १० (२) (vi) के दूसरे प्रोविजो के अनुसार यदि किसी वर्ष व्यापार में लाभ न होने के कारण घिसाई की छूट न मिल सके या थोड़ा लाभ होने के कारण घिसाई का कुछ भाग बाकी रह जावे तो घिसाई की शेष रही रकम को अशो-धित घिसाई (Unabsorbed Depreciation) कहते हैं। यदि उस वर्ष करदाता को वेतन, सिक्योरिटियो के व्याज, जायदाद या अन्य साधनो से आय हुई हो तो इस अशोधित घिसाई की रकम को इस आय से शोधित (Absorb) किया जा सकता है और केवल इसके बाद बची हुई घिसाई ही अशोधित घिसाई मानी जावेगी। अशोधित घिसाई आगामी वर्षों के लाभ मे से बिना किसी प्रतिबन्ध के शोधित की जा सकती है जब कि व्यापारिक नुकसान केवल आगामी ६ वर्षों के लाभ से ही शोधित किया जा सकता है। यदि वह व्यापार किसी वर्ष बन्द हो जावे तो अशोधित घिसाई अन्य व्यापार के लाभ से शोधित नहीं की जा सकेगी। अशोधित घिसाई को संपत्ति का लिखित मूल्य (Written down value) मालूम करने के लिए बाद नहीं दिया जाता है क्योंकि वह घिसाई वास्तव मे स्वीकृत की हुई घिसाई (Actually allowed depreciation) नहीं है।

**संतुलनीय घिसाई (Balancing Depreciation):**—धारा १० (२) (vii) के अनुसार यदि व्यापार के काम में आनेवाली मशीनरी, प्लांट या बिल्डिंग को बेच दिया जावे, या रह कर दिया जावे, या गिरा दिया जावे, या नष्ट हो जावे तो इसके लिखित मूल्य [ अर्थात् प्रारम्भिक लागत में से समस्त घिसाई (प्रारम्भिक घिसाई को सम्मिलित करके) को घटाने के बाद जो रकम बचे ] में से बिक्री मूल्य (Sale Price) या शेष मूल्य (Scrap Value) को कम करने के उपरान्त जो नुकसान होता है वह संतुलनीय घिसाई के रूप में बाद में दे दिया जाता है। परन्तु यदि संपत्ति का बिक्री मूल्य (Sale Price) वास्तविक लागत (Original Cost) से या लिखित मूल्य (Written down value) से अधिक हो तो ऐसी वृद्धि वास्तविक लागत की सीमा तक तो कर-योग्य लाभ समझा जावेगा, परन्तु लागत से ऊपर का लाभ पूंजीगत लाभ (Capital Profit) समझा जावेगा जो कर से सर्वथा मुक्त रहेगा। इसी प्रकार यदि बीमा कराई हुई संपत्ति नष्ट हो जावे तो टूटे-फूटे टुकड़ों का मूल्य व बीमा की रकम मिल कर उस संपत्ति के लिखित मूल्य से अधिक हो जावे तो ऐसी वृद्धि वास्तविक लागत की सीमा तक तो कर योग्य है और उस लागत से ऊपर की रकम पूंजीगत लाभ है जो कर से सर्वथा मुक्त है। ये सब प्रकार की घिसाईया निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जावेगी —

**उदाहरण** — एक फैक्टरी ने, जिसका व्यापारिक वर्ष ३१ मार्च को समाप्त होता है, एक नई मशीनरी १ अप्रैल १९४८ में ५,००,०००) में खरीदी। यह मशीन प्रथम वर्ष में ६० दिन Double shift और ६० दिन ही Triple shift चली। यदि इस मशीन पर घिसाई १० प्रतिशत मिली हो और यह सन् १९५० के मार्च में क्रमशः (१) १,५०,०००), (२) ३,००,०००) और (३) ५,२०,०००) में बेच दी जावे तो संतुलनीय घिसाई (Balancing depreciation), कर-योग्य लाभ (Taxable Profit) और पूंजीगत लाभ (Capital Profit) क्या होगा ?



कर वर्ष  
१९४९-५०

मशीनरी की लागत  
प्रारम्भिक विसाई १,००,०००)  
साधारण विसाई ५०,०००)  
विशेष विसाई ५०,०००)

अतिरिक्त Double  
shift allowance

( $\frac{1}{2}$  का आधा) ५,०००)  
(Triple shift allowance)  
( $\frac{1}{2}$  का १०० प्रतिशत) १०,०००)

लिखित मूल्य (Written  
down value) ३८,५००)  
साधारण विसाई ३८,५००)  
विशेष विसाई

लिखित मूल्य (Written  
down value)  
कम करो प्रारम्भिक विसाई

बिन्ती मूल्य  
संतुलनीय विसाई (१)  
कर-योग्य लाभ (२)  
पूजीगत लाभ (३)

(१) ५,००,०००)  
(२) ५,००,०००)  
(३) ५,००,०००)

( २०४ )

१,१५,०००)  
३,८५,०००)  
७७,०००)  
१,१५,०००)  
३,८५,०००)  
७७,०००)

३,०८,०००)  
१,००,०००)  
२,०८,०००)  
५,२०,०००)  
२,९२,०००)  
(३) २०,०००)

## अध्याय १३

### हिसाब-पद्धतियां और घाटे की पूर्ति

#### (ACCOUNTING SYSTEMS & SET-OFF OF LOSSES)

धारा १३ के अनुसार कर-दाता की आय उस हिसाब-पद्धति से ही मालूम की जाती है जिसको वह नियमित रूप से काम में ले रहा है। परन्तु यदि कर-दाता की हिसाब-पद्धति से उसकी आय का पूरा-पूरा पता न लगाया जा सके या हिसाब-पद्धति ठीक नहीं हो या कभी हिसाब एक पद्धति के अनुसार रखा गया हो और कभी दूसरी पद्धति के अनुसार तो इनकमटैक्स आफिसर को यह अधिकार है कि वह कर-दाता की कुल आय मालूम करने के लिए जिस पद्धति को पसन्द करे उसके द्वारा हिसाब लगा सकता है।

आय-कर कानून के अनुसार हिसाब रखने के लिए कोई पद्धति निश्चित नहीं की गई है। परन्तु साधारणतया हिसाब को रखने के लिए निम्न-लिखित तीन पद्धतियां अपनाई जाती हैं —

(१) रोकड़ पद्धति (Cash System)—इस पद्धति के अनुसार केवल रोकड़ी व्यय और रोकड़ी आय का हिसाब रखा जाता है। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक लेन-देन का दुहरा जमा-खर्च बहियों में नहीं किया जाता है। जिस व्यापार में उधार लेन-देन होता है उस व्यापार का लाभ इस पद्धति के अनुसार ठीक तरह से मालूम नहीं किया जा सकता है और न हिसाब ही ठीक तरह से रखा जा सकता है। परन्तु यह पद्धति निजी हिसाब व डाक्टर, वकील, क्लब, पुस्तकालय, स्कूल, कालेज आदि का हिसाब रखने के लिए अति उत्तम सिद्ध होती है।

(२) महाजनी पद्धति (Mercantile System) .—इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक लेन-देन का दुहरा जमा-खर्च किया जाता है। एक खाते में वही रकम नाम लिखी जाती है और दूसरे खाते में जमा की जाती है। यह पद्धति उधार के लेन-देन का हिसाब रखने के लिए भी अत्यन्त उपयुक्त सिद्ध हुई है। इस पद्धति के अनुसार व्यापार का लाभ ठीक-ठीक प्रकार से मालूम किया जा सकता है। इस पद्धति के अन्तर्गत डूबते खातों (Bad Debts) की छूट भी करदाता को मिल जाती है जो कि रोकड़ पद्धति के अन्तर्गत नहीं मिलती है।

(३) मिश्रित रीति (Mixed System) —इस पद्धति के अनुसार कुछ लेन-देन तो रोकड़ पद्धति के अनुसार लिखे जाते हैं और कुछ अन्य लेन-देन महाजनी पद्धति के अनुसार लिखे जाते हैं। परन्तु कर-दाता इस मिश्रित पद्धति को तभी अपना सकता है जब कि वह उसको नियमित रूप से काम में लाता रहे। कोई भी कर-दाता बिना आय-कर अफसर की आज्ञा के हिसाब-पद्धति को नहीं बदल सकता है।

घाटे की पूर्ति (Set-off and Carry Forward of Losses).— धारा २४ (१) के अनुसार यदि कर-दाता को किसी वर्ष में आय के विभिन्न शीर्षकों में से किसी एक में नुकसान रह जावे तो वह उस घाटे की रकम की पूर्ति उसी वर्ष की अन्य शीर्षकों से प्राप्त कर-योग्य आय से कर सकता है। परन्तु यदि किसी करदाता को सट्टे में हानि हो तो ऐसी हानि की पूर्ति केवल सट्टे ही के लाभ से कर सकता है और अन्य कर-योग्य आय से नहीं। यदि किसी वर्ष सट्टे में केवल हानि ही हो तो ऐसी दशा में इस हानि की आगामी ६ वर्षों के सट्टे के लाभों से पूर्ति की जा सकती है।

यदि व्यापार आदि में किसी वर्ष नुकसान हो जावे और वह नुकसान की रकम अन्य कर-योग्य आय में से पूर्ण रूप से वाद नहीं दी जा सके तो

वचे हुए घाटे की रकम आगामी ६ वर्षों तक उसी व्यापार के लाभ से पूर्ण (Set-off) की जा सकती है ।

यदि किसी अनरजिस्टर्ड फर्म को घाटा लग जावे तो वह प्रथम तो अपनी उसी वर्ष की अन्य कर-योग्य आय से उस घाटे की पूर्ति कर सकती है और द्वितीय, शेष घाटे को वह अपने उसी व्यापार के लाभ से आगामी ६ वर्षों तक पूर्ण (Set-off) कर सकती है । परन्तु इस प्रकार की फर्म के साझेदार अपनी अन्य आय में से इस घाटे की रकम की पूर्ति नहीं कर सकते हैं ।

यदि किसी रजिस्टर्ड फर्म को घाटा लग जावे तो वह प्रथम तो अपनी उसी वर्ष की अन्य कर-योग्य आय से उस घाटे की पूर्ति कर सकती है और द्वितीय, शेष घाटे की रकम को साझेदारों में विभाजित कर सकते हैं । साझेदारों को यह अधिकार है कि वे प्रथम तो अपने हिस्से के घाटे की पूर्ति अपनी उसी वर्ष की अन्य आय से कर सकते हैं और द्वितीय, यदि फर्म के घाटे की रकम शेष रह जावे तो उसे हर एक साझेदार अपनी उसी फर्म के आगामी ६ वर्षों के लाभ में से परिशोधन (Set-off) कर सकता है ।

यदि अनरजिस्टर्ड फर्म को इनकमटैक्स अफसर धारा २३ (५) (बी) के अनुसार रजिस्टर्ड मान ले तो उस फर्म के साझेदारों को वे ही अधिकार होंगे, जो रजिस्टर्ड फर्म के साझेदारों को प्राप्त हैं और वे भी रजिस्टर्ड फर्म के साझेदारों की भाँति घाटे की पूर्ति कर सकेंगे ।

यदि व्यापारिक घाटे के साथ-साथ अशोषित घिसाई (Unabsorbed Depreciation) भी बाकी है तो धारा २४ (२) (बी) के अनुसार पहले व्यापारिक घाटे की रकम की पूर्ति (Set-off) की जावेगी और उसके उपरान्त यदि शेष लाभ रहेगा तो उसमें से अशोषित या शेष घिसाई को बाद दिया जायगा ।

यदि वह व्यापार, जिसमें घाटा हुआ है, बन्द हो जावे तो यह घाटा आगे नहीं ले जाया जा सकता है और न किसी अन्य व्यापार के लाभ में से ही पूर्ण किया जा सकता है। यह घाटा पूजीगत घाटा मान लिया जाता है।

यदि किसी फर्म की व्यवस्था में परिवर्तन हो या नया साझेदार लिया जावे तो इस अवस्था में घाटा सहन करनेवाला साझेदार ही घाटे की पूर्ति कर सकेगा अन्य साझेदार या फर्म स्वयं नहीं कर सकेगी। जो साझेदार फर्म से पृथक् हो जाता है वह भी फर्म से हुए घाटे की पूर्ति अन्य आय से भविष्य में नहीं कर सकेगा।

यदि किसी कर-दाता को भारतीय रियासत में घाटा हो जावे तो वह रियासती आय से ही उसी वर्ष उसकी पूर्ति कर सकता है और शेष घाटे को उसी रियासती व्यापार के लाभ में से आगामी ६ वर्षों तक उसकी पूर्ति कर सकता है।

यदि कर-दाता आयकर अफसर द्वारा निश्चित किये हुए घाटे की रकम से सतुष्ट न हो तो वह उस आज्ञा (Order) की अपील कर सकता है।

उदाहरण —(१) क, ख और ग एक रजिस्टर्ड फर्म के बराबर के साझेदार हैं। यदि फर्म को व्यापार में सन् १९५१-५२ में कुल हानि ७५०००) रुपये की हो तो इन तीनों साझेदारों को अपनी-अपनी २५०००) की हानि अपनी दूसरी आय से उसी वर्ष पूर्ण (Set-off) करने का अधिकार होगा और वे इस बाकी हानि को आगामी ६ वर्षों तक के इसी फर्म के व्यापार लाभ से पूरा कर सकेंगे।

यदि मान लीजिये कि 'क' इस फर्म को छोड़ दे और 'क' के स्थान पर 'घ' फर्म में साझेदार हो जावे तो, 'क' को इस फर्म की हानि को अगले वर्षों में ले जाने तथा अन्य लाभ में से पूरा करने का अधिकार नहीं रहेगा।

परन्तु 'घ' उसी वर्ष इस हानि को अपनी अन्य आय में से पूरा कर सकता है। इसके अतिरिक्त ख, ग, घ को भी क का नुकसान अपने फर्म के आगामी वर्षों के लाभ से पूरा करने का अधिकार नहीं होगा।

(२) यदि ऊपर वाली फर्म अनरजिस्टर्ड है तो केवल फर्म ही इस हानि को अपने आगामी ६ वर्षों के लाभ से पूरा (Set-off) कर सकेगी। साझेदारों को अपनी आय में से उसी वर्ष में इसे पूर्ण करने का अधिकार नहीं होगा। यदि क फर्म को छोड़ दे और केवल ख और ग ही फर्म के साझेदार रहे तो फर्म केवल ५००००) का नुकसान ही आगामी ६ वर्षों तक इसे पूर्ण कर सकेगी।

## अध्याय १४

### विभिन्न कर-दाता और उनका कर-दायित्व

भारतीय आयकर कानून के अन्तर्गत कर-दाताओं को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है:—

१. व्यक्ति (Individual), २ सयुक्त हिन्दू परिवार (Hindu Undivided Family), ३. फर्म (Firm), ४ कम्पनी (Company), ५ स्थानीय सत्ता (Local Authority), ६. जन-मंडल (Association of Persons) ।

इस अध्याय में प्रत्येक प्रकार के करदाता के कर-दायित्व का वर्णन किया जावेगा ।

(१) व्यक्ति :—प्रत्येक व्यक्ति को उसके निवास-स्थान के अनुसार अपनी कुल आय पर (या परदेशी को कुल विश्व-आय के आधार पर) निश्चित दरो के अनुसार आय-कर और अतिरिक्त-कर देना पड़ता है । एक नाबालिग या कभी-कभी पागल होनेवाला व्यक्ति भी यदि अपनी बुद्धिमानी से आय पैदा करता है तो वह भी कर देने के लिए उत्तरदायी है । यदि व्यक्ति की कुल आय ४२००) से कम है तो उसे आय-कर नहीं देना पड़ता है और यदि २५०००) से कम है तो अतिरिक्त कर भी नहीं देना पड़ता है ।

यदि किसी व्यक्ति का देहान्त हो जाता है तो धारा २४ वी के अनुसार उसके प्रबन्धक (Administrator), एकजीक्यूटर (Executor) तथा वैधानिक प्रतिनिधि (Legal Representative) को कर देने के लिए उत्तरदायी माना जाता है । परन्तु इन व्यक्तियों का कर देने का उत्तरदायित्व मृतक व्यक्ति से प्राप्त संपत्ति की रकम तक ही सीमित

है। इन्ही व्यक्तियों को मृतक व्यक्ति के कर की वापिसी (Refund) मागने और आय-कर अफसर की मनाही पर अपील करने का अधिकार है।

धारा ४० के अनुसार नाबालिग, पागल आदि के सरक्षक (Guardian), ट्रस्टी (Trustee) अपने हिताधिकारी (Beneficiary) की आय पर कर देने के लिए उत्तरदायी है। कोर्ट ऑफ वार्ड्स, महाप्रबन्धक (Administrator General) या वैधानिक ट्रस्टी अपने वार्ड की आय पर टैक्स देने के लिए उत्तरदायी है (धारा ४१)। एक विवाहिता स्त्री भी अपने पृथक् स्त्रीधन से प्राप्त आय पर पृथक् रूप से कर देने के लिए उत्तरदायी होती है।

यदि व्यक्ति ने अपनी आय का कुछ भाग अपने परिश्रम से प्राप्त किया है तो इस भाग पर २०% तक या अधिक से अधिक ४०००) तक कमाई हुई आय की छट (Earned Income Allowance) मिलती है।

(२) संयुक्त हिन्दू परिवार:—सन् १९५० के फाइनेन्स ऐक्ट के अनुसार जब तक हिन्दू परिवार निम्नलिखित दो शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी न कर देवे तब तक वह हिन्दू परिवार नहीं माना जावेगा और न उसे ८४००) के न्यूनतम सीमा का ही लाभ मिल सकेगा —

(क) उस हिन्दू संयुक्त परिवार में कम से कम दो सदस्य ऐसे हों जो विभाजन कराने के अधिकारी हों और उनकी उम्र १८ वर्ष से कम न हो। या

(ख) उस हिन्दू संयुक्त परिवार में कम से कम दो ऐसे सदस्य हों जो विभाजन कराने के अधिकारी हों परन्तु वे एक दूसरे की सतान न हों और न उस परिवार के किसी जीवित सदस्य की ही सतान हों।

प्रथम शर्त अधिकतर मिताक्षरा संप्रदाय और दूसरी शर्त दायभाग



संप्रदाय के लिए लागू होती है क्योंकि प्रथम संप्रदाय (जो बंगाल को छोड़कर समस्त भारत में प्रचलित है) के अनुसार पूर्वजों की सम्पत्ति में पुत्र को जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाता है परन्तु दायभाग संप्रदाय के अनुसार पुत्र को जन्म से कोई अधिकार नहीं मिलता है। उसे पिता की मृत्यु पर ही ये सब अधिकार मिल सकते हैं। मिताक्षरा में स्त्रियाँ सहभागी नहीं हो सकती हैं परन्तु दायभाग में एक सहभागी (Coparcener) की स्त्री तथा पुत्री भी सहभागी हो सकती हैं।

यदि कोई हिन्दू सयुक्त परिवार उपर्युक्त शर्तों में से एक भी शर्त न पूर्ण कर सके तो उसका कर निर्धारण व्यक्ति की भाँति होगा अन्यथा हिन्दू संयुक्त परिवार की हैसियत से। कर निर्धारण सयुक्त परिवार के कर्ता के नाम से होता है। यदि सयुक्त परिवार की आय ८,४००) से अधिक है तो आय-कर और २५,०००) से अधिक है तो आय-कर और अतिरिक्त कर दोनों लगेंगे।

धारा १४ (१) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति या स्त्री को हिन्दू सयुक्त परिवार की आय में से कुछ भाग परिवार का सदस्य होने के कारण मिलता है तो यह आय-कर से सर्वथा मुक्त है।

धारा २५ ए के अनुसार हिन्दू सयुक्त परिवार आय-कर अफसर को बटवारे की प्रार्थना कर सकता है और आय-कर अफसर नोटिस देकर बटवारे की जाँच कर सकता है। यदि जाँच के बाद आय-कर अफसर पूर्णतया सतुष्ट हो जावे कि हिन्दू सयुक्त परिवार की समस्त सयुक्त जायदाद का विभाजन निश्चित और भौतिक (Metes and bounds) हिस्सों में हो चुका है तो वह विभाजन की स्वीकृति की आज्ञा (Order) दे सकता है। जब तक धारा २५ ए के अनुसार विभाजन की आज्ञा न दी जाए तब तक विभाजन होने पर भी वह सयुक्त परिवार ही समझा जावेगा।

(३) फर्म.—आय-कर के अन्तर्गत फर्म दो प्रकार की होती है—  
(१) रजिस्टर्ड अर्थात् स्वीकृत फर्म। रजिस्टर्ड फर्म वह फर्म है जो धारा

२६ ए के अनुसार स्वीकृत की जा चुकी है। (२) अनरजिस्टर्ड फर्म वह फर्म है जिसका धारा २६ ए के अनुसार रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है।

रजिस्टर्ड फर्म को स्वयं को अपनी कुल आय पर आयकर और अतिरिक्त-कर नहीं देना पड़ता है परन्तु फर्म का लाभ साझेदारों में विभाजित कर दिया जाता है और साझेदारों की अपनी अन्य आय के साथ फर्म के लाभ के हिस्से पर आय-कर और अतिरिक्त-कर देना पड़ता है। यदि रजिस्टर्ड फर्म में घाटा है तो वह सबसे पहले फर्म की अन्य आय में से वाद दिया जाता है और उस पर भी घाटे की रकम शेष बच रहती है तो वह साझेदारों में उनके हिस्सों के अनुसार वाट दी जाती है जिसे वे उस वर्ष की अपनी आय में से वाद दिला सकते हैं। साझेदार धारा २४ (२) के अनुसार शेष घाटे को उस (व्यापारिक नुकसान को) आगामी ६ वर्षों तक उसी फर्म के व्यापार-लाभ में से वाद दे सकते हैं। साझेदारों को ही कमाई हुई आय की भी छूट मिलती है।

यदि रजिस्टर्ड फर्म का साझेदार कोई परदेशी (Non-resident) है तो इसका कर देने का उत्तरदायित्व फर्म का ही होता है और यदि किसी साझेदार का निश्चित कर वसूल न हो सके तो वह फर्म से ही प्राप्त किया जाता है। यदि रजिस्टर्ड फर्म का लाभ साझेदारों के समझौते के अनुसार न वाटा जावे और कोई भी साझेदार अपनी वास्तविक आय से कम आय का नकशा (Return) भेजे तो आय-कर अधिनियम धारा २८ (२) के अनुसार उस साझेदार पर दंड लगा सकता है।

यदि फर्म अनरजिस्टर्ड है तो उस पर कर व्यक्ति की भाँति लगाया जाता है। यह कर फर्म की कुल आय पर लगता है। फर्म को ही कमाई हुई आय की छूट दी जाती है, परन्तु प्रत्येक साझेदार का हिस्सा उसकी दूसरी आय पर लगने वाले कर की दरों को मालूम करने के लिए उसकी कुल आय में जोड़ा जाता है। परन्तु फर्म से प्राप्त हिस्से पर दुबारा कर नहीं लिया जाता है। यदि फर्म ने आय-कर और अतिरिक्त-कर दोनों

ही दे दिये है तो साझेदार को फर्म के लाभ के हिस्से पर यह दोनो ही कर नहीं देने पडेगे । परन्तु यदि फर्म का कुल लाभ न्यूनतम कर-सीमा (Minimum Tax Limit) से कम है तो साझेदारो को अपने-अपने लाभ के हिस्से पर भी अन्य आय के साथ कर देना पडेगा यदि उनकी कुल आय कर-योग्य है । अनरजिस्टर्ड फर्म अपना घाटा प्रथम तो अपनी उसी वर्ष की अन्य आय में से पूर्ण कर सकती है और शेष घाटे को आगामी ६ वर्षों तक के उसी व्यापार के लाभ में से फर्म पूर्ण (Set-off) कर सकती है, परन्तु अनरजिस्टर्ड फर्म का साझेदार अपने हिस्से के नुकसान को अपनी अन्य आय में से कभी भी बाद नहीं दे सकता है ।

यदि अनरजिस्टर्ड फर्म को धारा २३ (५) (बी) के अनुसार रजिस्टर्ड फर्म मान लिया जावे तो उसका कर-निर्धारण भी रजिस्टर्ड फर्म की भांति ही किया जाता है ।

धारा १६ (१) (बी) के अनुसार साझेदार का फर्म के लाभ का हिस्सा मालूम करने के लिए साझेदारो को दिया गया वेतन, ब्याज, कमीशन आदि की रकम को फर्म के लाभ या हानि में क्रमश जोडने या घटाने से जो रकम रहेगी वही मानी जावेगी । फर्म का लाभ या हानि निकालने के लिए किसी भी साझेदार को दिया हुआ वेतन, ब्याज, कमीशन आदि की रकम फर्म के खर्चों में बाद नहीं दी जाती है । उदाहरणार्थ, यदि क और ख की फर्म में प्रत्येक साझेदार को १२००) प्रतिवर्ष वेतन और ५००) कमीशन देने के बाद ४६००) का फायदा रहे तो फर्म की क्या आय होगी और क और ख का क्या हिस्सा होगा यदि क और ख का क्रमश. ३ और ३ हिस्सा है ।

#### फर्म की कुल आय का विवरण

लाभ हानि-लाभ खातों से	४६००)
जोडो —वेतन दिया क और ख को	२४००)
क और ख का कमीशन	१०००)
	<hr/>
कुल आय	८०००)

## साझेदारो मे लाभ के विभाजन का लेखा

	क	ख
वेतन	१२००)	१२००)
कमीशन	५००)	५००)
लाभ का हिस्सा	१८४०)	२७६०)
	<hr/>	<hr/>
	३५४०)	४४६०)

(४) कम्पनी — इनकमटैक्स ऐक्ट के अन्तर्गत कम्पनी की परिभाषा बहुत ही विस्तृत रखी गई है। इसके अनुसार भारतीय कम्पनियों के कानून के अन्तर्गत स्थापित की हुई कम्पनिया ही सम्मिलित नहीं की जाती हैं परन्तु वे समस्त कम्पनिया और एसोसियेशन भी सम्मिलित कर लिये जाते हैं जो विदेशो मे स्थापित हुई है परन्तु सैण्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू द्वारा आयकर के लिए कम्पनी घोषित कर दिये गये है।

कम्पनी अपने समस्त लाभ पर उच्चतम आय-करदरो (Maximum Income-tax Rates) से आय-कर देती है। सन् १९५१-५२ के असेसमेंट वर्ष के लिए आयकर की दरे प्रति रुपया चार आने + ५% सर-चार्ज के रूप मे है। परन्तु कम्पनी को इसके न वितरण किये हुए लाभ (Undistributed) पर जो कम्पनी की कुल आय मे से (१) सात आने प्रति रुपया, (२) कुलकर मुक्त आय, तथा (३) लाभाश की रकम कम करने के बाद बचता है, एक आने की छूट दी जाती है; परन्तु यदि लाभाश लाभ की रकम से अधिक घोषित किया जाता है तो उस पर जितना टैक्स गत वर्षों मे कम लगा वह ले लिया जाता है।

कम्पनी अपनी कुल आय पर ही प्लेट दर (Flat Rate) से अतिरिक्त-कर (Super-Tax) देती है। यह कर हिस्सेदारो की एवज मे नहीं दिया जाता है। यदि किसी कम्पनी ने दूसरी कम्पनी के हिस्से खरीद रखे हो तो उसे अतिरिक्त-कर इस कम्पनी से मिले हुए लाभाश पर दुबारा

देना पडेगा । परन्तु धारा ६० के अनुसार इनवेस्टमेन्ट ट्रस्ट कम्पनियों को यह अतिरिक्त कर देने से मुक्त-कर दिया गया है । सन् १९५१ के फाइनेस ऐक्ट के अनुसार कम्पनी अतिरिक्त-कर की दर चार आने नौ पाई प्रति रुपया है, परन्तु कुछ अवस्थाओं में छूटे दी जाती हैं :—

उदाहरण :—एक कम्पनी की सन् १९५१ के मार्च तक की आय ६४०००) है जिसमें कम्पनी ने २००००) लाभांश के लिए घोषित कर दिया है तो कम्पनी का कर-दायित्व क्या होगा ?

कम्पनी की कुल आय		६४०००)
कम करो :—सात आने प्रति रुपया	२८०००)	} ४८०००)
लाभांश की रकम	२००००)	
<hr/>		
न वितरण किया हुआ लाभ जिस पर		
एक आना प्रति रुपया छूट मिलेगी		१६०००)
<hr/>		
छूट की रकम	१०००)	
६४०००) पर ४ आना + ५% की दर से आयकर		१६८००)
कम करो :—छूट न वितरण किये हुए लाभ पर		१०००)
<hr/>		
देने योग्य आयकर		१५८००)
<hr/>		
अतिरिक्त कर ६४०००) पर ४ ३/४ आने की दर से		१९०००)
कम करो छूट २ आने की प्रति रुपया		८०००)
<hr/>		
देने योग्य अतिरिक्त-कर		११०००)
<hr/>		
कुल देने योग्य कर		२६८००)
<hr/>		

(५) स्थानीय सत्ता :—स्थानीय सत्ता में म्युनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इन्फ्रामेन्ट ट्रस्ट आदि सत्ताओं को सम्मिलित किया जाता

है। यदि कोई स्थानीय सत्ता अपनी सीमा (Jurisdiction) से बाहर कोई व्यापार करे और उससे यदि आय प्राप्त हो तो इस आय पर उच्चतम दर (Maximum Rate) से आयकर और अतिरिक्त-कर वसूल किया जाता है। परन्तु यदि स्थानीय सत्ता अपनी सीमा या क्षेत्र के अन्दर आय उत्पन्न करती है तो यह आय-कर से सर्वथा मुक्त है। स्थानीय सत्ता को अपनी कर-योग्य आय के प्रत्येक रुपये की आय पर अतिरिक्त-कर देना पड़ता है।

(६) जन-मंडल :—जन-मंडल का अर्थ उन सस्थाओं, समितियों व कम्पनियों से है जो चाहे इनकॉर्पोरेटेड (Incorporated) हो या नहीं। जन-मंडल की कुल आय पर आयकर और अतिरिक्त-कर व्यक्ति की भाँति ही लिया जाता है। यदि जन-मंडल की कुल आय ३६००) से कम है तो आय-कर नहीं लगता है और यदि २५०००) से कम है तो अतिरिक्त कर भी नहीं लगता है। इन सस्थाओं के सदस्यों को उनके हिस्सों पर फिर से कर नहीं देना पड़ता है। यदि जन-मंडल की कुल आय कर-योग्य आय से कम हो तो उस अवस्था में सदस्यों की अन्य आय के साथ ही एंशोसियेशन के हिस्सों की आय भी सम्मिलित करके कर वसूल कर लिया जाता है। अनरजिस्टर्ड फर्म की भाँति जन-मंडल को भी कमाई हुई आय पर छूट मिलती है। जब जन-मंडल का कार्य बन्द हो जाता है तब वे सब सदस्य, जो जन-मंडल के बन्द होने के समय सदस्य थे, टैक्स देने के लिए व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं।

कर से बचने पर प्रतिबन्ध :—कभी-कभी कम्पनियाँ कर से बचने के लिए अपना लाभ हिस्सेदारों में विभाजित नहीं करती हैं और बाद में इस लाभ को पूँजीगत करके हिस्सेदारों को विभिन्न पूँजी के रूप में वाट देती हैं। इसीलिए लाभांश की परिभाषा अब इन सब उपायों को बन्द करने के लिए इतनी विस्तृत कर दी गई है। परन्तु अब भी यदि कोई कम्पनी

अपने कर-योग्य लाभ के ६० प्रतिशत भाग का (आयकर और अतिरिक्त-कर वाद देने के उपरान्त) साधारण मीटिंग (General Meeting) के ६ महीने तक हिस्सेदारों में वितरण नहीं करे तो आय-कर अफसर यह समझेगा कि समस्त लाभ ही साधारण मीटिंग के दिन ही बाट दिया गया है और हिस्सेदारों से सीधा उनके हिस्से के कुल लाभ पर कर वसूल कर लेगा। यदि गत वर्षों के संचित लाभ कम्पनी की पूँजी से अधिक है तो आय-कर अफसर ६० प्रतिशत के स्थान पर १०० प्रतिशत लाभ बाटा हुआ मान लेगा? परन्तु यह धारा सहायक कम्पनियों (Subsidiary Companies) और उन कम्पनियों पर लागू नहीं होते हैं जिनमें साधारण जनता पूर्णतया दिलचस्पी रखती है।

## अध्याय १३

### कुल आय और कुल विश्व आय

#### (TOTAL INCOME & TOTAL WORLD INCOME)

कर-दाता की कुल आय का अर्थ उस समस्त आय से है जो कर लगनेवाले साधनों से प्राप्त हुई है और जिस पर निवास-स्थान के आधार पर कर लगनेवाला है।

कुल विश्व आय में सब प्रकार की आय का जो कर-योग्य है, चाहे वह कहीं पर भी उत्पन्न की गई हो, समावेश किया जाता है। कुल विश्व आय की गणना केवल उन परदेशियों (Non-residents) का कर-दायित्व निश्चय करने के लिए की जाती है जिनके कर की दर कुल विश्व आय के आधार पर निकाली जाती है। परदेशी की कुल विश्व आय को मालूम करते समय कर-क्षेत्र में न लाई हुई विदेशी आय में से ४५००) की छूट नहीं दी जाती है।

किसी कर-दाता की कुल आय मालूम करने के लिए निम्नलिखित आमदनियों को जोड़ा जाता है —

१. करमुक्त आय .—कोई भी आय जो आय-कर तथा अतिरिक्त-कर से मुक्त है, या जो आय-कर से मुक्त है, उसे कुल आय में जोड़ा जाना चाहिए।

२. कमाई हुई आय की छूट .—कमाई हुई आय की छूट भी कुल आय की गणना करने के लिए जोड़नी चाहिए।

३. पुण्यार्थ संस्थाओं में दिया गया दान :—धारा १५ बी के अनुसार धर्मार्थ दिया गया चन्दा कर-मुक्त है परन्तु वह कुल आय मालूम करने के लिए जोड़ा जाता है।



४. फर्म की आय या नुकसान का हिस्सा :—यदि कर-दाता अन-रजिस्टर्ड फर्म का साझेदार है तो उसका हिस्सा कर से मुक्त है परन्तु उसके हिस्से की प्राय या हानि कुल आय में जोड़ दी जाती है ।

५. आय का हस्तान्तरण :—यदि कोई कर-दाता अपनी जायदाद या संपत्ति की केवल आय का तोड़ने वाला या न तोड़ने वाला हस्तान्तरण करे और वह स्वयं जायदाद का मालिक बना रहे तो उस जायदाद की आय को हस्तान्तरण करनेवाले की ही आमदनी माना जावेगा ।

६. संपत्ति का अखण्डनीय हस्तान्तरण :—जब तक संपत्ति का हस्ता-तरण ६ वर्ष से अधिक अखण्डनीय (Irrevocable) न हो, हस्तांतरण करनेवाले को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ संपत्ति से न हो तथा वह हस्तांतरण दूसरे पक्ष (Transferee) के जीवन पर्यन्त अखण्डनीय हो और हस्तान्तरण करनेवाले को कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ न हो तब तक इस सम्पत्ति की आय हस्तांतरण करनेवाले की ही मानी जावेगी ।

७. संपत्ति का अखण्डनीय हस्तान्तरण :—परन्तु जब संपत्ति का हस्तांतरण अखण्डनीय (Irrevocable) हो तो इस प्रकार की संपत्ति की आय दूसरे पक्ष की ही मानी जाती है बशर्ते इस प्रकार का हस्तांतरण कर-दाता की स्त्री या नाबालिग बच्चे के नाम से न किया गया हो ।

८. वेंनामी लेन देन :—यदि कोई कर-दाता कर बचाने के लिए कोई संपत्ति किसी दूसरे मनुष्य के नाम से खरीदे या अपनी जायदाद को फर्जी तरीके से बेच देवे या हस्तान्तरण कर देवे तो ऐसी संपत्ति की आय कर-दाता की ही आय मानी जावेगी और उसकी कुल आय में जोड़ी जावेगी ।

९. लाभांश (Dividends) :—हिस्सेदारों को जो लाभांश मिलता है वह उसकी उस वर्ष की आय मानी जाती है जिस वर्ष में लाभांश की

रकम दी गई, जमा की गई, या वितरण की गई हो। इस नेट लाभाग को ग्रास करके कुल आय में जोड़ा जाता है।

१०. पत्नी की आय :—करदाता की स्त्री की निम्नलिखित आय उसकी (पति की) कुल आय में जोड़ दी जाती है—

(क) उस फर्म की साझेदारी से जिसमें करदाता (पति) साझेदार है।

(ख) उस संपत्ति से जो कर-दाता (पति) ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसके हक में बिना पर्याप्त प्रतिफल (Adequate Consideration) के या पृथक् रहने के विचार से हस्तांतरित की है।

११. नाबालिग बच्चे की आय :—करदाता की कुल आय में उसके बच्चे की निम्नलिखित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साधनों से प्राप्त आय भी जोड़ी जाती है —

(क) उस फर्म की साझेदारी से जिसमें करदाता (पिता) साझेदार है।

(ख) उस सम्पत्ति से जो करदाता (पिता) ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके पक्ष में बिना उचित प्रतिफल के हस्तान्तरित कर दी है, परन्तु विवाहिता लड़की को दी हुई संपत्ति की आमदनी उसके पिता की कुल आय में नहीं जोड़ी जावेगी।

१२. अन्य व्यक्तियों के पक्ष में हस्तांतरण :—यदि कोई कर-दाता अपनी पत्नी या नाबालिग बच्चे के हितार्थ बिना उचित प्रतिफल के कोई सम्पत्ति किसी तीसरे व्यक्ति या सस्था के नाम हस्तांतरण कर देवे, तो उस सम्पत्ति की आय हस्तान्तरण करनेवाले की आय ही मानी जावेगी।

१३. सम्पत्ति का विदेश में हस्तांतरण :—धारा ४४ डी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति परदेगी (Non-resident) या कच्चे निवासी (Not Ordinarily Resident) के पक्ष में कर बचाने के हेतु

संपत्ति का विदेश में हस्तान्तरण कर देवे तो आयकर अफसर ऐसी संपत्ति की आय को हस्तांतरण करनेवाले व्यक्ति की आय मानकर उसकी कुल आय में जोड़ सकता है ।

१४. बनावटी क्रय-विक्रय का लाभ (Bond Washing) :— कमी-कमी कुछ कर-दाता कर से बचने के लिए व्याज सहित सिन्धोरिटियो या लाभांश सहित हिस्सों को इस गुप्त समझौते पर बेच देते हैं कि व्याज मिल जाने के बाद वे कुल व्याज रहित सिन्धोरिटियो को वापस खरीद लेंगे । इस समझौते के अनुसार ये कर-दाता उन व्याज रहित सिन्धोरिटियो को वापस खरीद लेते हैं जिसका फल यह होता है कि प्रत्यक्ष में व्याज की आय बनावटी खरीदार को मिलती है परन्तु वास्तव में उस व्याज की रकम बेचनेवाले की ही रहती है । इस उपाय से स्वामी तो कर से बच ही जाता है और बनावटी खरीदार ऊँचे भाव से व्याज सहित खरीद कर व्याज रहित सिन्धोरिटियो को नीचे भाव से बेचकर उनके व्याज की आय को क्रय-विक्रय के घाटे से बराबर कर देता है । इस उपाय से वह भी कर बचा लेता है । ऐसे अनुचित उपायों को रोकने के लिए अब धारा ४४ इ और ४४ एफ के अनुसार इन सिन्धोरिटियो का व्याज उनके वास्तविक मालिक की कुल आय में जोड़ दिया जाता है और उनको खरीदकर बेचनेवाले को कोई घाटा वाद नहीं दिया जाता है । इस अवधि में मागी हुई यथार्थ सूचना न देने पर ५०० प्रति दिन जुर्माना आय-कर अफसर कर सकता है ।

१५. उद्गम स्थान पर कर कटती :— कर-दाता की आय में से जो कर उद्गम-स्थान पर काट लिया जाता है उसकी रकम भी कुल आय में जोड़ी जाती है ।

१६. वार्षिक वृद्धि :— किसी कर्मचारी के स्वीकृत प्रोविडेंट फण्ड की जो वार्षिक वृद्धि (Annual Accretion) होती है वह भी उसकी कुल आय में सम्मिलित की जाती है ।

परदेशी का करदायित्व (Tax Liability of a Non-resi-

dent) :—सन् १९५१-५२ के असेसमेट साल से पहले जो परदेशी भारत या ब्रिटेन की जनता समझे जाते थे उनसे आय-कर और अतिरिक्त-कर उनकी कुल भारतीय आय पर कुल विश्व आय पर लागू होनेवाली दरों से लिया जाता है। परन्तु सन् १९५१ के फाइनेस ऐक्ट के अनुसार धारा १७ (१) में संशोधन कर दिया है और परदेशियों से निम्न प्रकार से कर वसूल किया जाता है —

(क) आयकर (Income-Tax) —सब परदेशियों को सन् १९५१-५२ के असेसमेट वर्ष से उनकी कुल भारतीय करक्षेत्र की आय पर उच्चतम दरों (Maximum Rates) से आय-कर देना पड़ेगा जो अब ४ आना + ५% प्रति रुपया है।

(ख) अतिरिक्त-कर (Super-Tax) —सब परदेशियों (कंपनियों को छोड़कर) को सन् १९५१-५२ के असेसमेट वर्ष से उनकी कुल भारतीय आय पर एक फ्लैट रेट (Flat Rate) के अनुसार अतिरिक्त-कर देना पड़ता है परन्तु एक शर्त यह है कि उनके द्वारा दिया गया अतिरिक्त-कर एक निवासी (Resident) के द्वारा दिये गये अतिरिक्त दर से कम नहीं होगा जिसकी कुल आय भी इतनी ही हो। फ्लैट रेट का अर्थ उस दर से है जो एक व्यक्ति के कर-मुक्तवाले टुकड़े (Slab) के बादवाले टुकड़े (Slab) पर लागू होती है जो अब ३ आना + ५% प्रति रुपया है। यदि किसी परदेशी की कुल विश्व आय उच्चतम कर योग्य सीमा से अधिक हो तो उसे अधिकार है कि वह अपनी कुल विश्व आय पर लागू होनेवाली दरों से अतिरिक्त-कर देने की सदैव के लिए घोषणा कर सकता है।

परदेशी का कर निर्धारण या तो स्वयं उसी के नाम से या उसके एजेंट के नाम से किया जा सकता है। धारा ४३ के अन्तर्गत (१) कोई भी व्यक्ति जो उसका कार्य करता हो, (२) जो उससे व्यापारिक संबंध रखता हो,

(३) जिस व्यक्ति के द्वारा वह कोई आय, लाभ आदि प्राप्त करता है, परदेशी का एजेंट माना जाता है। एजेंट को आय-कर अफसर परदेशी को एवज में करदाता मान सकेगा। धारा १८ के अनुसार परदेशी को दिये गये समस्त भुगतानों से आवश्यक कर काट लेना चाहिए और वह काटा हुआ कर सरकार को चुका देना चाहिए। यदि कर उद्गम-स्थान पर न काटा गया हो और परदेशी का कोई एजेंट भी ऐसा न हो जिससे कर की रकम वसूल की जा सके तो उस परदेशी की भारत-स्थित किसी भी संपत्ति या पूंजी में से कभी भी कर वसूल किया जा सकता है। इस वसूली के समय की अवधि पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

दोहरे कर की छूट (Double Taxation Relief) — धारा ४६ ए से धारा ४६ डी में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि यदि किसी परदेशी को एक बार अपने देश में और दूसरी बार भारतीय कर-क्षेत्र में कर देना पड़े तो उसे कुछ इस दोहरे कर के लिए छूट दी जाती है। भारत और ब्रिटेन के बीच इस छूट की दर भारतीय कर-दर और ब्रिटेन के कर-दर के अन्तर के बराबर होगी जो इन दोनों में कम हो। भारत और अन्य देशों के बीच इस छूट की रकम भारतीय कर की आधी रकम या विदेशी कर की आधी रकम, जो इन दोनों में से कम हो, के बराबर होगी।

उदाहरण :—यदि क की निम्नलिखित आय सन् १९५०-५१ में उत्पन्न हुई तो बतलाओ उसकी कुल आय, करमुक्त आय और कुल विश्व आय क्या होगी यदि वह भारतीय करक्षेत्र का (१) पक्का निवासी, (२) कच्चा निवासी, और (३) परदेशी हो.—

भारतीय कर-क्षेत्र में प्राप्त आय —

१. वेतन १२,०००), २ करमुक्त सिक्योरिटियों का ब्याज ५०००), अन्य सिक्योरिटियों का (ग्रेस) ब्याज १०००), ३ जायदाद की आय ५००), ४ लाभ का हिस्सा रजिस्टर्ड फर्म का २०००) और अनरजिस्टर्ड फर्म का ११,०००), ५. बैंक जमा का ५००)।

भारतीय करक्षेत्र के बाहर से आय —

१. अफ्रीका से भारतीय क्षेत्र में भेजी हुई आय	१०००)
२. विदेशी जायदाद से न भेजी हुई आय	५०००)
३. भारत से नियंत्रित अफ्रीका के व्यापार से न भेजी हुई आय	१००००)
४. जम्मू और काश्मीर में वेतन की न भेजी हुई आय	६०००)
क ने अपने २५०००) के बीमा पर १५००) बीमा चन्दा दिया।	

कुल आय का विवरण

करदेय क्षेत्र की आय	(१)	(२)	(३)
१. वेतन	१२०००)	१२०००)	१२०००)
२. सिक्योरिटियों का व्याज —			
करमुक्त	५०००)	५०००)	५०००)
कर लगा हुआ	१०००)	१०००)	१०००)
३. जायदाद की आय	५००)	५००)	५००)
४. व्यापार लाभ —			
रजिस्टर्ड फर्म का हिस्सा	२०००)	२०००)	२०००)
अनरजिस्टर्ड फर्म का हिस्सा	११०००)	११०००)	११०००)
५. अन्य साधनों से आय.—			
व्याज जमा पर	५००)	५००)	५००)
	<u>३२०००)</u>	<u>३२०००)</u>	<u>३२०००)</u>
विदेशी आय —			
१. भारत में भेजी हुई आय	१०००)	१०००)	—
२. भारत में न भेजी हुई विदेशी आय	१०५००)	५५००)	—
३. भारत में न भेजी हुई भारतीय रियासत की आय	६०००)	—	—
कुल आय	<u>४६५००)</u>	<u>३८५००)</u>	<u>३२०००)</u>
जोड़ो कुल विदेशी आय			<u>२२०००)</u>
कुल विश्व आय			<u>५४०००)</u>

( १२६ )

करमुक्त आय

१. करमुक्त ब्याज	५०००)	५०००)	५०००)
२. बीमा चन्दा	१५००)	१५००)	१५००)
३. अनरजिस्टर्ड फर्म का हिस्सा	११०००)	११०००)	११०००)
४. रियासत की आय	६०००)	—	—
५. रजिस्टर्ड फर्म का हिस्सा जिस पर फर्म से टैक्स ले लिया गया है	—	—	२०००)
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	२३,५००)	१७५००)	१६५००)
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

## अध्याय १६

### उद्गमस्थान पर कर कटौती और कर वापसी

#### (DEDUCTION OF TAX AT SOURCE AND TAX REFUND)

धारा १८ के अनुसार (१) वेतन, (२) सिव्योरिटियो के ब्याज, और (३) लाभांश (Dividends) पर उद्गमस्थान पर कर काटना आवश्यक है। यदि किसी परदेशी को इन तीनों रकमों के अतिरिक्त कोई ब्याज की रकम या साझेदारी के लाभ का हिस्सा दिया जाता है तो उस पर भी उद्गमस्थान पर कर काटना अनिवार्य है।

१. वेतन :—मालिक के लिए यह अनिवार्य है कि वह कमाई हुई आय की छूट देकर अपने कर्मचारी के वेतन की रकम में से कुल वेतन पर लागू होनेवाली कर-दरों से आयकर और अतिरिक्त-कर काट ले और काटी हुई कर की रकम को भारत सरकार के खजाने में जमा करवा दे। यदि कर्मचारी कोई परदेशी है तो आय-कर अफसर के प्रमाणपत्र के अनुसार कम दरों पर भी आय-कर और अतिरिक्त-कर काटा जा सकता है।

२. सिव्योरिटियो का ब्याज :—यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी सिव्योरिटियो पर ब्याज देता है तो उसका उत्तरदायित्व है कि वह ब्याज की रकम पर उच्चतम दरों से आयकर काट लेवे। इस प्रकार के ब्याज पर अतिरिक्त-कर नहीं काटा जाता जब तक कि वह ब्याज विदेशी को न दिया जाय। ब्याज देनेवाले के लिए यह भी आवश्यक है कि वह आय-कर अफसर को नियमित विवरण भेज देवे और सिव्योरिटियो के मालिक को एक सर्टिफिकेट दे देवे जिसमें आय-कर की कटौती की रकम का भी



विवरण हो । यदि आयकर अफसर से करदाता यह प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेवे कि उसकी कुल आय या विश्व आय करमुक्त सीमा से कम है या कम दरो से आयकर लगने योग्य हो तो कम दर से भी आयकर काटा जा सकता है ।

३. लाभांश (Dividends) —लाभांश पर कपनी से ही सीधा कर उच्चतम दर से हिस्सेदारो के एंवज मे ले लिया जाता है । यदि लाभांश किसी परदेशी को दिया गया तो लाभांश की रकम पर लागू होनेवाली दरो के अतिकर भी काट लिया जाता है और इस कटौती का सर्टिफिकेट हिस्सेदार को दे दिया जाता है ।

४. परदेशी फॉ ब्याज आदि आय पर:—परदेशियो को दिये जाने वाले वेतन, सिव्योरिटियो के ब्याज, अन्य ब्याज तथा लाभांश की रकम पर आय-कर उच्चतम दरो से और अतिरिक्त-कर उन दरो पर जो उसकी कुल विश्व की आय पर लागू हो या जो दरें आय-कर अफसर निश्चित कर दे या कुल दी जानेवाली रकम पर लागू होनेवाली दरो से काटा जाता है ।

धारा १८ के अन्तर्गत जिन आय पर उद्गम स्थान पर कर की रकम नहीं काटी जा सकती है या जहा पर धारा १८ के अनुसार कर की रकम नहीं काटी गई है तो इन दोनो प्रवस्थाओ में करदाता से ही कर की रकम वसूल कर ली जाती है ।

कमाते जाओ देते जाओ योजना ( Pay as you earn Scheme) —यह योजना, जिन आय पर उद्गमस्थान पर धारा १८ के अनुसार कर नहीं कटता है, जैसे जायदाद की आय, व्यापार लाभ तथा लाभांश को छोडकर अन्य साधनो की आय आदि, पर लागू होती ह । यह केवल उन्ही कर-दाताओ पर लागू होती है जिनकी आय गत वर्ष मे ६,७००) से अधिक रही हो या अनुमान हो ।

इस योजना के अनुसार धारा १८ ए के अन्तर्गत जिस वर्ष में आय उत्पन्न की जाती है उसी वर्ष आयकर और अनिश्चित कर चालू दरो से ही वसूल कर लिया जाता है। किस्तों में जो कर की रकम दी जाती है वह कर का पेशगी किया हुआ भुगतान समझा जाता है। वर्ष के अन्त में जब कुल दिये जानेवाले कर की रकम मालूम हो जाती है तब कमी या वृद्धि की पूर्ति कर दी जाती है। पेशगी कर की किस्तें १५ जून, १५ सितम्बर, १५ दिसंबर और १५ मार्च को दी जा सकती हैं। यदि आयकर अफसर किस्त की रकम को जमा कराने का नोटिस उपर्युक्त तारीख में से एक तारीख निकल जाने के बाद देवे तो करदाता को केवल तीन किस्तों में ही कर देना पड़ेगा। सरकार इन जमाओं पर २% वार्षिक व्याज भुगतान की तारीख से असेसमेंट की तारीख तक देती है, परन्तु १ अप्रैल १९५२ के बाद २% व्याज केवल उतनी रकम पर मिलेगा जितनी वास्तविक कर की रकम से अधिक है। यदि करदाता के किसी व्यापार का वर्ष ३१ दिसंबर के बाद और ३० अप्रैल के पहले समाप्त होता हो तो उसे कर तीन किस्तों में ही, यानी १५ सितम्बर, १५ दिसम्बर और १५ मार्च को ही देना पड़ता है।

करदाता को अधिकार है कि जायदाद, व्यापार तथा अन्य साधनों की गतवर्ष की आय (लाभांश को छोड़कर) के आधार पर किस्तों में कर की रकम जमा करा दे या चालू वर्ष की आय के अनुमान के आधार पर कर की रकम चार किस्तों में जमा करा दे। यदि कोई करदाता गत वर्ष की आय के आधार पर कर न दे और चालू वर्ष की आय के अनुमान के आधार पर किस्तों में कर की रकम दे तो उसको अधिकार है कि १५ मार्च के पहले अपने अनुमान को ठीक करके पिछली किस्तों में दी हुई रकम की कमी या वृद्धि की पूर्ति कर ले।

यदि करदाता गत वर्ष की आय के आधार पर कर देता है तो चालू वर्ष की आय गत वर्ष की आय से कितनी ही अधिक क्यों न हो तो भी वह

किसी दंड का भागी नहीं होता ; परन्तु जब करदाता अपने अनुमान के आधार पर कर की किस्तें देता है तब यदि उसके द्वारा अनुमानित कर की रकम नियमपूर्वक कर निश्चित करने पर, कर की वास्तविक रकम के ८० प्रतिशत से कम निकले तो उसको १ जनवरी से नियमपूर्वक कर निश्चित करने के समय तक इस कमी पर ६ प्रतिशत व्याज देना पड़ता है , परन्तु ३१ मार्च १९५२ के पश्चात् करदाता को ४% व्याज देना पड़ेगा । यदि यह सिद्ध हो जावे कि करदाता ने जानकर गलत अनुमान लगाया है तो कर की कमी के अतिरिक्त कम कर (Deficit Tax) की रकम से १:३ गुनी रकम तक दण्ड देने का वह उत्तरदायी हो जाता है ।

यदि करदाता नया है और उसकी चालू वर्ष की आय ६,७००) से अधिक होने की संभावना है तो उसे १५ मार्च से पहले ही चालू वर्ष में ही बिना नोटिस मिले ही उस आय का अनुमान, जिस पर धारा १८ लागू नहीं होती है, भेज देना चाहिए । यदि नियमपूर्वक कर निश्चित करने पर यह मालूम हो कि व्यक्ति ने अपने अनुमान के आधार पर ८० प्रतिशत से कम कर दिया है तो वह व्यक्ति १ अप्रैल से असेसमेंट की तारीख तक कर की कमती रकम पर ६ प्रतिशत दंड के रूप में व्याज देने के लिए उत्तरदायी होगा ।

इसके अतिरिक्त यदि यह आय का अनुमान आय-कर अफसर को १५ मार्च से पहले-पहले नहीं दिया गया हो और आयकर अफसर को यह सतोष हो गया हो कि अनुमान का न भेजने का कोई उचित कारण नहीं था, तो ८० प्रतिशत कर की रकम से ड्योढी रकम तक का दण्ड करदाता पर कर सकता है ।

यदि किसी व्यक्ति को कमीशन की रकम मिलनी हो तो वह कमीशन प्राप्त न होने की तारीख तक पेशगी कर की अदायगी स्थगित कर सकता है ; परन्तु कमीशन के मिलने के उपरान्त उसे १५ दिन के अन्दर-अन्दर कर की कुल बाकी किस्ते दे देनी चाहिये अन्यथा उसे कमीशन मिलने

की तारीख से कर देने की तारीख तक ६ प्रतिशत साधारण व्याज कर की रकम के अलावा देनी पड़ेगी ।

**कर की वापसी (Refund of Tax)** —जैसा पहले बतलाया जा चुका है कि लाभांश पर उद्गमस्थान पर कर संग्रह करने तथा वेतन और सिक्योरिटियों के व्याज पर उद्गमस्थान पर कर काटने की पद्धति के कारण कर की वापसी का प्रश्न उठता है क्योंकि उस समय कर काटने वाले को करदाता की कुल आय या विश्व आय पर लागू होनेवाली औसत कर-दर का पता नहीं होता है ।

धारा ४८ के अनुसार जब उद्गमस्थान पर काटे हुए कर की रकम नियमानुसार निश्चित किये हुए कर की रकम से अधिक हो तब करदाता अधिक रकम को वापस लेने का हकदार हो जाता है । निम्नलिखित अवस्थाओं में कर वापस लिया जा सकता है —

(१) जब उद्गमस्थान पर काटी हुई कर की रकम उस वर्ष के लगनेवाले उचित कर से अधिक हो तो वह अधिक रकम वापस ली जा सकती है ।

(२) धारा ३५ के अन्तर्गत किसी भूल-सुधार के कारण कर की रकम कम हो जावे ।

(३) यदि किसी अपील के कारण, जो कर की रकम पहले दी जा चुकी है, कम हो जावे ।

(४) जब कोई व्यापार, जो सन् १९१८ के आयकर कानून के अनुसार कर दे चुका हो, बन्द हो जावे तो वापसी का प्रश्न उठ सकता है ।

वापसी प्राप्त करने के लिए एक नियमित फार्म में अर्जी देनी चाहिए । इस अर्जी के साथ कुल आय का नकशा (Return of Total Income) और परदेशी को कुल विश्व आय का नकशा भेजना चाहिए ।

कर-कटौती का सर्टिफिकेट (Certificate of Deduction of Tax) भी अर्जी के साथ भेजना चाहिए। वापसी के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की अवधि (मियाद) माली साल (Financial Year) के अन्त से चार साल तक की है। टैक्स वापस लेने का प्रमाण प्रस्तुत करने का भार करदाता पर ही होता है और उचित प्रमाण और साक्षी न पहुँचने से करदाता के वापसी टैक्स का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु, या दिवाला निकल जाने पर वह प्रार्थनापत्र न प्रस्तुत कर सके तो उसका वैधानिक प्रतिनिधि या रिसेवर यह प्रस्तुत कर सकता है। यदि किसी को वापसी की रकम लेनी बकाया है तो शेष वापसी लेने के स्थान पर बकाया टैक्स की रकम से परिशोधन किया जा सकता है। यदि वापसी का प्रार्थना-पत्र नामजूर हो जावे तो उस आज्ञा की अपील की जा सकती है।

## अध्याय १७

### कर निर्धारण और अपील

#### (ASSESSMENT AND APPEALS)

कर निर्धारण करने का भार आयकर अफसर पर है। धारा २२ (१) के अन्तर्गत एक साधारण नोटिस समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जाता है जिसके अनुसार उस क्षेत्र के प्रत्येक करदाता को, जिसकी आय करमुक्त सीमा से अधिक है, एक आय का नकशा भेजना पड़ता है। यह आय का नकशा (Return of Total Income) एक नियमित फार्म में भेजा जाता है। यदि आय का नकशा निश्चित अवधि में या बढ़ाई हुई अवधि के अन्दर बिना किसी उचित कारण के नहीं भेजा जाता है तो करदाता पर आयकर और अतिरिक्त-कर की रकम की ड्योढी रकम का दंड लगाया जा सकता है; परन्तु यदि आय ₹५००) से कम हो तो उस पर कोई दंड नहीं लगता है।

धारा २२ (२) के अनुसार आयकर अफसर उन सब व्यक्तियों को, जिनकी आय वह करयोग्य समझता है, व्यक्तिगत नोटिस भी भेज सकता है। यदि इस नोटिस के उत्तर में वह व्यक्ति आय का नकशा न भेजे तो उस पर भी कर की ड्योढी रकम का दंड होता है, परन्तु यदि उसकी आय करयोग्य सीमा से कम हो तो उस पर २५) दंड के ही होते हैं। १९५३ के सशोधन ऐक्ट में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि किसी करदाता को किसी वर्ष में लाभ न हो किन्तु हानि हो तो भी उसको अपनी आय का नकशा भेजना चाहिए। यदि ऐसा न किया जायगा तो यह हानि आगामी वर्षों में पूर्ति के लिए नहीं ले जाई जा सकेगी।

धारा २२ (३) के अनुसार करदाता को कर निश्चित करने के समय के पहले आय का नकशा या सशोधित आय का नकशा भेजने का अधिकार है ।

धारा २२ (४) के अन्तर्गत आय-कर अफसर करदाता को गत वर्ष के पूर्व तीन वर्षों के बहीखाते तथा अन्य दस्तावेज पेश करने के लिए नोटिस दे सकता है । यदि करदाता इस नोटिस का पालन न करे तो उस पर (१) धारा २३ (४) के अनुसार अति उत्तम निर्णयानुसार (Best Judgment Assessment) कर निश्चित किया जा सकता है । (२) धारा २८ के अन्तर्गत कर से ड्यूटी रकम का दड किया जा सकता है , (३) धारा ५१ के अनुसार अपराधी पर अभियोग चलाया जा सकता है ।

करदाता पर निम्नप्रकार के असेसमेंट किये जा सकते हैं —

(१) अन्तरिम असेसमेंट (Provisional Assessment) :— धारा २३ बी के अनुसार आयकर अफसर आय के नकशे की प्राप्ति के उपरान्त चाहे जब उस नकशे के आधार पर कर निश्चित कर देता है । इस असेसमेंट की कोई अपील नहीं हो सकती है और टैक्स निश्चित समय में देना पड़ता है अन्यथा करदाता पर टैक्स की रकम के बराबर की रकम का दड हो सकता है । जब नियमित असेसमेंट हो जाता है तो इस प्रोविजनल असेसमेंट की रकम, यदि कम है तो और रकम करदाता से ले ली जाती है और यदि यह रकम अधिक है तो उसे अधिक रकम वापस दे दी जाती है ।

(२) नियमित असेसमेंट (Regular Assessment) :— धारा २३ के अनुसार निम्नप्रकार के असेसमेंट किये जा सकते हैं.—

(क) धारा २३ (१) के अनुसार यदि आयकर अफसर आय के नकशे से पूर्णतया सतुष्ट है तो वह उसके आधार पर टैक्स निश्चित कर देता है ।

(ख) धारा २३ (३) के अनुसार यदि आयकर अफसर आय के नकशे को अपूर्ण समझे तो वह करदाता को एक निश्चित तारीख को धारा

२३ (२) या ३७ के अन्तर्गत उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है। धारा २२ (४) के अनुसार वह करदाता के वहीखाते और दस्तावेज भी भगवा सकता है। इसके उपरान्त यदि आयकर अफसर सन्तुष्ट हो जावे तो वह असेसमेंट कर देता है।

(ग) धारा २३ (४) के अनुसार आयकर अफसर को अति उत्तम निर्णयानुसार कर निर्धारण (Best Judgement Assessment) करने का भी निम्नलिखित अवस्थाओं में अधिकार है। प्रथम, यदि करदाता व्यक्तिगत नोटिस पर धारा २२ (२) के अनुसार आय का नकशा न भेजे, या धारा २३ (३) के अनुसार नकशे का सशोधन न करे। द्वितीय, धारा २२ (४) के नोटिस के अनुसार करदाता हिसाब-किताब पेश न करे। तृतीय, करदाता धारा २३(२) के अनुसार उपस्थित न हो सके या साक्षी न दिलवा सके।

यदि Best Judgement Assessment हो जावे तो करदाता या तो धारा २७ के अन्तर्गत इस असेसमेंट को रद्द करने के लिए आयकर अफसर को प्रार्थना कर सकता है या वह अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर से आयकर अफसर की आज्ञा के विरुद्ध अपील कर सकता है।

(३) तत्कालीन असेसमेंट (Emergency Assessment).— धारा २४ ए के अन्तर्गत यदि आयकर अफसर को यह मालूम हो जावे कि कोई विदेशी चालू वर्ष में या उसके समाप्त होने के बाद ही भारत छोड़कर सदैव के लिए बाहर जानेवाला है तो वह सात दिन का नोटिस देकर उसे अन्तिम गत वर्ष के बाद की आय का नकशा भेजने के लिए बाध्य कर सकता है और चालू वर्ष में उसके जाने की तारीख तक की आय का अनुमान लगाकर उस पर चालू वर्ष की दरों से कर वसूल कर लिया जावेगा।

मांग का नोटिस (Demand Notice) — कर निश्चित करने के बाद आयकर अफसर धारा २६ के अनुसार कर की रकम निश्चित तारीख तक जमा कर देने के लिए करदाता को नोटिस भेजता है और इस



नोटिस के साथ कर निश्चित करने के निर्णय की एक नकल भी भेजी जाती है । यदि करदाता निश्चित समय में कर न दे तो उस पर धारा ४६ के अन्तर्गत न दिये हुए टैक्स के बराबर की रकम का दंड लगाया जा सकता है ।

**असेसमेंट का रद्द करना (Cancellation of Assessment):—**  
यदि करदाता माग के नोटिस से एक महीने के अन्दर असेसमेंट को रद्द करने की प्रार्थना करे और यदि आयकर अफसर सन्तुष्ट हो जावे कि करदाता को उचित कारणों के फलस्वरूप धारा २२ (२) या धारा ३४ के अन्तर्गत आय का नकशा देने में या धारा २२ (४) या २३ (२) के नोटिसों का पालन करने में बाधा पैदा हो गई थी, या उसको धारा २२ (४) या २३ (२) के नोटिस तामील नहीं हुए थे, तो वह अपने असेसमेंट को रद्द करके दूसरी बार कर निश्चय कर सकता है ।

**टैक्स से बची हुई आय (Income escaping Assessment) —**धारा ३४ के अनुसार यदि आयकर अफसर को यह विश्वास हो जावे कि कर लगनेवाली आय या लाभ पूर्ण रूप से कर से बच गई है, या उस पर कम कर लगाया गया है, या कम दर पर टैक्स लगा है, या अधिक कटौतिया दे दी गई हैं; तो चार वर्ष तक वह दुबारा जाच कर सकता है । यदि उसे यह विश्वास हो जावे कि करदाता ने कुछ आमदनी छिपाई है या जानकर आय का नकशा गलत पेश किया है तो वह आठ वर्ष तक जाच करके दुबारा बचाया हुआ कर ले सकता है और इस कर के अतिरिक्त, वह जितना कर बचाया गया है, उससे ड्योडा दंड (Penalty) ले सकता है ।

**गन्ती सुधार (Rectification of Mistake) :—**धारा ३५ के अन्तर्गत कमिश्नर, अपीलेंट असिस्टेंट कमिश्नर या आयकर अफसर ऐसी भूल का सुधार, जो निगरानी, अपील या प्रारम्भिक आज्ञा में साफ-साफ जाहिर हो, निर्णय की तारीख से ४ वर्ष के अन्दर-अन्दर किसी भी समय स्वयं या करदाता के प्रार्थनापत्र आने पर कर सकता है । यदि भूल-

सुधार के फलस्वरूप कर की रकम कम हो जावे तो वह करदाता को वापस दे दी जाती है और यदि कर की रकम बाकी रह जाये तो आयकर अफसर नियमित कर वसूली का नोटिस करदाता को भेजेगा और उससे धारा २६ के अनुसार कर वसूल करेगा ।

**बन्द व्यापार का असेसमेंट (Assessment of Discontinued Business) :**—यदि बन्द होनेवाले व्यापार पर सन् १९१८ के आयकर कानून के अनुसार कर लिया जा चुका था तो इस व्यापार के बन्द होने के वर्ष में कर नहीं लिया जायगा क्योंकि सन् १९१८ के आयकर कानून के अन्तर्गत चालू साल की आय पर ही टैक्स लिया जाता था और गत वर्ष की आय पर नहीं । बन्द किये जानेवाले व्यापार के मालिक को प्रथम यह अधिकार है कि वह गतवर्ष की आय के स्थान पर चालू वर्ष की आय पर कर दे सकता है । यदि वह व्यक्ति गत वर्ष की आय पर कर दे चुका हो तो चालू साल के कर से जितनी रकम उसने अधिक जमा कराई है वह वापस ले सकता है । द्वितीय, उस व्यक्ति के व्यापार की वह आय, जो गत वर्ष की अन्तिम तारीख से व्यापार बन्द करने की तारीख तक हुई है, सर्वथा करमुक्त है और इस आय पर आयकर अफसर को वैधानिक छूट (Statutory Relief) देनी पडती है ।

यदि बन्द होनेवाले व्यापार पर सन् १९१८ के आयकर कानून के अनुसार कभी कर नहीं लगाया गया हो तो व्यापार के गत वर्ष के लाभ के साथ व्यापार बन्द करने की तारीख तक के चालू साल के लाभ पर भी कर लिया जावेगा । व्यापार बन्द करने का नोटिस आयकर अफसर को १५ दिन के अन्दर-अन्दर मिल जाना चाहिए । यदि कोई व्यक्ति धारा २५ (२) के अनुसार व्यापार बन्द करने का नोटिस न देवे तो आयकर अफसर को यह अधिकार है कि व्यापार बन्द की तारीख तक जितना कर लेना शेष रहे, उतनी ही रकम का दंड कर देवे । धारा २५ (३) के अनुसार कर छूट

का दावा व्यापार बन्द करने के एक वर्ष के अन्दर-अन्दर ही कर देना चाहिए अन्यथा यह दावा नहीं चल सकेगा ।

व्यापार के प्रबन्ध में परिवर्तन होने पर असेसमेंट (Assessment on Succession in Business) —यदि कर निर्धारित करते समय यह ज्ञात हो कि व्यापार या फर्म के संगठन या प्रबन्ध में परिवर्तन हो गया है, तो कर उन व्यक्तियों से ही लिया जावेगा जिन्होंने व्यापार या फर्म का लाभ प्राप्त किया है, या जो लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं ; परन्तु यदि फर्म के सञ्जीदार से कर वसूल नहीं किया जा सके तो नई संगठित फर्म से यह कर वसूल किया जा सकेगा और इसी प्रकार व्यापार को बेचनेवाला न मिल सके या उससे कर वसूल न हो सके तो बेचनेवाले का कर भी खरीदनेवाले से वसूल किया जावेगा और उत्तराधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अपने पूर्वाधिकारी से वह कर की रकम वसूल कर सके ।

दिव्यिष्ट दंड (Penalties) :—आयकर कानून के अनुसार निम्न धाराओं के अन्तर्गत करदाता पर विभिन्न प्रकार के दंड किये जा सकते हैं:-

१. धारा २५ (२) :—सन् १९१८ के आयकर कानून के अनुसार कर न लगे हुए व्यापार के बन्द करने का नोटिस १५ दिन के अन्दर-अन्दर दिया जाना चाहिए अन्यथा वाद में लगनेवाले कर की रकम के बराबर की रकम का दंड करदाता पर लगाया जा सकेगा ।

२. धारा २८ :—इस धारा के अनुसार यदि आयकर अफसर, अपीलेंट असिस्टेंट कमिश्नर या अपीलेंट ट्रिब्यूनल को यह विश्वास हो जावे कि किसी करदाता ने उचित कारण के बिना धारा २२ (१), २२ (२), २२ (३), २२ (४), २३ (२) और धारा २३ (४) के अन्तर्गत कार्य न किया हो तो उस पर बचाये हुए या छिपाये हुए कर से १५ गुने तक की रकम का दंड किया जा सकता है ।

३. धारा ४४ ई और ४४ एफ :—यदि कोई करदाता कृत्रिम सिन्धो-

रिटियों का वेचान करे और इसकी आयकर अफसर को सूचना मांगने पर सूचना न देवे तो उस पर ५००) प्रतिदिन दंड किये जा सकते हैं ।

४ धारा ४६ :—यदि करदाता निश्चित समय में कर की रकम जमा नहीं करावे तो उस पर कर के बराबर की रकम का दंड किया जा सकता है ।

कर-भुगतान प्रमाणपत्र (Tax Clearance Certificate) :— यदि कोई व्यक्ति कर-क्षेत्र छोड़कर जाता है तो उसको जाने से पहले कर-भुगतान प्रमाणपत्र लेना पड़ेगा । यह व्यवस्था १९५३ के ऐक्ट में सरकारी आय को सुरक्षित करने के लिए की गई है ।

५. धारा ५१ :— यदि करदाता बिना उचित कारण के धारा १८ के अनुसार वेतन में से कर न काटे, कर काटने का प्रमाण-पत्र न देवे, धारा १८ या २२ (२) के नोटिस पर आय का नकशा न भेजे, धारा २२ (४) के अनुसार बहिया पेश न करे, या धारा ३६ के अनुसार बहियों का निरीक्षण न करने देवे तो उस पर मजिस्ट्रेट द्वारा १०) प्रति दिन दंड किया जा सकता है ।

६ धारा ५२ :—यदि कोई करदाता धारा १६ ए, २० ए, २१, २२, २५ ए (२), ३० या ३२ (३) में झूठी तसदीक कर देवे और यदि यह अपराध सिद्ध हो जावे तो मजिस्ट्रेट उसको ६ महीने की सादी जेल या उस पर १०००) तक दंड या दोनों कर सकता है ।

अपील (Appeals) —अपील करने का अधिकार अन्तर्निहित नहीं है परन्तु यह कानून द्वारा दिया जाता है । आयकर कानून की ३०वीं धारा के अनुसार निम्नलिखित आज्ञाओं (Orders) की अपील की जा सकती है —

१. धारा २३ के अन्तर्गत दिये गये असेसमेंट आज्ञा (Assessment Order) की ।

२. धारा २३ ए के अनुसार सारे लाभ को बाटा हुआ समझे जाने की आज्ञा की ।
३. धारा २४ के अनुसार कम नुकसान की रकम तय करने की आज्ञा के ।
- ४ धारा २५ के अनुसार बन्द व्यापार का नोटिस न देने के दंड के विरुद्ध ।
५. धारा २५ ए के अनुसार सयुक्त हिन्दू परिवार को विभाजित न घोषित करने पर ।
६. धारा २६ के अनुसार व्यापार के उत्तराधिकारी की आज्ञा के विरुद्ध ।
७. धारा २६ ए के अनुसार फर्म का रजिस्ट्रेशन न करने की आज्ञा के विरुद्ध ।
८. धारा २७ के अनुसार असेसमेट को दुबारा न खोलने पर ।
- ९ धारा २८ के अनुसार दंड दिए हुए हुक्म के विरुद्ध ।
- १० धारा ४४ ई और एफ की दंड की रकम के विरुद्ध ।
११. धारा ४६ के दंड के विरुद्ध ।
१२. धारा ४८ के अनुसार वापसी (Refund) की मनाही करने पर ।
१३. धारा ४९ के अनुसार दोहरे टैक्स की छूट न देने पर ।
१४. धारा ३३ ए, बी और ४९ एफ के आज्ञा के विरुद्ध ।

१. अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर —करदाता यदि आयकर अफसर की आज्ञा से असंतुष्ट हो तो वह ३० दिन के अन्दर-अन्दर उस आज्ञा की अपील अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर को कर सकता है । अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर को निर्णय को मजूर करने, रद्द करने, या बदलने का पूरा-पूरा अधिकार है । अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर अपने आज्ञा की एक नकल करदाता को और दूसरी कमिश्नर को भेजेगा ।

२. अपीलेंट ट्रिब्यूनल.—अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के धारा ३१ या २८ की प्रथम अपील के फैसले के विरुद्ध इनकमटैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में धारा ३३ के अनुसार करदाता १००) फीस के देकर ६० दिन की अवधि में अपील कर सकता है। मियाद में अपील पेश न होने पर ट्रिब्यूनल उचित कारणों के आधार पर अपील की मियाद बढ़ा सकती है। ट्रिब्यूनल का तथ्य (Facts) प्रश्न का निर्णय अन्तिम और अकाट्य होता है।

३. हाईकोर्ट —धारा ३३ (४) की आज्ञा के नोटिस के ६० दिन के अन्दर-अन्दर करदाता या कमिश्नर, नियमित फार्म में, अपीलेट ट्रिब्यूनल को कानूनी प्रश्न को हाईकोर्ट के सम्मुख रखने की प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रार्थना के साथ १००) की फीस भेजी जानी चाहिये। इस प्रार्थनापत्र के ६० दिन के अन्दर अपीलेट ट्रिब्यूनल मुकदमे के प्रश्न को हाईकोर्ट के निर्णय के लिए भेज देती है। यदि यह प्रार्थना-पत्र ट्रिब्यूनल द्वारा अस्वीकार कर दिया जावे तो १००) की फीस वापस मिल जाती है। हाईकोर्ट दोनों पक्षवालों को सुनकर कानूनी प्रश्नों का निर्णय करती है और उस फैसले की एक नकल अपीलेट ट्रिब्यूनल को भेज दी जाती, जो उस आदेश के अनुसार मुकदमे का फैसला दे देती है। जब धारा ७६ के अनुसार ट्रिब्यूनल कानूनी प्रश्न हाईकोर्ट के सम्मुख रखती है तब यह कम से कम दो जजों द्वारा सुना जाता है और यदि एक जज अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले से सहमत हो और दूसरा असहमत हो तो अपीलेट ट्रिब्यूनल का ही फैसला मान्य होता है।

४. सुप्रीम कोर्ट :—धारा ६६ ए के अनुसार यदि हाईकोर्ट उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के योग्य प्रमाणित कर दे तो उस फैसले की अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर सकती है या बदल सकती है और उसका निर्णय ही अन्तिम समझा जावेगा।

५. कमिश्नर द्वारा निगरानी (Revision by Commissioner) .—धारा ३३ ए (१) के अनुसार कमिश्नर स्वयं अपने आधीन के मुकदमे के कागजात जाच करके करदाता के पक्ष में आज्ञा दे सकता है। धारा ३३ ए (२) के अनुसार यदि कोई करदाता, २५) के फीस के साथ अर्जी भेजे तो कमिश्नर उस करदाता के कागजात जाच करके वह करदाता के पक्ष में जो उचित आज्ञा हो दे सकता है या उस प्रार्थनापत्र को अस्वीकार कर सकता है। जब तक अपील न की जाय तब तक कमिश्नर निगरानी कर सकता है। परन्तु अपील होने के बाद नहीं।

धारा ३३ बी के अनुसार कमिश्नर को कर की रकम बढ़ाने, परिवर्तन करने, या कर की आज्ञा को रद्द करके नये कर की आज्ञा देने का भी अधिकार दे दिया गया है। यदि कोई करदाता कमिश्नर के ३३ बी की आज्ञा (Order) से असंतुष्ट हो तो वह उस आज्ञा के मिलने के ६० दिन के अन्दर-अन्दर अपीलेट ट्रिब्यूनल में १००) की फीस देकर अपील कर सकता है।

परिशिष्ट  
प्रश्न (उत्तर सहित)





# परिशिष्ट (१)

## प्रश्न (उत्तर-सहित)

(Q 1)

K Chandra is employed in a college on a monthly salary of Rs 800 of which 10% he contributes to a Statutory Provident Fund, to which his employer also contributes an equal amount. He pays Rs 320 p a as insurance premium on the life of his wife. His provident fund is credited with Rs 600 as interest @ 4% p a. Find out his tax-liability for the year 1951-52

*Solution* —

	Rs
Income from Salary	9,600
Less earned income relief 20%	1,920
	<hr/>
	7,680
	Rs as p
	N.I
On Rs 3,500 @ - 9	164 1 0
On Rs. 2,680 @ - 19	293 2 0
	<hr/>
	457 3 0
	<hr/>
Exempted Income—	Rs
P F Contribution	960
Insurance Premium	320
	<hr/>
	Rs 1,280
Exemption on Rs 1,280	
Rs 1,280 × Rs 457-3-0	
<hr/>	<hr/>
7,680	Rs 76-3-0

( १४६ )

Tax Payable Rs 457-3-0 — Rs 76 3 0	
	= Rs 381 0 0
Plus 5% Surcharge	19 1 0
Taxation liability	<u>Rs 400 1 0</u>

(Q 2)

Mr Chandra Kant receives a monthly salary of Rs 500, 10% of which he contributes to a Provident Fund towards which his employer also contributes an equal amount. He is allotted a rent free quarter worth Rs 600 p a. During the year he received two months' salary as bonus. Find out the taxable income and exempted income under all the three classes of Provident Fund for the year 1951-52.

*Solution —*

(1) When the Provident Fund Act of 1925 applies.

	Rs
Salary	6 000
Rent-free quarter	600
Bonus	1,000
	<u>7 600</u>
Earned Income Relief 20%	1,520
Taxable income	<u>6,080</u>
Exempted income—	
P F contribution	600
(2) Recognised Provident Fund	Rs
Salary	6 000
Rent-free quarter	600
Bonus	1,000
Employer's contribution	600
	<u>8,200</u>

( १४७ )

Less E I R 20%	1,640
Taxable income	<u>6,350</u>
Exempted income—	
P F contribution	1,000

(3) Un-recognized Provident Fund

	Rs
Salary	6,000
Rent-free quarter	600
Bonus	1,000
Total income	<u>7,600</u>
Less 20% E I R	1,520
Taxable income	<u>6,080</u>
Exemption	Nil

The same will be the position when there is the application of the Superannuation Provident Fund

(Q 3)

As an accountant of a limited concern what tax would you deduct monthly during the assessment year 1951-52 from the salary of Mr A whose total income is as under —

	Rs
Monthly salary	3,000
Car allowance (p m)	100
House allowance (p m)	200
Bonus (two months' salary)	

Mr A contributes 3,000 to a recognised provident fund The company contributes a similar amount The provident fund account is credited with Rs 2,000 being interest on provident fund Mr A pays Rs 1,200 as insurance premium on his life policy worth Rs 15,000

( १४५ )

*Solution —*

Estimated total income under the head salaries—

Salary	36,000
Car allowance	1,200
House allowance	2,400
Bonus	6,000
	<hr/>
	45,600
Employer's contribution to P F.	3,000
Interest on P F	2,000
	<hr/>
	50,600
Less earned income allowance	4,000
	<hr/>
	46,600

Income tax payable on Rs 46,600 at the rates ruling in the Fiscal year 1951-52

Rs 1,500	Nil	Nil
Rs 3,500	- 9	164- 1-0
Rs 5,000	- 19	546-14-0
Rs 5,000	- 3 -	937- 8-0
Rs 31,600	- 4 -	7,900- 0-0
		<hr/>
		9,548- 7-0
Add 5% surcharge on Income-tax		477- 8-0
		<hr/>
		10,025-14-0
		<hr/>

*Exempted Income —*

Employer's contribution	3,000	
Employee's contribution	3,000	
Interest on P F	2,000	8,000

Insurance premium is not admissible as employer's contribution plus employee's contribution plus insurance premium exceeds 6,000.

( १४९ )

Less rebate on exempted income Rs 8,000

$$= \frac{8,000 \times 10,025-14}{46,600} = 1,336-4-0$$

$$\text{Income Tax Liability} = (10,025-14-0) - (1,336-4) = 8,689-10-0$$

Super-tax on Rs 50,600|- at the rate ruling in  
Fiscal year 1951-52

25,000	Nil	Nil
15,000	- 3 -	2,812- 8-0
10,600	- 4 -	2,650- 0-0
		<hr/>
		5,462- 8-0
Add 5% surcharge		273- 2-0
Super tax liability		<hr/>
		5,735-10-0
Total yearly tax liability		<hr/>
Monthly deduction		14,425- 4-0
		1,202- 1-8

(Q 4)

If an assessee draws a monthly salary of Rs 310, what will be his total income, earned income allowance, taxable income and the amount of tax payable by him for the assessment year 1951-52

<i>Solution</i> —	Rs
Salary being total income	3,720
Less Earned Income Allowance	744
	<hr/>
Taxable income	2,976
	<hr/>

The tax to be paid on Rs 2,976 will be in proportion to the tax payable on his total income of Rs 3,720. The tax to be paid on Rs 3,720 is Rs 60, being one-half of the excess over Rs 3,600. Hence the income tax payable by him for the assessment year 1951-52 on his taxable income of Rs 2,976 would be Rs 48 only ( $\frac{3,720 - 2,976}{3,720} \times 60 = 48$ ) and not Rs 69-3-0, because the former amount is less than the other.

(Q 5)

As investments for 1949-50 were—

- 1 Rs 40,000 3½% Government Papers
- 2 Rs 20,000 5% Municipal Debentures
- 3 Rs 60,000 4½% Port Trust Bonds

His bank charged Rs 15 as commission for collecting interest. He paid Rs 600 as interest on a loan which he had taken for the purchase of Port Trust Bonds. Calculate his taxable income from interest on securities.

<i>Solution</i> —	Rs
Interest for the year on all investments	5,100
Less Bank Commission	15
Interest on loan	600
	615
 Taxable Income from interest on Securities	 4 485

Income tax at 5 annas in the rupee would be deducted at source from Rs 5,100.

(Q 6)

Following are the particulars regarding the taxable income of Mr Krishna Chandra for the year ended 31-3-1952. Compute the total income and the tax payable on refund due.

1 Salary Rs 400 and dearness allowance Rs 40 p.m and bonus 120 at which 132-3-0 is deducted at source.

2. Interest on Securities —

1st June 1951

Six months' interest on 4% Bombay Port Trusts Debentures 1948-49 for Rs 40,000

Commission -|6|-

Six months' interest on 5% Tata Steel Company Debentures for Rs 10,000

Commission -|3|-

Six months' interest on 5% Bengal Chemical Industries Ltd Debentures for Rs 20,000

Commission -|5|-

1st December 1951

Six months' interest on 4% Bombay Port Trust Debentures 1948-49 for Rs 40,000

Commission -|6|-

Six months' interest on 5% Tata Steel Co Debentures for Rs 20,000

Commission -|5|-

Six months' interest on 6% free of tax Government Loan 1945-55 for Rs 10,000

Commission -|3|-

Interest on Postal Saving Bank A/c Rs 500

Interest from National Savings Certificates 600

Commission -|4|-



Statement of Interest on Securities			Tax	Com-	Net
Particulars	Date of Receipt	Gross Income	deducted	mission	Income
			at Source	Rs as	Rs as.
		Rs	Rs as	Rs as	Rs as.
4% Bombay Port Trust Debentures of 1948-49 for Rs 40,000	1st June 1951	800	210 0	0 6	589 10
5% Tata Steel Co. Debentures for Rs 10,000	1st June 1951	250	65 10	0 3	184 3
5% Bengal Chemical Debentures for Rs 20,000	1st Dec 1951	500	131 4	0 5	368 7
4% Bombay Port Trust Debentures of 1948-49 for Rs 40,000	1st Dec 1951	800	210 0	0 6	589 10
5% Tata Steel Co. Debentures for Rs 20,000	1st June 1951	500	131 4	0 5	368 7
6% free of tax Govt. 1945-55 Loan for Rs 10,000	1st Dec 1951	300	—	0 3	299 13
		3,150	748 2	1 12	2,408 2

( Rs )

NOTE —Interest on Postal Saving Bank A/c and Interest on National Savings Certificates will not be taken into account as they are totally free from tax and are not included even in total income

## Statement of Total Income

<i>Heads of Income</i>	<i>Gross Income Tax collected at source</i>	
Income from Salaries	5,400  -	132  3
Interest on Securities	3,150  -	
Less Bank Commission	1 12	748  2
	<hr/>	<hr/>
	8,548  4	880  5
Less earned Income allowance		
	<hr/>	
	7,468  4	
1½ of 5,400	1,080  -	
	<hr/>	
Exempted Income—Net interest on Govt Loan—1945-55	299 13	
Income Tax on 7,468  at 1951-52 rates		
1,500	Nil	Nil
3,500	- 9	164  1
2,468	- 19	263 11
		<hr/>
		427 12
Add 5% Surcharge		21  6
		<hr/>
		449  2
Less relief on exempted income		18  0
		<hr/>
Tax payable		431  2
Tax refundable = (748-2-0) — (431-2-0)		= Rs 317

(Q 7)

Shri Onkar Nath owns several properties, the annual letting value of which amounts to Rs 25,000, including Rs 7,000 for a bungalow, where he resides. He claims the following expen-

ses —Rs 100 for insurance premium, Rs 700 for interest on mortgage, Rs 500 for vacancy allowance, Rs 25 for ground rent, Rs 10 for land revenue and Rs 1,200 for rent collection charges Ascertain his taxable income for the assessment year 1951-52 assuming that he has no other income.

Annual Rental value of the property let				18,000
Less 1/8 for local taxes				2,000
				<hr/>
Annual value of the property let				16,000
Less 1/6th for repair	2.667	0	0	
Less proportionate Fire Ins				
Premium (18 : 7)	72	0	0	
Less proportionate Int on				
mortgage 18 : 7)	504	0	0	
Less vacancy allowance	500	0	0	
Less proportionate ground				
Rent (18 : 7)	18	0	0	
Less proportionate Land	7	0	0	
Revenue (18 : 7)				
Less Rent collection charges				
restricted to 6%	960	0	0	4,728
				<hr/>
Assessable income of property let				11,272
Annual value of the property in his				
own occupation restricted to				
1/10th of the total income	1,204			
Less 1/6th for repairs	201-0-0			
Less proportionate Fire Ins				
Premium (7 : 18)	28-0-0			
Less proportionate Int. on	196-0-0			
mortgage (7 : 18)				
Less proportionate ground				
rent (7 : 18)	7-0-0			

( १५५ )

Less proportionate Land Revenue (7 18)	3-0-0
	<hr style="width: 50px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
	435

Assessable income of the residential portion 769

Assessable income form property 12,041

NOTE —(1) By letting value here means rental value not the annual value

(2) Annual value of the portion occupied is calculated thus:

$$\frac{6}{55} \left\{ 11272 - (28 + 196 + 7 + 3) \right\} = \frac{6}{55} (11272 - 234)$$
$$= \frac{6}{55} \times 11038 = \frac{66228}{55} = 1204-0-0$$

(Q 8)

Mr H Murthy has the following income for the year ending 31st March, 1952 —

(a) Salary Rs 500 per month He has contributed 6¼% of his salary to a recognised provident fund, to which an equal amount has been contributed by the employer The interest at 4½% per annum on his provident fund amounts to Rs 300.

(b) He owns three houses, having municipal valuations of Rs 1,800, Rs 6,000 and Rs 3,000 respectively The following further details are available about these houses —

(i) The first house has been let on a rent of Rs 175 p m and he has incurred the following in respect thereof —Interest on the mortgage of property Rs 1,200, Land Revenue Rs 40, Premium for fire insurance Rs 150, Interest on loan taken to repair the house Rs 600, Municipal Taxes Rs. 50 The house remained vacant for two months during the year.

(ii) The second house is used by him for his own residence and he has spent Rs 300 on its repair and has paid Rs 100 as fire insurance premium

(iii) The third house is let out on Rs. 200 p m and the construction of this house was completed in March, 1951

Ascertain (a) the taxable income from property, (b) the total income, and (c) the exempted income for the assessment year 1952-53

*Solution* —

Statement of Total Income

(1) Income from salary		
Salary proper	6,000	
Employer's contribution	375	
Int on P F.	300	
	6,675	
Total income from salary	6,675	
Less Earned Income Relief	1,335	
	5,340	
Taxable income from salary		6,340
(2) Income from property		
I House		
Rental value	2,100	
Less $\frac{1}{2}$ Municipal taxes	25	
	2,075	
Less 1/6th of repairs	346	
„ Int on mort	1,200	
„ Land Revenue	40	
„ Premium for fire	150	
„ Int on Loan	600	
„ Vacancy allowance	346	
Loss from 1st House	2,682	607

## II House

Annual value restricted to

1 10th of total income	651
Less 1 6th for repairs	109
Less Fire Ins premium	100
	<u>209</u>

Assessable income from II House 442

## III House

Income from third house is not taxable for two years as it was completed in 1951

Loss from property 165

(a) Taxable income from property is nil as there is already a loss which can be set off against other heads of income

(b) The total income = 6,675 - 165 6,510

(c) Exempted Income

Employer's contribution	375
Employee's contribution	375
	<u>750</u>

Interest on P F 300

1,050

NOTE — Calculation of annual value of the II House —

$$\frac{6}{55} (6675 - 607 - 100) = \frac{6}{55} \times 5968 = \frac{35808}{55} = 651$$

(Q 9)

Following is the Profit & Loss A/c of Mr Raja Ram for the year ended 31st March 1951. You are required to compute his total income from business and the amount of tax payable by him on such income. Assume that he has no other income.

Profit &amp; Loss Account for the year ended 31st March 1951

To Advertisement	250	By Gross Profit	30,300
„ Rent Rates & Taxes	1,700	„ Interest	50

( १५८ )

„ Establishment Expenses	4,250	„ Profit on	
„ Charity & Gifts	750	sale of	
„ Fire Insurance Premium	300	investments	2 000
„ Household Expenses	5,000		
„ Subscription & Donations	400		
„ Reserve for Bad debts	300		
„ Life Premiums (on sum assured 12,000)	1,000		
„ Accounting & Auditing charges	1,250		
„ Income Tax	1,000		
„ Postage and stamps	250		
„ Interest on Capital	350		
„ Discount & Allowances	150		
„ General Expenses	700		
„ Payment to Competitors	300		
„ Repairs	100		
„ Net profit transferred to capital	14,300		
	<hr/>		<hr/>
	32,350		32,350
	<hr/>		<hr/>

Establishment expenses include a sum of Rs 750 paid as compensation to an employee for premature termination of the services. Subscription and donations included a sum of Rs 300 paid in the Gandhi Memorial Fund which is approved for charitable purposes. General Charges include a sum of Rs 50 incurred in removal of plant to new premises. Payment to competitors represents a certain share in the estimated profits arrived at by a formula irrespective of actual profit & loss. Accountancy and Auditing charges include a sum of Rs 300 for drafting a partition deed of the family.

*Solution —*

Taxable Income from business for the assessment year 1951-52		
Net profit as per P & L A/c		14,300
Add inadmissible Expenses —		
Charity and Gifts		750
Household expenses		5,000
Subscription and Donation (considered in exemption)		400
Reserve for bad debts		300
Life insurance premium (considered in exemption)		1,000
Accountancy charges for drafting a partition deed		300
Income Tax		1,000
Interest on capital		350
General expenses (for removal of a plant)		50
		23,450
Less profit on sale of investments being capital profit)		2,000
		21,450
Less earned income relief (maximum)		4,000
		17,450
Income tax payable on Rs 17,450 at the rates ruling in the Fiscal year 1951-52		
Rs 1,500	Nil	<i>Nil</i>
Rs 3,500	- 9	164 1 -
Rs 5,000	- 19	546 14 -



( १६० )

Rs 5,000	- 3 -	937  8 -
Rs 2,450	- 4 -	612  8 -
		<hr/>
		2,360 15 -
Add 5% surcharge		118  1 -
		<hr/>
		2,479  -

Exempted Income —

Life Insurance Premium	1,000
Contribution to Gandhi Memorial Fund	300

---

1,300

$$\text{Rebate on exempted income} = \frac{2479}{17450} \times 1300 = \frac{322270}{1745} = 184.11$$

Tax liability of Mr. Raja Ram for

$$\begin{aligned} \text{the assesment year} &= (2,479) - (184.11) \\ &= 2,294.5-0 \end{aligned}$$

NOTES —(1) Money paid for drafting a partition deed of the family is not deductible as it does not in any way represent a business expense

(2) Money paid for removal of plant to new premises is not an allowable deduction because it is a capital expenditure.

(3) Life premium paid is not allowable as a business expense hence not deductible. Rebate at average rate is however, admissible

(4) Payments to competitors as a share in the estimated profits arrived at by a formula irrespective of actual profits or loss is an allowable deduction, because it is incurred wholly and exclusively for the purpose of the business.

(5) Minimum amount of deductions for approved charitable institution to be allowed in Rs 250. In this

case the amount is Rs 300 hence a rebate is given If it would have been 200|-|- no rebate would have been given

(Q 10)

Mr N Narainswami, a pleader, has prepared his Income & Expenditure Account for the year ending 31st March, 1951 Please prepare a statement showing his taxable income from his legal profession for the assessment year 1951-52

Income & Expenditure Account for the year  
ended 31st March, 1951

To House expenditure	20,000	By Legal fees	50,000
„ Salaries & Wages of the Staff	15,000	„ Income from acting as an arbitrator	500
„ Charity	1,000	„ Gain on race course	5,500
„ Income Tax	5,000	„ Dividends of shares (net)	2 000
„ Loss on shares of X Ltd	4,000	„ Profit on Sale of Govt Securities	1,000
„ Gratuity to one of the disabled clerks	1,600	„ Interest on Fixed Deposits	1,500
„ Net Income	22,000	„ Presents from clients	5,400
		„ Directors' Fees	400
		„ Bank Interest	500
		„ Interest on Postal Savings Bank	800
		„ Dividends from Co-operative Society declared out of profits	1,000
	68,600		68,600

**Solution** —

Income as per Income & Expenditure A/c		22,000
<i>Add items disallowed :—</i>		
1 House hold expenditure	20,000	
2 Charity	1,000	
3 Income Tax	5,000	
4 Loss on shares of X Ltd	4,000	30,000
	<hr/>	<hr/>
		52,000
 <i>Less—</i>		
1 Income from acting as an arbitrator	500	
2 Gain on race course	5,500	
3 Dividends on shares	2,000	
4 Profit on Sale of Govt Securities	1,000	
5 Presents from clients	5,400	
6 Interest on Postal Savings Bank	800	
7 Dividends from Co-operative Society declared out of profits	1,000	16,200
	<hr/>	<hr/>
Income from Profession		Rs 35,800
		<hr/>
Mr N Narainswami's Assessment for year 1951-52		
1 Income from profession	35,800	
2 Income from other sources (Dividends)	2,666	
	<hr/>	
Total Income	38,466	
Earned Income Allowance (20% of Rs 35,800, subject to a maximum of Rs 4,000)	4,000	
	<hr/>	
Taxable income	34,466	
	<hr/>	

NOTES

1 Income from acting as an arbitrator and gain on race course are casual incomes, and so not assessable

2 Profit on sale of Govt securities or loss on sale of share are capital profits and capital losses respectively If, however, share dealing is a regular business, they will be taken into account to arrive at the taxable income

3 Present from a client is a casual receipt, hence not taxable

4 Interest on Postal Savings Bank account is not only exempt but it is not to be taken into account to determine the rate of tax on other incomes

5 Dividends from Co-operative societies declared out of profits are exempt from tax but it should be taken into account to determine the rate of tax on other incomes

6 Gratuity to a disabled clerk is a business expense

(Q 11)

A registered firm has three partners Kamal, Vimal and Kranti who share profits and losses in the proportion of 2, 2 and 1 respectively Kamal retired on September 30, 1950 and D (who was previously a salaried assistant in the firm on Rs 300 a month) was admitted as a partner on that date, the shares of Vimal, Kranti and D being 4, 3 and 3 respectively Vimal, Kranti and D further agree not to allow or charge any interest on current accounts The Profit & Loss account for the year ended 31st March, 1951, is as follows —

Income	Rs
1 Sales	1,50,000
2 Stock on 31-3-1951	15,000
3 Interest on Kranti's current account	320

Expenditure		
1	Stock on 1-4-1950	20,000
2	Purchases	80,000
3	Salaries	12,000
4	Rent	6,000
5	General Expenses	1,700
6	Subscription Business	60
	Charitable	80
7	Interest on current account Kamal	560
8	Interest on current account Vimal	440

The other taxable income of the partners was as follows

Kamal—Dividends gross	Rs	5,760
Vimal—Interest on Bank deposit	Rs	500
Kranti		Nil

D—Salary as assistant in the firm

Show how the assessment would be made for the year 1951-52 if the taxable profits of the business are attributed equally to the two halves of the years

*Solution —*

Computation of the firms total income		Rs
Profits as per P & L a/c		44,480
Add items disallowed . .		
Charitable subscription	80	
Interest on current accounts	1,000	1,080
		<u>45,560</u>
Less interest charged on Kranti's current account		320
Total Income		<u>45,240</u>

Allocation of firm's total income between partners

	Kamal	Vimal	Kranti	D
1. Interest on current account	560	440	—320	—

( १६५ )

2	Balance for the first half year (2, 2 and 1)	8776	8776	4388	—
3	Balance for the next half year (4, 3 & 3)	—	9,048	6,786	6,786
		<u>9 336</u>	<u>18,264</u>	<u>10,854</u>	<u>6,786</u>

Statement of Partners total income

	Kam	V.	Kr	D	
1	Salary			1,800	
2	Profits from registered firm	9,336	18,264	10,854	6,786
3	Dividends gross	5,760			
4	Bank interest	—	500	—	—
	Total income	<u>15,096</u>	<u>18,764</u>	<u>10,854</u>	<u>8,586</u>
	Less Earned Income Allowance	<u>1,867</u>	<u>3,652</u>	<u>2,170</u>	<u>1,717</u>
	Assessable income	<u>13,229</u>	<u>15,112</u>	<u>8,684</u>	<u>6,869</u>

(Q 12)

A, B, C are partners of a registered firm who share profits and losses in the proportion of 2 2 1 respectively, and the following is their profit and loss account for the year ending 31st December, 1951

Salaries & Wages	16,000	Gross profit	50,700
Marketing charges	175	Profit on sale of	
Advertisement	325	motor car	800
General charges	11,700	Profit on sale of	
Legal expenses	2,500	investments	400
Travelling expenses	1,400		

( १९९ )

Interest on Bank Loan	150	
Discount	75	
Reserve for bad debts	125	
Bad debts written off	80	
Payment to retiring partner	1,000	
Interest on capital —		
A 300		
B 400		
C 800	1,500	
Net profit	16,870	
	<u>51,900</u>	<u>51,900</u>

Take the following matters into consideration and then compute the total income of the firm and allocate it between the partners .—

- (1) Salaries and wages include a partnership salary of Rs 500 per month to B
- (2) General charges include a sum of Rs 300 paid to save business reputation.
- (3) Legal charges include a sum of Rs 900 spent in defending a suit in connection with assessee's smuggling cloth to Pakistan It also includes a sum of Rs 600 incurred in connection with a suit brought by the firm to retain the use of its trade mark
- (4) Motor car was used wholly for business purposes At the time of sale the written down value of the car was Rs 5,000, while it was sold for Rs 5,800

*Solution :—*

(a) Computation of firm's total income

Net profit as per P & L A|C 16,870 0 0

*Add inadmissible expenses*

Partner's salary	6,000	0	0
General charges to save business reputation	3,000	0	0
Legal charges for defending a smuggling suit	900	0	0
Reserve for bad debts	125	0	0
Payment to retiring partner	1,000	0	0
Interest on Capital	1,500	0	0
	<hr/>		
	29,395	0	0
Less profit on sale of investment	400	0	0
	<hr/>		
(b) Allocation of the firms total income between partners	28,995	0	0

	A	B	C
Salary	—	6,000	—
Interest on Capital	300	400	800
Share of Profit	8,598	8,598	4,299
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	8,898	14,998	5,094
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Notes—(1) Payments made to save business reputation are not an allowable deduction

(2) Legal expenses incurred to retain the use of one's trade is an admissible expense

(3) The sum of Rs 900 spent in defending prosecution relating to assessee's smuggling cloth to Pakistan will not be allowed

(4) Payment to a retiring partner is not an allowable expense

(Q 13)

The following is the Profit and Loss account of a Sugar Mill Company for the year ended 31st October, 1950

Dr	Rs
Opening stock of sugar	1,82,300
Cost of cane crushed	12,57,700



( १६८ )

Manufacturing expenses	7,98,500
Repairs and Renewals	40,700
Establishment charges	41,600
Commission on sales	63,500
General charges	17,800
Directors' fees	1,600
Auditors' fees	2,000
Managing Agents' Remuneration	78,600
Depreciation	1,30,700
Profit	2,09,200
	<hr/>
	28,24,200
	<hr/>
Cr	
Sales	24,50,500
Sundry Receipts	7,700
Closing stock of Sugar	3,66,000
	<hr/>
	28,24,200
	<hr/>

Ascertain the Company's total income for the assessment year 1951-52 after taking the following information into accounts .—

1. Cane crushed includes Rs 1,54,000 the cost of cane grown on the Company's own farm the average market price of the cane being Rs 1,96,000
2. Manufacturing expenses include Rs 4,26,000 for excise duty, Rs 67,000 Capital expenditure on a new Scientific Research Laboratory, and Rs 11,000 on its maintenance charges for the year
3. General Charges include Rs 5,000 for donation to local education institutions and Rs. 2,000 for donation to a public hospital where the Company's employees are treated free

- 4 Sugar worth Rs 1,000 was given away free to an orphanage.
- 5 Rs 15,000 cost of additions made to factory buildings in June, 1950, has been charged to repairs and renewals
- 6 The amount of depreciation agreed is Rs 98,200 which does not include the amount of depreciation on the additions made to factory buildings during the year, such additions being entitled to depreciation at  $2\frac{1}{2}$  per cent per annum, but not to any initial depreciation
- 7, Establishment charges include Rs 3,200 for contribution towards employees' provident fund which is unrecognised

*Solution —*

## Profit &amp; Loss A/c as adjusted for Income-tax purposes

Dr	Rs
Opening stock of sugar	1,82,300
Cost of cane crushed	12,99,700
Manufacturing expenses	7,31,500
Research laboratory (1/5 written off)	13,400
Repairs and Renewals	25,700
Establishment charges	41,600
Commission on sales	63,500
General Charges	12,800
Directors' fees	1,600
Auditors' fees	2,000
Managing Agents' Remuneration	78,600
Depreciation on old assets	98,200
Depreciation on additions for 4 months @ $2\frac{1}{2}$ % p a	125
Profits being total income	2,74,175
	<hr/> <u>28,25,200</u> <hr/>

( १७० )

Cr.	/ Rs
Sales (including Rs 1,000 given as charity)	24,51,500
Sundry Receipts	7,700
Closing stock of Sugar	3,66,000
	<hr/>
	28,25,200
	<hr/>

(Q 14)

Given below is the Profit & Loss Account of the Jai Bharat & Co Ltd , for the year ended 31st December, 1950 —

Dr	Rs
1 Wages and Salaries	19,15,992
2 Donations	5,000
3 Brokerage	3,862
4 Cotton Account	57,08,975
5 Directors' fees	4,500
6 Research Expenditure	60 000
7 Repairs to Buildings & Machinery	62,278
8 Workmen's Welfare Expenditure	27,592
9 Managing Agents' Commission	1,00,845
10 Stores Account	9,17,824
11 General Charges	14,504
12 Rates & Insurance	20,188
13 Office Expenses	1,20,347
14 Auditors' fees	2,500
15 Interest	1,05,925
16 Law Charges	2,865
17 Contribution to Staff Prov Fund (recognised)	37,500
18 Net profit (subject to depreciation)	12,16,350
Cr	
1 Transfer Fees	3,108
2 Rent of Bungalows	28,951

3	Waste Account	60,754
4	Sundry Receipts	3,000
5	Cloth Account	48,12,056
6	Yarn Account	54,05,978
7	Dividends (Net)	13,200

Compute the taxable profits and its total income for the year 1950 after taking the following information in account—

- 1 The amount of depreciation allowance is agreed at Rs 2,75,850
- 2 Legal charges amounting to Rs 950 were incurred in connection with the purchase of additional land
- 3 Rates Rs 1,800, Insurance Rs 1,250 and repairs to buildings Rs 2,872 were in respect of bungalows and chawls let to employees.
- 4 Two-thirds of the research expenditure is capital expenditure
- 5 Rupees 2,700 of brokerage was paid for cotton and stores purchased and the balance was in respect of loans raised for the Company's business

*Solution —*

		Rs
Profit as per Profit & Loss A/c		12,16,350
<i>Add</i> expenses disallowed		
1	Repairs to buildings	2,872
2	4/5 of capital expenditure	32,000
3	Brokerage on loans being capital expenditure	1,162
4	Rates and Insurance of building	3,050
5	Legal Charges	950
6	Donations	5,000
		<u>45,034</u>
		12,61,384

( १७२ )

Less Depreciation allowance	2,75,850		
Income not taxable under business .			
Rents	28,951		
Dividends	13,200	3,18,001	
		<u>          </u>	
Taxable profits from business		9,43,383	
		<u>          </u>	
1. Rent of bungalows, etc	28,951		
Deduction for the local taxes	3,216		
	<u>          </u>		
Annual value of property	25,735		
Less 1/6 for repairs	4,289		
Insurance	1,250	5,539	20,191
	<u>          </u>	<u>          </u>	
2 Profits from Business			9,43,383
3 Dividends Gross			17,600
			<u>          </u>
Total Income			9,81,174
			<u>          </u>

If the donations of Rs 5,000 have been given to an approved charity, a rebate of income tax would have been allowed thereon at the average rate of Income-tax

(Q 15)

A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the proportion of 2 2 1 The Profit & Loss a/c of the firm for the year ended 31st March, 1951 is as follows —

Dr		Rs.
Sundry Trade Expenses		50,000
Interest on Capital	A	3,000
	B	2,000
	C	1,000
Salary to B		6,000
Commission to C		3,000
Net Profit		85,000

( १७३ )

Cr

Gross Profit	1,45,000
Dividends Gross	5,000

Compute the assessable income of the firm and allocate it amongst the three partners

*Solution —*

Computation of firm's total income

1 Business		
Net profit as per P & L A/c		85,000
Add Expenses disallowed—		
Interest on Capital	6,000	
Partners' salary		
Partners' Commission	3,000	15,000
		<hr/>
		1,00,000
Less Dividends		5,000
		<hr/>
		95,000
2 Dividends Gross		5,000
		<hr/>
Total Income		1,00,000
		<hr/>

Its allocation amongst partners

	A	B	C
1 Interest on capital	3,000	2,000	1,000
2 Salary		6,000	
3 Commission			3,000
4 Balance of the firms total income (2 2 1)	34,000	34,000	17,000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Rs	37,000	42,000	21,000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

(Q 16)

From the following Profit & Loss account of The Johnson Colliery Co Ltd , for the year ended 31st March, 1951 Compute its total income for income-tax purposes —

To Salaries	1,50,000	By Gross Profit	6,31,000
„ Bonus to employees	11,500	„ Discounts	1,000
„ Cost of Colliery	10,000		
„ Commission	24,000		
„ Repairs	10,000		
„ Fire Insurance	4,200		
„ Director's Fees	3,000		
„ Interest on Debentures	7,200		
„ Bank Charges	600		
„ Preliminary Expenses written off	10,000		
„ Discount on Issue of Shares	7,000		
„ Hospital Construction	40,000		
„ Research Work	20,000		
„ General Expenses	10,000		
„ Premium for Lease	5,000		
„ Depreciation —			
Buildings	5,000		
Furniture	500	5,500	
„ Bad Debts	2,000		
„ Net profit	3,12,000		
	6,32,000		6,32,000

1. Cost of Colliery amounting to Rs 10,000 is paid in addition to a Commission at a certain rate on every ton of coal raised by the Co
- 2 Repairs include Rs 2,000 expended on improvements to the Co's property as distinct from repairs It also includes a sum of Rs 400 paid for accumulated arrears of repairs
- 3 Directors' fees includes a sum of Rs 1,500 paid to any undesirable Director in order to get rid of him
- 4 Hospital has been constructed for the benefit of employees
- 5 Expending under the head "Research Work", represents 1/5th of the total amount of Rs 1 lakh paid by the Co to The Delhi University for starting a laboratory for scientific research relating to coal business, two years before the commencement of the business
- 6 General Expenses include a sum of Rs 2,000 spent on a garden party given to the Minister of Works, Mines & Power of the Government of India It also includes a sum of Rs 200 paid as commission to brokers to raise share capital
- 7 Depreciation has been calculated at the prescribed rates
- 8 Premium for lease represents payment made for renewal of a lease

*Solution —*

Net Profit as per Profit & Loss Account 3,12,000

*Add items disallowed—*

1	Cost of Colliery	10,000
2	Repairs	2,400
3	Preliminary Expenses	10,000
4	Discount on Issue of Shares	7,000



( १७६ )

5. Hospital Construction	40,000	
6. General Expenses	2,200	
7 Premium for lease	5,000	76,600
	<hr/>	<hr/>
		3,88,600

NOTES

- 1 Cost of colliery paid in addition to a commission at a rate on every ton of coal raised by the Co is not an allowable expense
2. Improvements and accumulated arrears of repairs are not allowable
- 3 Preliminary expenses are not an allowable deduction
- 4 Amount paid to an undesirable life director is a revenue expenditure and hence allowable
- 5 Hospital construction amount is not allowable as it is a capital expenditure
- 6 Expenses incurred in a garden party given to a Minister are not allowable
7. Commission paid to brokers for raising share capital is not allowable
- 8 Rent of the lease is allowable, while premium for removal is not allowable.

(Q 17)

Rajender Pershad starts a new business on 1st April, 1950. He purchases new machinery for Rs 50,000 and furniture at a cost of Rs 10,000 He purchases an old machinery at a cost of Rs 20,000 on 1st July, 1950 Calculate the depreciation allowance in 1951-52 assessment supposing that depreciation on machinery is 10% and on furniture 6% Also find out the written down value for 1952-53 assessment

*Solution —*

Rajender Pershad will be entitled to depreciation as under :	
(1) Initial depreciation on Rs 50,000 @ 20%	10,000
(2) Ordinary depreciation on Rs 50,000 @ 10%	5,000
(3) Additional depreciation equal to normal	5,000
(4) Normal depreciation on Rs 20,000 @ 10% on old machinery for 9 months	1,500
(5) Ordinary depreciation on furniture @ 6%	600
Total Depreciation	22,600
Written down value for 1952-53 assessment	
Machinery original cost 50 000 + 20,000	70,000
Less ordinary and additional depreciation (not initial)	11,500
	58,500
Furniture original cost	10,000
Less normal depreciation	600
	9,400

NOTE —Initial depreciation of Rs 10,000 will not be taken into account for calculating written down value, but it will be taken into account for calculating balancing depreciation

(Q 18)

Followings are the information about the machinery of an engineering company which closes its books on 31st December Find out the amount of admissible depreciation for the assessment year 1951-52

Machinery —Total cost to 31st December, 1950, Rs 5,00,000, which includes the cost of new machinery pur-

chased on 1st January, 1948 Rs 1,00,000 and on 1st January, 1950, Rs 1,00,000 The total amount of depreciation claimed in respect of this upto and including 1950-51 assessment is Rs. 1,20,000. The rate of depreciation on this asset is 10% In the year 1950 the whole machinery was employed double shifts for 100 days and triple shift for another 100 days.

*Solution —*

Total cost to 31st December, 1950	5,00,000
Less depreciation already claimed and allowed (excluding initial depreciation of 20,000 i.e. 20% of 1,00,000)	1,00,000
Written down value for the assessment year 1951-52	4,00,000
Initial depreciation on Rs 1,00,000 @ 20%	20,000
Normal depreciation on Rs 4,00,000 @ 10%	40,000
Further depreciation allowance on machinery of 1,00,000 acquired after 31st March, 1948 equal to its normal depreciation	10,000
Double shift allowance for 100 days being	
$= \frac{40,000 \times 100 \times 1}{300 \times 2}$	666,7
Triple shift allowance for 100 days being	
$40,000 \times \frac{100}{300} \times 1$	13,333
Depreciation allowance for 1951-52 assessment year	90,000
Written down value for 1952-53 (4,00,000— 90,000) =	3,10,000

NOTE —Initial depreciation of 20,000 cannot be taken into account for calculating written down value.

(Q. 19)

A Jute Mill Company, whose accounts are made upto 31st March, purchased new machinery on 31st March, 1950, for

( १७६ )

Rs 2,00,000 the prescribed rate of depreciation being 10%. Calculate the amount of depreciation allowance for five assessment years assuming that the market price of similar machinery on 31st March, 1953, is 1,50,000

Tax year	Rs	Rs
1950—51	Cost of machinery	2,00,000
	Depreciation allowance	
	Initial depreciation	40,000
		<u>40,000</u>
		—
		<u>2,00,000</u>
1951—52	Written down value	2,00,000
	Depreciation allowance	
	Normal	20,000
	Further	40,000
		<u>60,000</u>
1952—53	Written down value	1,60,000
	Depreciation allowance	
	Normal	16,000
	Further	16,000
		<u>32,000</u>
1953—54	Written down value	1,28,000
	Depreciation allowance	
	Special depreciation to bring the written down value to 96,000 (i.e. which would be the written down if the cost were Rs 1,50,000)	32,000
	Normal depreciation on 96,000	9,600
	Further depreciation equal to normal	9,600
		<u>51,200</u>

1954—55	Written down value		76,800
	Depreciation allowance		
	Normal	7,680	7,680
		<hr/>	<hr/>
	Written down value for the assessment year 1955-56.		69,120
			<hr/>

(Q 20)

Machinery cost Rs 2,00,000 Its written down value 1,00,000 Initial depreciation 40,000 It is insured and is destroyed leaving a scrap value of Rs 20,000. What would be the position as regards balancing depreciation, if the insurance money received were 30,000, Rs 40,000, Rs 1,00,000, Rs 1,80,000 and Rs 2,20,000

Written down value	1,00,000
Less initial depreciation	40,000
	<hr/>
Written down value for balancing depreciation purposes	60,000
	<hr/>

Scrap value 20,000

So the loss = (60,000 — 20,000) = 40,000

- (a) When the insurance company gives Rs 30,000 there is a balancing depreciation of Rs 10,000
- (b) When the insurance company gives Rs 40,000, there is no balancing depreciation and no taxable surplus
- (c) When the insurance company gives Rs 1,00,000 there is a taxable surplus of Rs 60,000
- (d) When the insurance company gives Rs 1,80,000 there is a taxable surplus of Rs. 1,40,000
- (e) When the insurance company gives Rs 2,20,000, there is a taxable profit of Rs 1,40,000 and a non-taxable capital profit of Rs 40,000

(Q 21)

The income of Mr H. T Dewani, who is an ordinary resident, for the year ended 31st March 1951 is as follows —

- 1 Share of profits from an unregistered firm in which he is a financing partner Rs 5,000
  - 2 Interest on 3% Government Securities for Rs 50,000
  - 3 Director's fees Rs 500
  - 4 Salary of Rs 6,000 from which appropriate tax has been deducted at source
  - 5 Property income —
    - Rent received Rs 8,720
    - Municipal taxes Rs 1,000
    - Interest on mortgage of property 450
    - Fire Insurance Premium 350
    - Ground Rent 50
    - During the year in question he paid 1,500 as premiums on life policies for 12,000
- Prepare his assessment for the year 1951-52

*Solution —*

	Gross Income Rs	Incometax deducted at source Rs
1 Salary	6,000	154 11 0
2. Interest on Securities	1,500	375 0 0
3 Property income—		
Rent Received	8,720	
Less 1/2 of local taxes	500	
	<hr/>	
Annual Value of	8,220	
Less 1/6 for repairs	1,370	
Mortgage Interest	450	
Fire premium	350	
Ground rent	50	
	<hr/>	
	2,220	6,000

( १८२ )

4. Profits from an unregistered firm	5,000	
5 Director's fees	500	
	<u>19,000</u>	<u>529 11 0</u>
Total income		
Less earned income allowance on account of salary and director's fees	1,300	
	<u>17,700</u>	
Assessable income		

Gross amount of income tax on assessable income calculated as follows :—

(1) On Rs 17,700 at 1950-51 rates :		
On Rs. 1,500		Nil
On Rs 3,500 at - -9 per rupee	164	1 0
On Rs 5,000 at - 1 9 per rupee	546	14 0
On Rs 5,000 at - 3 - per rupee	937	8 0
On Rs 2,700 at - 4 - per rupee	675	0 0
	<u>Total</u>	<u>2,323 7 0</u>

Proportionate Income-tax on salary and interest  
on Securities (Rs 4.800 plus Rs 1,500)

827 0 0

(2) On Rs 17,700 at 1951-52 rates .		
On Rs 1,500		Nil
On Rs 3,500 at - -9 per rupee	164	1 0
On Rs 5,000 at - 1 9 per rupee	546	14 0
On Rs 5,000 at - 3 - per rupee	937	8 0
On Rs 2,700 at - 4 - per rupee	675	0 0
	<u>Total</u>	<u>2,323 7 0</u>
Add 5% Surcharge thereon		116 3 0
	<u>Total</u>	<u>2,439 10 0</u>

( १८३ )

Proportionate income-tax on the balance of assessable income (Rs 17,700—Rs 6,300)	1,571 4 0
Gross income-tax on assessable income	<u>2,398 4 0</u>
Average rate of income-tax 26 01 pies per rupee	
Exempted Income .---	
Profits from an unregistered firm which has been taxed	5,000
Life Insurance Premium	<u>1,200</u>
	6,200
Amount of income-tax relief thereon at 26 01 pies per rupee	Rs 839 14 0
Gross amount of income tax on assessable incomes	2,398 4 0
Less Income-tax already collected	529 11 0
Relief on exempted income	839 14 0
	<u>1,369 9 0</u>
Income-tax payable	<u>1,028 11 0</u>

(Q 22)

From the following particulars of Vimal Dev find out the total income, taxable income, exempted income for the assessment year 1951-52

- 1 Salary Rs 200 per month
- 2 8% War Bonds (tax-free) of Rs 25 000  
5% Debentures of D C M Ltd of Rs 1,000  
6% Victory Bonds (less tax) of Rs 3,000  
Bengal Chemicals declared 6% dividend on Rs 5,000 (less tax)
- Tata declared 6% dividend on ordinary shares of Rs 2,400 (tax-free)
- 3 House property let out Rs 6,000
4. Director's fees Rs 800



5. Profits from an unregistered firm Rs 500.

6 Profits from registered firm Rs. 600

He pays Rs 272 as insurance premium on the life of his wife and himself annually.

*Solution —*

		Rs
1. Income from salary		2,400
2. Interest on securities—		
8% War Bonds	2,000	
5% Debentures of D C M.	50	
6% Victory Bonds	180	2,230
	<hr/>	
3. Income from property	6,000	
Less $\frac{1}{3}$ Municipal taxes	667	
	<hr/>	
	5,333	
Less $1\frac{1}{6}$ for repairs	889	4,444
	<hr/>	
4 Profits from an unregistered firm	500	
Profits from registered firm	600	1,100
	<hr/>	
5 Income from Other Sources		
Bengal Chemical dividend	300	
Tata shares dividend Rs 144 $\times$ $4\frac{1}{3}$	192	492
	<hr/>	
Director's fees		800
		<hr/>
Total Income		11,466
Earned Income Relief		760
		<hr/>
Taxable Income		10,706
		<hr/>
Exempted income—		
Unregistered firm's profits	500	
Tax free war bonds	2,000	
Insurance premium	272	
	<hr/>	
Total	2,772	
	<hr/>	

N B—It is assumed that the profits of the unregistered firm have already been taxed

(Q 23)

Salary of Mr Kant is Rs 750 per month He pays Rs 50 per month as his contribution to a Recognised Provident Fund to which the University contributes an equal sum p m He pays Rs 210 p a for life insurance on a policy of Rs 2,000 His other incomes are share from a Joint Hindu Family Rs 6,000 Profits from a business in which he is a sleeping partner being Rs 5,000 as his share Find out his total income, exempted income, taxable income and earned income relief

*Solution —*

	Rs
Income from salary	9,000
Employer's contribution	600
	9,600
Earned Income Relief	1,920
Exempted Income	
P F Contribution	1,200
Insurance Premium	200
	1,400
Share of Joint Hindu Family income is exempted from income tax	
Total income—	
Salary	9,600
Business Income	5,000
	14,600

(Q 24)

A person has the following investments during the year 1950-51 —

- 1 Rs. 27,000 3½% Government paper
- 2 Rs 15,000 5% Municipal debentures.
3. Rs. 10,000 4½% Port Trust Bonds (Tax-free).
- 4 Rs 15,000 shares of Gold Ribbon Tea Co only 40% of which are taxable The Company declared 10% dividend
- 5 Rs 17,000 share of Daurala Sugar Mills having its own estate Income from farm is 40% of the total income of the Company The Company declared 6% tax-free dividend
- 6 Rs 22,000 ordinary shares of M C Sugar Mills having only refining and crushing process Dividend declared was 4%

He paid bank charges Rs 55 for collection of interest. He had borrowed money to purchase Municipal debentures and Port Trust Bonds He paid interest thereon Rs 500 and Rs 645 respectively Find out his total income and exempted income

*Solution —*

Income from Securites—	Rs
Interest on Govt Paper (3½% of Rs. 27,000)	945
15,000 5% Municipal Debentures	750
10,000 4½% Port Trust Bonds (Tax-free)	450
	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
	2,145
Less Bank charges and interest on borrowed sum for the purchase of securities (55 + 1145)	1,200
	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
	945

5. Income from Other Sources—	Rs
Rs 15,000 Gold Ribbon Co Shares	1,500
Rs 17,000 Daurala Sugar Mills Shares 60% of the profits of which are taxable	

$$1020 \times \frac{1}{1 - \left( \frac{60}{100} \times \frac{4}{16} \right)}$$

$$= 1020 \times \frac{20}{17} = \frac{20400}{17} = 1,200$$

Rs 22,000 on shares of M C Sugar Mills, dividend declared, 4%	880
Total income	<u>4,525</u>

(Q 25)

Mr Dharmender, a retired employee of the Government of India and an ordinary resident, makes a return of his income of the year ended March 31, 1951 showing the following incomes —

It is learnt on inquiry that the assessee is a partner in a registered firm and that his share of income in that firm during the firm's trading year ended October 31, 1950 was Rs 8,000. His wife is also a partner of that firm, her share of income during the same year being Rs 4,000 only, but she had already made a return of her own income separately. The assessee owns a house used for his residence, the annual value of which is Rs 2,400.

Dividend Rs 2,700 received in the taxable territories from a company in Kashmir, earning its entire income in that state, but 50% of its income was derived from agriculture.

Interest on tax free Government Securities Rs. 4,000 Bank collecting commission Rs 25 Interest paid to a bank with

which the securities are mortgaged for a loan taken for purchasing the securities Rs 3,500 and brokerage paid for securing the above bank loan Rs 175

Pension at Rs. 100 per month

Compute the assessee's total income for the assessment year 1951-52

*Solution* —

Total Income for the assessment year 1951-52

	Rs
1 Salary (Pension)	1,200
2 Interest on tax-free Government securities (after deducting bank commission Rs 25 and interest on loan Rs 3,500)	1,475
3 Property Income	
Annual value restricted to 10% of total income	1,895
Less 1/6 for repairs	315
	1,580
4 Share of profit from a registered firm including that of his wife	12,000
5 Dividend	2,700
Total Income	18,955

Note — Brokerage paid for securing bank loan is not an admissible expense

(Q 26)

Mr Hardwin is employed as a clerk in a Government office on a monthly salary of Rs 120. He holds Rs 40,000 3½% Government securities, and is also the owner of a big house, the municipal valuation of which is Rs 800. He has let one-third of the house at Rs 30 per month and used the remainder for his own residence. The house is mortgaged for a loan

which he took to meet the expenses of the marriage of his daughter and the interest on the loan amounted to Rs 300 for the year. Ascertain his taxable income from property and also total income for the previous year ended March 31, 1951.

	Rs	Rs
<i>Solution</i> —		
Rent of portion let	360	
Less deduction on account of local taxes restricted to one-eighth of annual value	40	
	320*	
Annual value of the portion let	320*	
Less 1/6 for repairs	53	
Interest on mortgage (one-third)	100	167
	153	
Annual value of portion occupied (limited to 10% of total income)	302†	
Less 1/6 for repairs	50	
Interest on mortgage (two-third)	200	52
	250	
Taxable income from property		219

\* Where rent is received from property subject to local taxes and a deduction is to be made in respect of such taxes to the extent of  $\frac{1}{8}$  of the annual value, then in order to find out the annual value multiply the rent by 8 and divide the product by 9

† In order to calculate the annual value of property occupied by the owner (such value to be restricted to 10% of his total income), the following formula can be readily applied. Annual value of the residential property is equal to  $\frac{1}{10}$  of  $\frac{12}{11}$  of other taxable income minus admissible expenses relating to such property other than the one-sixth statutory allowance for repairs. Thus using the above figures, the annual value of residential property will be

$$\frac{1}{10} \text{ of } \frac{12}{11} \text{ of } (1440 + 1400 + 167 - 200) \text{ or Rs } 302$$

( १९० )

Statement of Total Income

1	Salary	1,440
2	Interest on Securities	1,400
3	Income from property	222
		<hr/>
	Total income	3,062

(Q 27)

From the following particulars relating to the year ended 31st March, 1951, furnished by Mr Paul, who is an ordinary resident, ascertain his total income and the amount of income entitled to income-tax relief His income and expenditure for the year consists of the following items —

Income	Rs
1 Property Rents	78,000
2 Share of profits—	
X & Co (Registered)	20,854
Y & Co (Unregistered)	9,124
3 Remuneration as liquidator	1,40,000
4 Profits of his own business	96,000
5 Interest on tax-free Government securities	1,20,000
6 Interest on loans	1,80,000
Expenditure	
1 Property Expenses—	
Repairs	20 000
Collecting Charges	4,660
Ground Rent	2,824
Insurance Premiums	1,568
2 Salaries and wages	27,000
3 General charges	3,000
4 Reserve for Bad Debts	17,800
5 Interest to mortgages of property	18,000
6 Other interest	72,000

Rs 500 being collection charges in connection with properties has been debited to salaries and wages account by mistake. He also owns a property which is used solely as his residence and the municipal valuation of which is Rs 90,000. Insurance premium and ground rent for the same amounted to 2,976 rupees, which is not included in any figure stated above.

<i>Solution</i> —		Rs	
1	Income from property—		
	Rent of property let	78,000	
	Less allowance for local taxes	8,666	
		<hr/>	
	Annual value of property let	69,334	
	Less 1/6 for repairs	11,555	
	Ground rent	2,824	
	Insurance	1,568	
	Interest on mortgage	18,000	
	Collection Charges 6%	4,159	
		<hr/>	
	Annual Value of property occupied restricted to 10% of total income	53,752	
	Less 1/6 for repair	8,958	
	Insurance etc	2,976	
		<hr/>	
		11,934	41,818
		<hr/>	
			Rs 73,046
2	Interest on securities (tax-free)		1,20,000
3	Business Registered firm	20,854	
	Unregistered firm	9,124	
	Business loss	—5,500	
		<hr/>	
			24,478
4	Other Sources—		
	Interest on loans	1,80,000	
	Remuneration of liquidator	1,40,000	
		<hr/>	
			3,20,000
		<hr/>	
	Total Income		Rs 5,37,524
			<hr/>



## Exempted Income.

1	Tax-free interest	1,20,000
2	Profits from unregistered firm	9,124
		Rs 1,29,124

The loss of Rs 5,500 is computed as follows

Gross profit from proprietary business		96 000
Less Salaries and wages	26,500	
General expenses	3,000	
Interest	72,000	1,01,500
Loss		5,500

(Q 28)

The following information relates to the income of an assessee who is resident and ordinary resident for the year ended 31st March, 1951 —

- 1 He owns a house, one-fourth of which is used for his residence and the remainder is let at Rs. 400 per month His agent charged one-sixth of the rent as his commission
- 2 Dividend Rs 9,000 received from a tea company assessed on 50% of its profits.
- 3 Monthly salary Rs. 4,000 He was on leave for four months ex-India Two month's leave salary was drawn ex-India and the balance of leave salary was drawn in India on return from leave during the following year

Compute his total income for the assesment year 1951-52

*Solution —*

	Rs
1 Salary	48,000
2 Income from property—	
Rent from property let	4,800

( १९३ )

Less local taxes allowance	533		
Annual value of property let	4,267		
Annual value of residence on the basis of rent of portion let	1,600		
Annual value of whole property	5,867		
Less 1/6 for repairs	977		
Collection charges 6% on Rs 4,267	256	1,233	4,634
3. Dividend gross (at 4 as per rupee)			10,286
Total Income			62,920

(Q 29)

From the following information calculate the total income, earned income relief, and the exempted income of an individual

- 1 Income tax deducted from salary Rs 1,500
- 2 Interest at 9% p a credited to the Provident Fund Rs 1,200
- 3 Life Insurance premium paid Rs 1,500
- 4 Dividends received Rs 4,400, income tax payable being Rs 2,000
- 5 Employer's contribution to his Provident Fund Rs 1,800
- 6 His contribution to Recognized Provident Fund Rs 1,800
- 7 Salary after deduction of Provident Fund contribution and income tax Rs 14,700

Solution —

1 Salary	18,000		
Employers contribution to P F.	1,800		
Interest on provident fund	1,200		21,000

2	Dividend gross	6,400
	Total Income	<u>27,400</u>
	Earned Income Relief Rs 4,000	
	Exempted income—	
1	Contributions to P F restricted to one-sixth salary	3 000
2	Insurance Premium	1,066
3	P F Interest restricted to 6%	800
		<u>4,866</u>

(Q 30)

The following are the particulars of the income of Mr Satya, a Government servant, for the year ended 31st March, 1951 —

- 1 He owns two bungalows, one of which is let at Rs 140 per month and the other (whose annual value is Rs 850) is occupied by him for his own residence. He pays Rs 150 per year as ground rent and insurance charges in respect of the first bungalow and Rs 210 per year in respect of the second.
  - 2 Salary Rs 750 per month out of which he contributes 1 anna in the rupee to a Provident Fund to which his employer contributes an equal amount.
  3. His income from investments during the year was as follows —
    - (i) Rs 5,000 5% tax-free Government securities
    - (ii) Rs 8,000 6% preference shares in a Sugar Mill Company.
  - 4 He pays an annual Insurance premium of Rs 1,250
- Ascertain his total income, assessable income, and exempted income for the assessment year 1951-52

<i>Solution .—</i>	Rs.
1 Salary	9,000
2 Interest on Securities	250
3 Property income—	
Annual value of both bungalows after allowing for local taxes in respect of the rent received	2,344
Less 1/6 for repairs	391
Ground rent etc	360
	751
4 Dividend (Gross)	480
Total Income	11,323
Total Income	11,323
Earned income allowance	1,800
Assessable Income	9,523
 Exempted Income	
1 Provident Fund Contribution	562
2 Insurance premium	1,250
3 Tax free interest	250
	2,062

(Q 31)

The taxable income of Mr X, an ordinary resident, for the year ended 31st March, 1951 consisted of salary Rs 5,000, property income Rs 6,000, interest on securities gross Rs 5,000 and dividends gross Rs 3,000 Calculate the amount of Income-tax payable for the assessment year 1951-52

*Solution* —

	<i>Gross amount</i>	<i>Income tax deducted at source</i>
1 Salary	5,000	117 3 0
2 Interest on Securities	5,000	1,250 0 0
3 Property income	6,000	
4 Dividends gross	3,000	750 0 0
	19,000	2,117 3 0
E I allowance	1,000	
Assessable Income	18,000	
(1) Gross income-tax on Rs. 18,000 at 1950-51 rate Rs 2,398-7-0		
Therefore proportionate Income-tax on Rs 12,000 (i.e. salary, interest and dividend)		1,598 15 0
(2) Gross Income tax on Rs 18,000 at 1951-52 rates Rs 2,518		
Therefore proportionate Income-tax on Rs 6,000 being property income		839 7 0
		2,438 6 0
Less income tax collected at source		2,117 3 0
Income tax payable		321 3 0

(Q. 32)

From the following particulars, find out the income tax payable by Mr A for the assessment year 1952-53 —

- (i) Salary of Rs 400 p m
- (ii) Interest on 4% Republican Bonds (investment being 12,000)

- (iii) Income from house property—Rs 1,800 (annual value being Rs 1,500)
- (iv) Director's fees Rs 850
- (v) Business profits Rs 1,500
- (vi) Interest on 3% (free of tax) India Victory Loans on an investment of Rs 5,000
- (vii) Life Insurance premiums paid by Mr A during the year Rs 2,700

*Solution* —

Income Tax Notes —

(1) Income from salary 400 p m	4,800	
Less earned income allowance 1 5	960	
Taxable income from salary	3,840	
Therefore tax deductible at source at 1951-52 year rates—		
On 1,500	Nil	Nil
On 2,340	@- - 9	109 11 0
Tax deducted at source		109 11 0

(No surcharge will be charged at source as income does not exceed 7,200)

(2) Interest on securities —

Interest on 4% Republican bonds of 12,000	480	
Tax deducted at source $\frac{480 \times 21}{80}$	126	
Interest on free of tax India Victory Loan at 3% on 5,000	150	
Total income from Interest on securities = (480 — 150)		630

(3) Income from property :—	
Income from house	1,800
Less $\frac{1}{8}$ for local taxes	200
	<hr/>
Annual value	1,600
Less $\frac{1}{6}$ th for repairs	267
	<hr/>
Taxable income	1,333
(4) Profits and gains from business, profession or vocation :—	
Business profits	1,500
Less Earned Income Relief	300
	<hr/>
Taxable	1 200
(5) Income from other sources :—	
Directors fees	850
Less earned income	170
	<hr/>
Taxable	680

Assessment of Mr. A for the assessment year 1952-53

Sources of income	Amount of income, profits or gains	Tax already charged or deducted at source
(1) Income from salary	4,800	109 11 0
(2) Interest on securities		
Ordinary securities	480	
Tax free securities	150	126 0 0
	<hr/>	
(3) Income from property	1,333	—
(4) Profits from business profession or vocation	1,500	—
(5) Income from other sources	850	—
	<hr/>	
Total	9,113	<hr/> 235 11 0 <hr/>

( १९९ )

Less earned income relief on  
1|5 (4,800 + 1,500 + 850) =  
715 × 1|5 1,430

Taxable income 7,683

Income-tax on 7,683 @ 1952-53 years rate

1,500	Nil	Nil
3,500	@ - 9	164 1 0
2,683	@ - 9	293 7 0
		<u>457 8 0</u>
Add 5% surcharge		22 14 0
Gross tax liability		<u>480 6 0</u>

Exempted incomes —

Interest on tax free Govt.

Securities 150 0 0

Life Insurance premium 1|6

of 9,113 / 1,519 0 0 1,669 0 0

Relief on exempted income =  $\frac{(480-6) \times 1,669}{7,683} =$  104 6 0

Gross Tax Liability 480 6 0

Less Relief on exempted income 104 6 0

Less tax deducted at the source 235 11 0

Tax payable

140 5 0

(Q 33)

The following are the particulars of the income of Dr Robinson, a medical practitioner, employed in a Medical College of Agra for the year ended 31st March, 1952



- (a) Salary Rs 750 p m plus house allowance of Rs 150 p m
- (b) Share in a chemist shop in which he is a partner The chemist business has been assessed as an un-registered firm (Rs 6,000)
- (c)  $\frac{1}{4}$ th share in a big bungalow, the net income of which after deducting all allowances comes to Rs 6,000
- (d) Dividend from (1) Delhi Cloth Mills Ltd, Rs 6,000  
(2) Agricultural Products Ltd, 7,000  
(50% of the income of this company is exempted from tax being agricultural)
- (e) He and his wife are insured, for Rs 20,000 The annual premium comes to Rs. 3,000
- (f) His investments in the previous year were—  
(1) Rs 5,000 in 5% tax-free Govt Securities  
(2) Rs 2,000 in Post Office Savings A/c (Int Rs 30)

It is also found that his wife, who is also a professor in a college and had received Rs 50,000 from her father, had invested the same in the chemist shop and her share in its profits was 25% amounting to Rs 6,000

Calculate his total income, assessable income and exempted income for the assessment year 1952-53

*Solution* —

(1) Income from salary —		
Salary proper	9,000	
Allowances	1,800	10,800
(2) Interest on securities —		
Tax free 5% of 5,000		250
(3) Income from property —		
$\frac{1}{4}$ of 6,000		1,500
(4) Profits from business, profession or vocation —		

( २०१ )

Share in the un-registered firm —		
Assessee's share	6,000	
Assessee's wife's share	6,000	12,000
(5) Income from other sources .—		
Dividend (Gross) = $6,000 \times \frac{80}{59}$		
Of Delhi Cloth Mills Ltd ,	8,135	
Of Agricultural Products Ltd		
= $7000 \times \frac{800}{695}$	8,050	16,185
Total income		<u>40,735</u>
Less earned income allowance		
on (10,800) 1½		2,160
Assessable income		<u><u>38,575</u></u>

*Exempted Income* —

Share in unregistered firm =	12,000
Tax-free Govt Securities	250
Insurance premiums restricted to	
1/10th of the value of policies	2,000
	<u>14,250</u>

Income tax will be charged on 38,575 Less 14,250 = 24,325  
at the average rate applicable to an income of 38,575  
Super tax shall be charged on 40,735

(Q 34)

From the following particulars of income of Shri L B Saxena, a Govt servant for the year ended 31st March, 1952, you are to ascertain his total income, taxable income and also the amount of exempted income

( २०० )

(1) Salary for the year Rs 6,000. Travelling allowance bills for the whole year amounted to Rs 1,500 while the actual expenditure incurred by him on travelling was Rs 1,000 only

(2) He contributed 64% of his salary to the Government Provident Fund (under Act 1925), the Government also contributes the same amount

(3) His income from property is as follows —

(a) 1st house let at Rs 100 p m (annual letting value 1,000) payment for ground rent and insurance charges being Rs 100 only

(b) 2nd house occupied by him for his own residence annual letting value being 2,000

(4) His income from investments was (1) from Tata Debentures Rs 500 only, (2) Dividend gross Rs 800 from Modi-Soap Company

(5) He pays Rs 800 as insurance premium on his life while a sum of Rs 200 is paid as insurance premium on the life of of his wife

*Solution —*

Assessment of Shri L B Savena for the year 1952-53

(1) Salary 6,000

(2) Interest on securities

$$\text{Gross} = 500 \times \frac{80}{59} = 678$$

(3) Income from property —

1st house rental value	1,200
Less $\frac{1}{6}$ th for local taxes	133
	<hr/>
Annual value	1,067
Less $\frac{1}{6}$ th for repairs	178
	<hr/>

( २०३ )

	889		
Less Insurance and ground rent	100		
	<u>789</u>		
2nd house, annual value restricted to 1/10th of the total income	902		
Less 1/6th for repairs	150	752	1,541
	<u>150</u>	<u>752</u>	
(4) Income from other sources —			
Dividend gross			800
			<u>800</u>
Total income			9,019
Less earned income relief on 6,000			1,200
			<u>1,200</u>
Assessable income			<u>7,819</u>

*Exempted Income —*

Provident Fund contribution	375	
Insurance premium on his life and on his wife's life	1,000	
	<u>1,375</u>	

$$\text{Calculation of the Annual value of the 2nd house} \\ = 6\frac{1}{85} (6,000 + 800 + 621 + 789) = 902$$

(Q 35)

Following are the particulars of Mr S P Jain (an ordinary resident) for the year ended 31st March, 1952. Compute his total income, taxable income and exempted income for the assessment year 1952-53

(1) Salary for 8 months at the rate of Rs 250 p m. 5% of the salary was contributed to an unrecognised provident fund which is being maintained by his employer

(2) On 1st of September, 1951, he was retrenched by his employer. He got Rs 10,000 from his provident fund (which sum included Rs 7,000 for his own contribution and interest thereon). He was also paid a sum of Rs 8,000 as compensation for the loss of employment.

(3) He received during the year—

(a) Rs 5,000 on account of endowment policy (b) Post Office Savings Bank interest 5% (c) Rs 300 from tuitions

(4) Rs 1,000 as his share from income of a H U F

(5) Rs 300 as dividend from a Coal Company

(6) He received Rs 5,000 as his share of profits from a registered firm. Another Rs. 1,000 were received by him as  $\frac{1}{2}$  share in the unregistered firm. (He was not actively engaged in either firm)

(7) His income from property was as follows —

(1) 1st house let out at Rs 100 p m

(2) 2nd house completed on 31st January, 1950, let at Rs 200 p m. He borrowed Rs 10,000 @ 6% per annum for its construction. Annual value of the house is Rs 2,000.

(3) 3rd house occupied by him for his own residence, annual value Rs 600

(8) He pays Rs 400 as insurance premium on his life

*Solution* —

Assessment of Mr S P Jain for the year 1952-53

(1) Income from salary —

Salary @ 250 for 8 months 2,000

Provident fund money over and above

his own contribution and interest

thereon (10,000—7,500)

2,500

4,500

( २०५ )

(3) Income from property —			
1st house rental value	1,200		
Less $\frac{1}{3}$ for local taxes	133		
	<u>          </u>		
Annual value	1,067		
Less $1\frac{1}{6}$ th for repairs	178	889	
	<u>          </u>		
2nd house income is not taxable			
3rd house annual value	600		
Less $1\frac{1}{6}$ th for repairs	100	500	1,389
	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
(4) Profits from business, profession or vocation —			
Shares of profit from a registered firm		500	
$\frac{1}{2}$ share of profit from unregistered firm		1,000	1,500
		<u>          </u>	
(5) Income from Other Sources —			
Tuition fee		300	
Dividend Gross $300 \times \frac{80}{59}$		407	707
		<u>          </u>	<u>          </u>
Total income			8,096
Less earned income allowance			
$1\frac{1}{5}$ of 4,800			960
			<u>          </u>
Taxable income			<u>7,136</u>
<i>Exempted income</i> —			
Life insurance premium		400	

NOTES —

(1) Amount received on account of endowment policy and compensation for loss of employment are not taxable

(2) Share from an H U F is altogether exempt

(3) Unregistered firm is also treated as registered as its total income does not reach the taxable limit

(Q 36)

Ramesh has the following income in the accounting period ending 31-3-1952 —

Income from Business

A Business Profit 20,000

B Business Profit 25,000

C Business Loss 55,000

Income from property Rs 3,000 (net)

Income from Dividends Rs 2,000 (gross)

Income from share in a registered firm Rs 4,000

*Solution .—*

In this case the computation shall be as under —

Income under the head business	Rs 20,000 + Rs 25,000	
	Less Loss	Rs 55,000
	= Loss	Rs 10,000
Less share in the registered firm		4,000
Balance of loss from business		<u>6,000</u>
Less income from property	3,000	
Dividends	2,000	5,000
Net Loss	<u></u>	<u>1,000</u>

The loss of Rs 1,000 shall be carried forward and set off under section 24(2) from the C business only for subsequent six years

(Q 37)

For the year ended 31st March, 1952, Dr Bhatnagar had income from the following sources

( २०७ )

	Rs
(a) Income from Profession	50,000
(b) Income from Ground rent	10,000
(c) Income from Dividend (gross)	15,000
(d) Income from property determined in accordance with the provision of section 9 of Income Tax Act	30,000

The property in item (d) is a new property the erection of which was begun on 1st April, 1951 and completed on 30th September, 1951

Dr Bhatnagar has made an irrevocable deed of trust settlement on 1st April, 1951, for Rs 5,00,000 The trust deed, *inter alia*, provided as under —

The whole of the income of the trust to belong to Mrs Bhatnagar absolutely during her life time and after her demise the whole income to be enjoyed by Dr Bhatnagar if he would survive his wife

The whole of the trust funds consisted of shares in Joint Stock Companies

During the year ended 31st March, 1952, dividends of Rs 30,000 (gross) were received and the amount paid to Mrs Bhatnagar

On 30th March, 1952, all the said shares held by the trust on account of trust investments were sold, pursuant to the powers vested in the trustees in that behalf, which empowered the trustees to charge and vary the trust investments from time to time as the trustees thought best in their absolute discretion The amount realised on the sale of these shares was Rs 6,00,000

Compute statement of tax liability of Dr Bhatnagar for the assessment year 1952-53 You are not required to calculate the actual amount of tax payable by Dr Bhatnagar



*Solution .—*

Assessment of Dr Bhatnagar for the assessment year 1952-53

	<i>Gross Tax deducted Income at source</i>	
Profits from business, profession or vocation	50,000	—
Income from other sources —		
Income from Ground rent	10,000	
Income from Dividend	15,000	3,937-8-0
Income from Dividend out of the investments of the funds of irrevocable trust	30,000	7,875-0-0
	<u>55,000</u>	<u>7,875-0-0</u>
Total income	1,05,000	11.812-8-0
Less earned income relief (maximum)	4,000	
Assessable income	<u>1,01,000</u>	

Income Tax will be calculated on 1,01,000 at the rates applicable in the assessment year 1952-53

In this Income tax will be added the Super tax on 1.05,000 at the rates applicable in the assessment year 1952-53

Out of the total will be deducted 11,812-8-0 i.e. tax deducted at the source

The Balance will be the tax liability of Dr. Bhatnagar

NOTE —Income from the investments of an irrevocable trust of the above mentioned type should be included in the income of the settler under section 16 (1) (c) Moreover, the trust is in favour of the wife and so it should also be included in the income of the husband under section 16(3).

But the profit from the sale of the investments of the trust is a capital profit and so not taxable.

(Q 38)

Mr Raj Kumar is the manager of a firm drawing a salary of Rs 320 p m He is provided with a rent-free house whose rental value is 400 He contributes  $1\frac{1}{2}$  annas in the Rupee to a recognised provident fund to which the employer contributes an equal amount The interest on his provident fund at the rate of 8% per annum amounted to Rs 1,500 He received two months' salary as bonus during the year Motor car allowance granted to him is Rs 45 p m He is also provided with an orderly who is paid by the firm Rs 35 p m On his out-station visits he got travelling allowances amounting to Rs 500 but he spent Rs 400 only

He holds 3% free of tax Govt securities of the value of 10,000, and 4% war bonds of the value of Rs 5,000 which he purchased from a loan from a friend who charged interest amounting to Rs 100 Collection charges incurred in connection with war bonds amounted to Rs 50

He owns several properties the annual letting value of which amounts to Rs 25,000 including Rs 7,000 for a bungalow in Simla where he resides in summer He claims the following expenses on several properties, viz Rs 100 for insurance premium, Rs 700 interest on mortgage, Rs 600 for vacancy allowance Rs 25 for ground rent, Rs 10 for land revenue, and Rs 1,200 for rent collection charges

His income from a registered firm, in which he is a financing partner, is Rs 2,000 From an unregistered firm where too he is a sleeping partner, his share of profit is Rs 5,000 In an other unregistered firm where he is a working partner, his  $\frac{1}{2}$  share of profit is 1,000

His share of income from a Hindu Undivided Family is Rs 4,000

He holds following investments in some private concerns

- (i) Rs 1,000 on which 5% free of tax dividend is declared  
 (ii) Rs 2,000 on which 6% less tax dividend is declared  
 (iii) His income from dividend which was less tax amounted to Rs 590  
 (iv) Further his income from dividend less tax from a concern whose 60% profits are taxable amounted to Rs 600

During the year he paid the insurance premium 5,000 on policies worth 45,000

Calculate his Income tax and Super tax liability for the assessment year 1952-53, assuming that appropriate tax has been deducted at source also calculate the amount of tax payable

*Solution —*

Income Tax Notes		
<i>(1) Income from Salary —</i>		
Actual salary @ 320 p m	3,840	
Rental value of the house restricted to 1/10 of salary	384	
Employer's contribution	360	
Interest on Provident Fund	1,500	
Bonus	640	
Motor car allowance	540	
	7,264	
Less earned Income Allowance	1,453	
	5,811	
<i>Assessable income form salary</i>		
<i>Exempted income —</i>		
Employer's Provident Fund contribution	360	
Employee's Provident Fund contribution	360	
	720	

( 22 )		
Allowable 1/6 of 3840	640	
Interest on P F @ 8% $1,500 \times \frac{1}{6}$	=1125	
Allowable		1,765

Income tax on 5,811 @1951-52 year's rates which will be deducted at source

On 1,500	Nil	Nil
On 3,500	-1/9	164 1 0
On 811	-1/9	88 11 0
		252 12 0
Add 5% surcharge		12 10 0
		256 6 0

Less relief on exempted income

$256-6 \times \frac{1765}{5811}$	80 8 0
	184 14 0

Tax deducted at source —

	Gross income	Tax deducted at source
(2) Interest on Securities —		
Interest on 3% tax free		
Govt Securities	300	—
Interest on 4% War bonds	200	52 8 0
Less interest on loan and collection charges	150	50
	350	52 8 0

(3) *Income from Property* :—

Annual rental value of			
the property let		18,000	
Less ¼th for local taxes		2,000	
		<hr/>	
Annual value of the property let		16,000	
Less 1/6th for repairs	2,667		
, proportionate Ins Pre	72		
,, Int on	504		
Mortgage	504		
,, vacancy allowance	500		
proportionate ground			
rent	18		
,, proportionate Land			
Revenue	7		
Less Rent Collection charges			
restricted to 6% of			
Annual Value	960	4,728	
		<hr/>	
Assessable income from property let		11,272	0 0
Annual value of the property in			
which he himself resides restricted			
1/10th of the total income		3,093	
Less 1/6th for repairs	516		
,, proportionate Ins Pre	28		
,, proportionate ground			
rent	7		
,, proportionate Land			
Revenue	3		
, proportionate Int on			
Mortgage	196	750	
		<hr/>	
Assessable income from resi-			
dential property		2,343	0 0
		<hr/>	
Taxable income from property		13,615	0 0

## (4) Profit from Business, Profession or Vocation —

Income from Registered firm	
(Financing partner)	2,000
Income from unregistered firm	
(Financing partner)	5,000
Income from unregistered firm	
½ share where he is a working partner	1,000
	<hr/>
	8,000

Unregistered firm will be treated as re-registered as its total income (2,000) does not reach the taxable limit and so earned income relief will be allowed to the partners, i.e.,  $1\frac{1}{5}$  of 1,000 = 200

Share of income from a Hindu Undivided Family is not taken into account

## (5) Income from Other Sources —

	Gross income	Tax deducted at source
Dividend 5% free of tax		
on 1,000 = $50 \times \frac{80}{89}$	67 13 0	17 13 0
Dividend 6% less tax on 2,000	120 0 0	31 8 0
Income from dividend less tax		
= 590 grossed up $590 \times \frac{80}{59}$	800 0 0	210 0 0
Income from dividend less tax of a company whose 60% profits are taxable = $600 \times \frac{400}{327}$	712 3 0	112 3 0
Taxable income from other source	<hr/>	<hr/>
	1,700 0 0	371 8 0

*Assessment of Mr Raj Kumar for the year 1952-53*

Source of Income	Gross income	Tax deducted at source
(1) Income from salary	7,264 0 0	184 14 0
(2) Interest on securities	350 0 0	52 8 0
(3) Income from property	13,615 0 0	—
(4) Profits from business, pro- fession or vocation	8,000 0 0	—
(5) Income from other sources	1,700 0 0	371 8 0
Total income	30,929 0 0	608 14 0
Less earned income relief on (7,264 + 1,000) = 1/5 of 8,264	1,653 0 0	—
Assessable income	29,276 0 0	

*Income tax on 29,276 @ the rates applicable to 1952-53 —*

On 1,500	Nil	Nil
On 3,500	- 9	164 1 0
On 5,000	- 1 9	546 14 0
On 5,000	- 3 -	937 8 0
On 5,000	- 4 -	1,250 0 0
On 9,276	- 4 -	2,319 0 0
		5,217 7 0
<i>Add 5% surcharge</i>		260 14 0
Gross income tax liability		5,478 5 0

*Exempted Income —*

Employer's contribution plus em-  
ployee's contribution restricted  
to 1/6 of salary                      640

Insurance Premium                      Employer's contribution plus employee's contribution plus insurance premium should not exceed total income exclusive of employer's contributions and interest thereon i.e.  $\frac{1}{6}$ th of  $(30,929 - 1,860) = \frac{1}{6} 29,069 = 4,845$

Therefore Insurance premium admissible =  $4,845 - 640 = 4,205$ , which is less than  $\frac{1}{10}$ th of 4,500 and so admissible

Interest on provident fund

restricted to 6%                      1,125 0 0

Interest on tax free Govt

Securities                              300 0 0

Share of unregistered firm              5 000 0 0

Total exempted income =  $(640 + 4,205 = 1,125 + 300 + 5,000)$   
= 11,270

Gross income tax liability    5,478 5 0

Less Relief on exempted income

of 11,270  $\frac{(5,478 - 5 - 0) - 11,270}{29,276}$

= 2,108 13 0

Less tax deducted at source                      608 14 0

2,717 11 0

Income tax liability

2,760 10 0

Super tax on 30,929 @ 1952-53 years rate—

25,000              Nil                      Nil

5,929              @ -[3]-                      1,111 11 0



( २१६ )

	1,111 11 0	
Add 5% surcharge	55 9 0	
	<hr/>	
Super-tax liability		1,167 4 0
		<hr/>
Tax payable by Mr Raj Kumar		3,927 14 0
		<hr/>

(Q 39)

Calculate the amount of tax payable by a non-resident for the assessment year 1952-53 in the following cases —

- Total income Rs 40,000 He does not elect to be assessable at that rate applicable to his world income
- Total income Rs 1,00,000 He does not elect to be assessable at the rate applicable to his world income
- Total income Rs 40,000 and total world income Rs 1,00,000 He has elected to be assessable at the rate applicable to his world income
- Total income Rs 1,00,000 and total world income Rs 2,00,000 He has elected to be assessable at the rate applicable to his world income

*Solution* —

All non-residents (other than companies) are chargeable to income-tax at the maximum rate and to super-tax at the rate applicable to the slab next to the slab exempt from super-tax or the super-tax which would be payable if he were a resident, whichever is greater

But all non-residents are, however, given an opportunity to exercise within a reasonable time limit, the option of being assessed at the rate applicable to their total world income, the option once exercised is irrevocable

According to these rules, the amount of tax payable in the four cases will be as follows —

(a) Income tax at 4 as plus 5% surcharge on 40,000	10,500 0 0
Super tax at 3 as plus 5% surcharge on 40,000	7,875 0 0
Total payable	<u>18,375 0 0</u>
(b) Income tax @ 4 as plus 5% surcharge on 1,00,000	26,250 0 0
Super tax on Rs 1,00,000 at the rates applicable to a resident having the same income	19,687 8 0
Total tax payable	<u>45,937 8 0</u>

In this case super-tax will not be calculated at the flat rate of 3as plus 5% surcharge, because if the income of a non-resident exceeds 73,750, then the super-tax at the above rate is lesser than the super-tax at the rates applicable to a resident and as the income is 1,00,000 the super-tax will be charged at the rates applicable to a resident having same income and thus getting more tax

(c) Income tax on the total in- come of Rs 1,00,000 @ 1952-53 rates with sur- charge	<u>24,043 5 9</u>
---	-------------------

Therefore proportionate  
amount of income tax on  
the total income of 40,000 9,617 8 6

Super tax on the total  
world income of

( २१८ )

Rs 1,00,000 at the rates  
of 1952-53 with the  
surcharge 27,070 5 0

Therefore proportionate  
amount of super tax on  
the total income of  
40,000 10,8282 0

Tax payable for the year 1952-53 20,445 10 6

(d) Income tax on the total  
world income of  
Rs 2,00,000 @ 1952-53  
rates with surcharge 50,293 5 9

Therefore proportionate  
amount of tax on the total  
income of 1,00,000 25,146 10 10

Super tax on 2,00,000 the  
total world income at the  
rate applicable in 1952-53  
with surcharge 81,210 15 0

Therefore proportionate  
amount of super tax on the  
total income of 1,00,000 40,605 7 6

Total tax payable for the  
assessment year (1952-53) 65,752 2 4

(Q 40)

The income of an individual consists of the following for  
the year 1951-52 —

- 1 He is employed in National Engineering Co, Bombay  
on a monthly salary of Rs 520

- 2 He holds Government of India Bonds (Free of tax) the income being Rs 5,000
- 3 He received dividend from Amrit Vanaspati Co , Rs 500 (Gross)
- 4 His share of partnership firm in India is Rs 2,000
- 5 He incurred a loss on property Rs 740
- 6 He remitted to India through his friend Rs 10,000 out of his income earned in England
- 7 Besides the above money remitted, his foreign income from a business controlled in India is Rs 15,500
- 8 His interest in a foreign firm in India is Rs 5,000
- 9 Foreign property income Rs 1,500

Last year he incurred a loss of Rs 2,000 in connection with business controlled in India referred to in (7), and a loss of Rs 1,000 in connection with the item (8)

Compute his taxable income if—

- 1 He is a Non-Resident
- 2 He is a Resident but Not Ordinarily Resident
- 3 He is an Ordinary Resident

*Solution —*

	Rs
1 Income from salary Rs 520 × 12 =	6,240
2 Interest on security—	
Tax-free Govt Bonds	5,000
3 Income from property—under this head there is a loss of	740
4 Income from Business, Profession and Vocation	
Business profit (in India)	2,000
Foreign business income (Rs 5,000—Rs 1,000)	4,000
5 Income from Other Sources —	
(1) Dividends from Vanaspati Co	500
(ii) Foreign remitted income	10,000

(iii) Unremitted income from a business controlled in India (Rs 15,500—Rs 2,000) 13,500

Name

Status — Individual.

For the year —1951-52

Taxable income will be—

Particulars	R & O R	R & N O R	N Re- sident-
	Rs.	Rs.	Rs
1 Income from salary	6,240	6,240	6,240
2 Interest on securities	5,000	5,000	5,000
3 Income from Property	—740	—740	—740
4 Income from Business, Profession & Vocation —			
Indian	2,000	2,000	2,000
Foreign	4000*	4,000*	4,000*
5 Income from other sources			
Dividends	500	500	500
Remitted foreign income	10,000	10,000	
Unremitted foreign income			
in excess of Rs 4,500	9,000	9,000	—
Foreign property income	1,500†	—	—
Total Income	37,500	36,000	17,000
Less earned income	2,448	2,448	2,448
<b>Taxable Income</b>	<b>35,052</b>	<b>33,552</b>	<b>14,552</b>

\* Foreign income is earned in taxable territories and actually received by the parties concerned

† The income from foreign house property is assessable only in the case of persons who are ordinary residents of the taxable territories. The method of computation for arriving at the bonafide annual value and the deductions permissible therefrom would be as set out in section 9

## परिशिष्ट (२)

### फाइनेन्स ऐक्ट (१९५२) की मूल बातें

प्रत्येक कर-दाता, जो व्यक्ति-विशेष हो अथवा सयुक्त हिन्दू परिवार अनरजिस्टर्ड फर्म या अन्य कोई सस्था हो, से निम्न दरो पर आय-कर वसूल किया जायगा। ये दरे १९५१ के फाइनेस ऐक्ट के अनुसार निर्धारित की हुई हैं और १९५१-५२ के असेसमेट वर्ष पर लागू होती हैं।

(१)	(२)	(३)
	आय-कर की दर (Rate)	सर-चार्ज (Sur-charge)
(अ) कुल आय के प्रथम १५०० रु० पर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(ब) कुल आय के अगले ३५०० रु० पर	६ पाई प्रति रु०	द्वितीय कालम में दी गई दर का १/१०
(स) कुल आय के अगले ५००० रु० पर	१ आ० ६ पा०	"
(द) कुल आय के अगले ५००० रु० पर	३ आने प्रति रु०	"
(य) कुल आय के शेषांश पर	४ आने प्रति रु०	"

यदि किसी व्यक्ति-विशेष की कुल आय ७,२०० रुपये से [सयुक्त हिन्दू परिवार की आय, जिसको ७,२०० रुपये की छूट मिलती है, १४,४०० रु० से] अधिक न हो तो उसको सर-चार्ज (Surcharge) नहीं देना पड़ेगा।

ऊपर लिखी हुई दरो के अनुसार कर-दाता की कुल आय पर कर निश्चित करने में निम्न व्यवस्था की गई है —

यदि कुल आय कमाई हुई आय की छूट घटाने से पहिले, ३६०० रु० से अधिक न हो तो उस पर आय-कर नहीं लिया जायगा। सयुक्त हिन्दू परिवार, जिसकी कुल आय ७२०० रु० से अधिक न हो, उस पर प्राय-कर नहीं लगेगा, यदि—

(१) उस परिवार में कम से कम दो ऐसे सदस्य हो जिन्हें परिवार का बटवारा कराने का अधिकार हो और दोनों की आयु १८ वर्ष से कम न हो।

(२) उस परिवार में कम से कम दो ऐसे सदस्य हो, जिन्हें परिवार का बटवारा कराने का अधिकार मिला हो परन्तु उन दोनों में से कोई भी एक-दूसरे का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी न हो और दोनों भी परिवार के किसी तीसरे जीवित सदस्य के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी न हो।

१९५१-५२ के असेसमेंट वर्ष के लिए कमाई हुई आय की छूट कमाई हुई आय का  $\frac{१}{५}$  है, पर यह छूट किसी भी हालत में ४००० रु० से अधिक नहीं हो सकती।

कमाई हुई आय घटाने से पहिले कुल आय ३६०० रु० (सयुक्त हिन्दू परिवार के लिए ७२०० रु०) से जितनी अधिक होगी, आय-कर उस पर अधिक राशि के आधे से अधिक नहीं लिया जायगा।

कमाई हुई आय की छूट घटाकर निकाली हुई कुल आय पर लिया जानेवाला आय-कर, निम्न दो राशियों में, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा—

(१) वह राशि जिसका कुल आय (कमाई हुई आय की छूट घटाने से पहिले) में से ३६०० रु० (सयुक्त हिन्दू परिवार के साथ ७२०० रु०) घटाकर निकाली हुई राशि के आधे के साथ वही अनुपात है जो कमाई

हुई आय की छूट घटाकर निकाली हुई कुल आय का बिना घटाई हुई कुल आय के साथ है, या

- (२) कमाई हुई आय की छूट घटाकर निकाली हुई कुल आय पर निम्नित दरों से निकाली हुई वास्तविक कर-राशि ।

वेतन (कमाई हुई आय घटाकर), सिक्योरिटियो पर प्राप्त ब्याज, लाभांश—इन तीनों पर आय-कर उद्गम-स्थानों पर ही काट लिया जाता है । इसलिए यदि १९५१-५२ के असेसमेंट में इन तीनों में से कोई भी आय शामिल हो तो उस आय पर १९५० के फाइनल ऐक्ट में पास की गई कर की दर लागू होगी और शेष आय पर १९५१ के फाइनल ऐक्ट में पास की गई दर लगाई जायेगी । आय-कर इस प्रकार निकाला जायगा —

- (१) पहिले कुल आय पर १९५० की दरों के अनुसार कुल कर मालूम कर लिया जायगा और उससे औसत दर निकाल कर वेतन, ब्याज तथा लाभांश की कुल राशि पर कर मालूम कर लिया जायगा ।
- (२) फिर कुल आय पर १९५१ की दरों के अनुसार कुल कर मालूम कर लिया जायगा और उससे औसत-दर निकाल कर कुल आय की शेष राशि पर कर निकाल लिया जायगा ।
- (३) अन्त में, इन दोनों कर-राशियों को जोड़ लिया जायगा । यही रकम १९५१-५२ के असेसमेंट वर्ष का कर होगा ।

कम्पनियों के लिए आय-कर की दर उनकी कुल आय पर ४ प्रतिशत प्रति रुपया निम्नित की गई है । उसके अतिरिक्त उनको इस कर का ५% सर-चार्ज (Surcharge) के रूप में देना पड़ता है ।



स्थानीय सत्ता-संस्थाओं तथा अन्य उन सभी करदाताओं पर जिनको अधिकाधिक दर से कर देना पड़ता है, कर की ये ही दरें (अर्थात् ४ आना प्रति रुपया और कर का ५% सर-चार्ज) लागू होती हैं ।

१९५१ के फाइनेंस ऐक्ट के अनुसार प्रत्येक परदेशी को १९५१-५२ के असेसमेंट से अधिकाधिक दर के हिसाब से कर देना पड़ेगा चाहे उनकी आय कितनी ही क्यों न हो ।

यदि किसी कर-दाता की कुल आय में ऐसी आय शामिल हो, जिस पर आय-कर विधान के अनुसार कर की छूट स्वीकृत की जाय तो ऐसी स्थिति में पहिले कुल आय पर कर निकाला जायगा और फिर औसत-दर मालूम करके छूट घटाकर निकाली हुई शेष आय पर कर मालूम कर लिया जायगा ।

### अतिरिक्त-कर तथा कर की दरें

प्रत्येक कर-दाता, जो व्यक्ति-विशेष हो अथवा सयुक्त हिन्दू परिवार, अनरजिस्टर्ड फर्म या अन्य कोई संस्था हो, से निम्न दरों पर अतिरिक्त-कर वसूल किया जायगा । ये दरें १९५१-५२ के फाइनेंस ऐक्ट के अनुसार निश्चित की गई हैं और १९५१-५२ के असेसमेंट वर्ष पर लागू होती हैं —

(१)	(२)	(३)
	अतिरिक्त-कर की दरें (Rate)	सर-चार्ज (Surcharge)
(अ)	कुल आय के प्रथम २५००० रु०	पर कुछ नहीं
(ब)	” ” अगले १५००० ”	३ आ० प्रति रु०
		द्वितीय कॉलम में दी गई दर का ५%

(स)	कुल आय के अगले	१५०००	रु० पर	४ आ० प्रति रु०	”
(द)	”	”	”	६ आ० प्रति रु०	”
(य)	”	”	”	७ आ० प्रति रु०	”
(फ)	”	”	”	७ आ० ६ पा०	”
(ह)	कुल आय के अगले	५००००	”	८ आ० प्रति रु०	”
(ट)	कुल आय की शेष राशि पर			८ आ० ६ पा०	”

प्रत्येक स्थानीय सत्तासस्था को अपनी कुल आय पर २½ आने प्रति रुपया की दर से अतिरिक्त-कर और इस कर पर ३ पाई प्रति रुपया सरचार्ज (Surcharge) देना पडता है ।

प्रत्येक कम्पनी को अपनी कुल आय पर ४ आने ९ पाई प्रति रुपया के हिसाब से अतिरिक्त-कर देना पडता है ।

अतिरिक्त-कर निकालने में कमाई हुई आय की छूट देने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

यदि किसी अनरजिस्टर्ड फर्म ने अतिरिक्त-कर दिया है तो ऐसी फर्म के हिस्सेदार की इस फर्म से होनेवाली आय उसकी कुल आय में अतिरिक्त-कर निकालने के लिए नहीं जोड़ी जायगी ।

यदि किसी कर-दाता की कुल आय पर अतिरिक्त-कर लगाते समय उसकी कुल आय में वेतन की राशि शामिल हो तो इस राशि पर अतिरिक्त-कर १९५० की दरों पर निकाला जायगा और शेष आय पर १९५१ की दरों पर निकाला जायगा । अतिरिक्त-कर इस प्रकार निकाला जायगा—

(१) पहिले कुल आय पर १९५० की दरों के अनुसार कुल अतिरिक्त-कर मालूम किया जायगा और उससे औसत-दर मालूम करके वेतन की राशि पर कर निकाल लिया जायगा ।

(२) फिर कुल आय पर १९५१ की दरों के अनुसार कुल अतिरिक्त-कर मालूम करके औसत-दर निकालकर शेष आय पर कर ज्ञात कर लिया जायगा ।

(३) इन दोनों को जोड़ने से १९५१ के अससमेत वर्ष की अतिरिक्त-कर की कुल रकम निकाली जायगी ।

१९५२-५३ के अससमेत वर्ष के लिए वे ही दरें रक्खी गई हैं जो १९५१-५२ में लागू होती थी ।

## परिशिष्ट (३)

### वार्षिक फाइनेंस ऐक्ट (१९५३)

सन् १९५३-५४ अससमेत वर्ष के लिए आयकर और अतिरिक्त-कर की वही दरें हैं जो १९५२-५३ अससमेत वर्ष के लिए स्वीकृत की गई थी । यह दरें सन् १९५२ के फाइनेंस ऐक्ट में दी जा चुकी हैं । (देखें पृष्ठ २१९ से २२४ तक)

सन् १९५३ की अन्य मूल आवश्यक बातें पुस्तक में उपयुक्त स्थानों पर समझा दी गई हैं ।



